लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड VIII में अंक 51 से 62 तक हैं / Vol. VIII contains Nos. 51 to 62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 53 मंगलवार, 1 अगस्त, 1967/ 10 श्रावण, 1889 (शक)

No 53 Tuesday, August 1, 1967/Sravana,10 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1501	जिला बोर्डों का समाप्त किया जाना	Abolition of District Boards	297-301
1502	नलकूप खोदने के लिए उपकरण	Equipment for digging Tube-wells ...	301-306
1503	बड़े पत्तनों से माल के परिवहन में विलम्ब	Delay in Transportation of Goods at Major Ports	306-310
1504	गेहूं के मूल्य में वृद्धि	Rise in Price of Wheat	311-317

अल्प सूचना प्रश्न / S.N.Q.

39	दक्षिण रेलवे के फायरमैनों द्वारा बीमारी के बहाने सामूहिक तौर पर छुट्टी ली जाना	Mass Sick Leave by Firemen on Southern Railway	317-320

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या/ S.Q.Nos.

1505	बड़े बन्दरगाहों का विकास	Development of Major Ports	321
1506	चीनी उद्योग का लागत ढांचा	Cost Structure of Sugar Industry	321-322
1507	इंडिया एयरलाइंस कारपोरेशन के वाइकाउन्ट विमानों के स्थान पर अन्य विमान चलाना	Replacement of I. A. C. Viscounts.. ..	322

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

ता प्र.संख्या/ S. Q.Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Peges
1509	दिल्ली परिवहन के लिये बसें	Buses for D. T. U.	322-323
1510	प्रधान मंत्री की विदेशी यात्रा के लिये प्रयुक्त विमान	Use of Plane for Prime Minister's visit Abroad	323
1511	खाद्य क्षेत्र	Food Zones	323
1512	दिल्ली में राशन का दिया जाना	Issue of Ration in Delhi ...	324
1513	दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike Threat by D. M. S. Employees ...	324-325
1514	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा फ्रान्सीसी उपकरण का आयात	Import of French Equipment by I. A. C. ...	325
1515	बम्बई पत्तन–न्यास के कर्मचारी	Bombay Port Trust Employees ..	326
1516	दिल्ली में यमुना पुल पर यातायात	Traffic on Jamuna Bridge, Delhi ...	326
1517	चीनी के कारखाना मूल्यों में वृद्धि	Increase in ex-Factory Prices of Sugar .	327
1518	राज्यों का खाद्यान्न का कोटा	Foodgrains quota of States ..	328
1519	चीनी के भावों में समानता	Uniformity in Rates of Sugar	328-329
1520	कोंकण तट पर जहाजरानी सेवा	Shipping service on Konkan Coast.. ..	329
1521	दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं से दूध की सप्लाई	Supply of Milk from D. M. S. Depots ..	329-330

1522	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्री भाड़े में वृद्धि	Increase in I. A. C. Fares ..	330-331
1524	उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में चीनी मिलें	Sugar Mills in U. P. Haryana and Punjab ..	331
1525	आस्थगित भुगतान के आधार पर जहाजों की खरीद	Purchase of ships on Deferred Payment ...	331-332
1526	उर्वरक विद्युत तथा पानी के लिये सहायता	Subsidy on Fertilizers, Electricity and Water	332-333
अता. प्र. सं. / U.S.Q. Nos.			
7390	गुजरात में अधिक उपज वाला अनाज उगाने का कार्यक्रम	High Yielding Programme in Gujarat ..	333
7391	गुजरात में छोटे पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports in Gujarat ..	333-334
7392	राज्यों को चावल की सप्लाई	Rice supply to States	334
7393	बायीं ओर बैठ कर चलाई जाने वाली जीपों का निर्माण	Manufacture of Right Hand Drive Jeeps ...	334-335
7394	यातायात सम्बन्धी नियम	Traffic Rules	335-336
7395	जहाज निर्माण कारखाने	Ship Building Yards	336-337
7396	अनाज का तस्कर व्यापार	Smuggling of Foodgrains ...	337
7397	मध्य प्रदेश को चीनी की सप्लाई	Supply of Sugar to Madhya Pradesh ..	337-338
7399	बिहार में लाख का उत्पादन	Production of Lac in Bihar	338
7400	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	338-339

7401	कांडला पत्तन में अनाज का खराब हो जाना	Damage to Foodgrains at Kandla Port	339–340
7403	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6	National Highway No. 6 ..	340
7404	भारत-श्रीलंका नौवहन सेवा	Indo-Ceylon Shipping Service	341
7405	उड्डयन क्लब	Flying Clubs ..	341–342
7406	सूखी गोदियां	Dry Docks	342–343
7407	लखनऊ का राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान	National Botanical Gardens, Lucknow ...	343–344
7408	गोआ में धान के बीज	Paddy Seeds in Goa	344
7409	लगान प्रणाली	Land Revenue System	344–345
7410	दिल्ली में पुलों का निर्माण	Construction of Bridges in Delhi ...	345
7411	दिल्ली परिवहन के लिए बसें	Buses for D. T. U.	345
7412	ऊन वर्गीकरण केन्द्र	Wool Gradation Centres	346
7413	भाण्डागारों में रखे खाद्यान्नों की क्षति	Loss of Foodgrains in Storage ..	346
7414	विशष्ट किस्मों के उर्वरकों का प्रयोग किये जाने पर गन्ने की फसलों के लिये सिंचाई की सुविधायें	Irrigation Facilities of Sugarcane using Particular types of Fertilizers ...	346–347
7415	हरयाना में नये कृषि कालेज	New Agricultural Colleges in Haryana	347
7416	मद्रास में छोटी सिंचाई परियोजनाएं	Minor Irrigation Projects in Madras	347–348
7417	पारादीप पत्तन पर लौह अयस्क की लदान	Loading of Iron Ore at Paradeep Port ...	348
7418	गन्ने में चीनी की मात्रा	Sugar Content in Sugarcane ...	348–349

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

U. S. Q.Nos.	विषय	Subject	Pages
7419	प्राथमिक विपणन समितियां	Primary Marketing Societies ..	350
7420	उतर प्रदेश में बीज फार्म	Seed Farms in U. P.	350
7421	चुकन्दर से चीनी तैयार करना	Production of Sugar from Beet	350
7422	वेघशाला महानिदेशक का कार्यालय	Office of Director General Observatories ...	351
7423	यूगोस्लाविया से टैंकर	Tankers from Yugoslavia ...	351 352
7424	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान की 4 जून, 1967 को कलकता के निकट दुर्घटना	Accident to I. A. C. Dakota near Calcutta on 4. 6. 97	352
7425	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 सम्बन्धी समिति	Committee on Land Acquisition Act, 1894 ...	353
7426	भटनी शूगर मिल्स, देवरिया, (उतर प्रदेश)	Bhatni Sugar Mills, Deoria (U. P.)... ...	353-354
7427	अन्दमान वन विभाग का मालवाहक जहाज	Landing Craft of Andaman Forest Department	354
7429	एवरो विमान	Avro Planes	354-355
7430	आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains in Andhra Pradesh	355
7431	आन्ध्र प्रदेश को उर्वरक की सप्लाई	Supply of Fertilizers to Andhra Pradesh ..	355-356
7432	संसद भवन में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टाल से घी की बिक्री	Sale of Ghee at D. M. S. Stall in Parliament House ..	356-357
7433	निर्वाचन उप-आयुक्त	Deputy Election Commissioner	357
7434	जहाज निर्माण उद्योग	Ship Building Industry	357

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS : Contd.

अता. प्र. संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7435	स्कूटर रिक्शा चालकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Scooter Rickshaw Drivers ..	358
7436	हीराकुड क्षेत्र में बीज फार्म	Seed Farm in Hirakud Area	358
7437	बिहार में फलपरिक्षण कारखाने	Fruit Preservation Factories in Bihar	358-359
7438	राजस्थान में सिंचाई परियोजना	Irrigation Projects in Rajasthan ..	359
7439	गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के सम्बन्ध में तूतीकोरिन परियोजना	Deep Sea Fishing at Tuticorin Project	359-360
7440	राजस्थान मरुस्थल का उर्वर भूमि में परिवर्तन करने के लिये किये गये उपाय	Measures undertaken to Transform Rajasthan Desert in to Fertile Land ..	360
7441	महाराष्ट्र को खाद्यान्न का सम्भरण	Supply of Foodgrains to Maharashtra	360-361
7442	मतदान केन्द्रों में मतों की गणना	Counting of Votes at Polling Stations ...	361-362
7443	वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों का परिवहन	Transport of Foodgrains to Distribution Centres ...	362
7444	पारादीप एक्सप्रेस राजपथ	Paradeep Express Highway ...	363
7445	तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Tabacco ..	363-364
7446	दिल्ली दुग्ध योजना	D. M. S.	364
7447	आटे की मिलें	Flour Mills ..	364-365
7448	परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में नई नियुक्तियां	New Appointment in Transport and Shipping Ministry	365-366
7449	सीमा सड़कों का विकास	Development of Border Roads ..	366
7450	पत्तनों पर माल की निकासी	Clerance of Goods at Ports	366-367

7451	मैसूर में चीनी सहकारी समितियों के लिये लाइसेंस	Licences for Sugar Co-operatives in Mysore	367
7452	इसराइल - संयुक्त अरब गणराज्य के बीच संघर्ष के दौरान काश्मीर में पर्यटकों के साथ व्यवहार	Treatment to Tourists in Kashmir during Israeli UAR Conflict	367-368
7453	पशुओं की संख्या	Cattle Population ..	368
7454	हल्दिया पत्तन में 'सिलो' का निर्माण	Construction of a 'Silo' at Haldia Port ..	368-369
7455	केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्था, कोचीन	Central Institute of Fisheries Technology Cochin	369-370
7456	केरल का चीनी का कोटा	Sugar Quota of Kerala	370
7457	केरल को गेहूँ का नियतन	Allocation of Wheat to Kerala	371
7458	पटसन का मूल्य	Price of Jute ..	371
7459	पार्श्व सड़क परियोजना	Lateral Road Project	371-372
7460	किसानों को किराये पर कृषि उपकरणों की सप्लाई	Supply of Agricultural Equipment to Farmers on Hire	372
7461	दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi	372
7462	नये सुपर बाजार खोलना	Opening of New Supper Bazars	373
7463	मध्य प्रदेश में अनिवार्य वसूली योजना	Compulsory Procurement Schemes in M.P...	374
7464	छोटी सिंचाई योजनाएं	Minor Irrigation Schemes	374
7465	उत्तर प्रदेश में गोदाम	Storage Godowns in U. P. ..	375
7466	उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों का विस्तार	Expansion of Sugar Mills in U. P ...	375
7467	दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारी	Officers in D. M. S. ...	375

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd·

7468	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खट्टे दूध की बरबादी	Wastage of Sour Milk by D.M.S. ...	376
7469	सिक्किम को चावल की सप्लाई	Supply of rice to Sikkim	376–377
7470	कृषि का विकास	Development of Agriculture	377
7471	कलकत्ता बन्दरगाह में जहाजों पर से माल उतारना	Unloading of Ships at Calcutta	377–378
7472	आटा मिलें	Roller Flour Mills ..	378
7473	हिमाचल प्रदेश में आटा मिल	Flour Mill in Himachal Pradesh	378–379
7474	बाल विवाह	Child Marriages	379
7475	मरमागोआ-पोंडा-अनमोड तथा पंजिम पोंडा अनमोड सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना	Declaration of Marmagao Ponda Anmode and Panjim Ponda Anmode Roads as National Highways ...	379–380
7476	विशाखापट्नम् पत्तन	Vishakhapatnam Port ..	380
7477	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर	Indian Veterinary Research Instiute. Izatnagar	380–381
7478	दिल्ली में पर्यटन निदेशालय	Directorate of Tourism in Delhi ...	381–382
7479	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में पार्लियामेंटरी असिस्टेंट (ससद् कार्य सहायक)	Parliament Assistants in Ministry, of Food and Agriculture ...	382
7480	विधि मंत्रालय में पार्लियामेंटरी असिस्टेंट (संसद् कार्य सहायक)	Parliament Assistants in Law Ministry	382–383
7481	परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में पार्लियामेंटरी असिस्टेंट (संसद् कार्य सहायक)	Perliament Assistants in Transport and Shipping Ministry .. –	383

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

7482	दिल्ली के चिड़ियाघर में सफेद शेर	White Tigers in Delhi Zoo	383–384
7484	मनीपुर में खेती की भूमि	Land Under Cultivation in Manipur ...	384
7485	तम्बाकू के पत्ते का उत्पादन	Production of Leaf Tobacco	384
7487	दिल्ली में चीनी का राशन	Sugar Ration in Delhi	385
7488	दिल्ली में डबल रोटी की कमी	Shortage of Bread in Delhi	385
7489	कंटाई सब डिविजन क्षेत्र में काजू का उत्पादन	Production of Cashewaut in Contat Sub-Division Area	386
7490	माल भाड़ा दर	Freight Rates	386
7491	पर्यटक तथा असैनिक भड़यत मंत्रालय में पार्लियामेंटरी	Parliament Assistants in Tourism and Civil Aviation Ministry	386
7492	हिंदुस्तान शिपयार्ड	Hindustan Shipyard	387
7493	जहाज निर्माण उद्योग	Ship Building Industry	387–388
7494	गुजरात में सीमा सड़कों का विकास	Development of Border Roads in Gujarat ...	388
7495	तिलहन के मूल्य	Prices of Oilseeds	388 389
7466	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें	D. T. U. Buses	389-390
7497	भाड़े पर जहाजों से लाये ले जाये गये माल का टनभार	Chartered Shipping Tonnage	390-391
7498	नाविक भर्ती कार्यालय	Seamen's Recruitment Offices	391
7499	उड़ीसा द्वारा पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई	Supply of Rice to West Bengal by Orissa	391–392
7,500	दिल्ली में बीजों की बिक्री	Sale of Seeds in Delhi	392

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता.प्र.संख्या/U.S.Q. No. विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
7501 चौथे आम चुनावों में लोक सभा के स्थानों के लिये पड़े मत	Votes cast for Lok Sabha seats during Fourth General Elections	392
7502 मुख्य भूमि तथा लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपसमूहों के बीच नौवहन सेवा	Shipping Service between mainland and Laccadive, Minicoy and Amindiv Islands	393
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	393
पाकिस्तान में करांची तथा अन्य नगरों के होटलों में भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों के फोटों बनाने के समाचार	Reported display of photographs of staff of Indian High Commission in hotels in Karachi and other cities of Pakistan	393
श्री म. ला. सोंधी	Shri M. I. Sondhi	393
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	393
विशेषाधिकार का प्रस्ताव	Motion of Privilege-Negatived	395
मध्य प्रदेश के आय व्ययक के बारे में गृह-कार्य मंत्री का वक्तव्य	Home Minister's statements re. Madhya Pradesh Budget	395
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri A. B. Vajpayee	395
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	395
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	396
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	410
श्री रंगा	Shri Ranga	410
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	411
श्री अ. कु. सेन	Shri A. K. Sen	411
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	412
श्री द्वा. ना तिवारी	Shri D. N. Tiwary	412
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	412
श्री जी. भा. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani ...	413

अता.प्र.संख्या / U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

श्री प. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	413
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee	414
श्री अंबाजागन	Shri Anbazhagan ...	414
श्री यशवन्त सिंह कुशावह	Shri Y. S. Kushwah ...	415
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanathan ..	416
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	417
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	420
नियम समिति	Rules Committee	421
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report ..	421

लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

1 अगस्त, 1967 | 10 श्रावण, 1889 (शक)

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि

311 प्रश्न संख्या ' 1504 ' के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रूपान्तर पढ़िये :

Rise in Price of Wheat

1504 Shri S.C. Samanta
Shri A.K. Kisku
Shri S.N. Maiti
Shri Tridib Kumar Chaudhuri
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the extent of percentage in the rise of price of Wheat since the import of foodgrains began and the fair price shops opened by Government and the reasons therefor; and

(b) whether the burden of expenditure accruing as a result of employment of officers and other personnel since the statutory ration was introduced falls on the consumers and if so, the percentage thereof?

409 पंक्ति 34 में 'उपाध्यक्ष' के स्थान पर 'अध्यक्ष' पढ़िये।

420 अन्तिम पंक्ति में '1267 | 67' के स्थान पर '1265 | 67' पढ़िये।

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार 1 अगस्त, 1967/ 10 श्रावण, 1889 (शक)

Tuesday, August 1, 1967/*Sravana* 10, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जिला बोर्डों का समाप्त किया जाना

+

*1501. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला बोर्डों को समाप्त कर देने के लिये राज्य सरकारों को निदेश जारी कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

(ग) जिन राज्यों ने जिला बोर्डों को समाप्त कर दिया है तथा जिनमें अभी जिला बोर्ड विद्यमान हैं उन राज्यों के नाम पृथक्-पृथक् क्या हैं; और

(घ) इन बोर्डों की समाप्ति के बाद स्थानीय महत्व वाले मामलों के प्रशासन में ग्रामीण लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिये सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बिहार राज्य के 14 जिलों को छोड़ कर किसी राज्य में जिला बोर्ड नहीं हैं।

(घ) मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, नागलैंड और जम्मू तथा काश्मीर के कुछ भागों को छोड़ कर सभी राज्यों में जिला बोर्डों के स्थान पर तीन स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है और स्थानीय विकास प्रशासन में ग्रामीण लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

Shri Bibhuti Mishra : District Boards are given a place in the Constitution and Members are elected to the Legislative Councils through these District Boards. District Boards have been abolished in Bihar by the Bihar State Government and there by the rural people are deprived of the representation to the Legislative Council.

Secondly certain works such as medical facilities and road construction have been stopped. May I know what action has been taken by the Government ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह सच है कि सभी क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समाप्त नहीं किये गये हैं किन्तु डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अधिकार सरकार ने ले लिए हैं। सभी राज्यों ने बलवन्त राय मेहता समिति की मुख्य सिफारिश मान ली है। हमारा यह विचार है कि तीन स्तरीय व्यवस्था जिसे सभी राज्यों ने मान लिया है, यथाशीघ्र लागू की जाये।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Article 171 of the Constitution says :—

'किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या का—

(क) यथाशक्य तृतीयांश उस राज्य में नगरपालिकाओं, जिला मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जैसे संसद विधि द्वारा उल्लिखित करे, सदस्यों से मिल कर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा।"

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : District Councils have been constituted.

Shri Bibhuti Mishra : It is not a question of Zila Parishads. The question is that District Boards and District Municipalities have been abolished and no alternative machinary has been devised specially when there is a provision in the Constitution. May I know what action is being taken by the Central Government to Give representation to the rural people in the Legislative Council through District Boards ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह कार्य निर्वाचन आयोग का है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम सभी राज्यों में पंचायती राज्य का तीन स्तरीय व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। इससे न केवल स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था होगी अपितु इन संस्थाओं के सदस्य निर्वाचन में भी भाग लेंगे। किन्तु बिहार के चौदह जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं हैं। वैसे तो वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है किन्तु वहां पर कोई सदस्य कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः माननीय सदस्य से

मेरा अनुरोध है कि वह मंत्रालय को सहयोग दें जिससे ये संस्याएं यथाशीघ्र स्थापित की जा सके ।

Shri Bibhuti Mishra : I rise on a point of order. How can we use our good offices. It is the responsibility of the Ministry of Home Affairs to honour the Constitution. My question was addressed to the Ministry of Law and from there it was transferred to the Ministry of Home Affairs and now it has been transferred to this Ministry. After three months we are told to use our good offices. When we are to use our good offices what for are you here ?

श्री जगजीवन राम : कदाचित हम सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिख चुके हैं कि तीन स्तरीय व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाये ।

श्री विभूति मिश्र : यह व्यवस्था कब तक लागू हो जायेगी ?

Mr. Speaker : Shri Tiwari can ask this question.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : उन्होंने कुछ समय लिया है । बिहार सरकार ने माच, 1968 तक अवधि बढ़ा दी है । उसका विचार इस अवधि के समाप्त होने बाद यथाशीघ्र तीन स्तरीय व्यवस्था लागू करने का है ।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has stated that Panchayati Raj will replace the District Board and for this purpose they have extended its period. May I know whether the new Government propose to hold elections to Gram Panchayat on their own accord and they have extended time in order to constitue Zila Parishads of their choice ? Is it the reason for this delay ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हम चाहते हैं कि बिहार की नई सरकार इस कार्य को शीघ्र आरंभ करे किन्तु उन्होंने इसकी अवधि मार्च, 1968 बढ़ा दी है । आशा है इसके बाद बिहार में तीन स्तरीय व्यवस्था लागू हो जायेगी ।

Shri K. N. Tiwary : When elections have already been held and Gram Panchayats will from the Zila Parishads Councils; why the Bihar Government extended the period upto 1968 ? Does it mean that they propose to hold new elections so that Zila Parishads may be formed of their own choice and is it the reason for delay ? What information the Government of India have in this regard and what action is being taken by the Government ?

Shri Jagjivan Ram : We have one specific information Only after the expiry of the period of Panchayats new elections will be held. But it is true that after the formation of the Government, due to drought condition, to think of holding elections was not proper.

श्री दिनकर देसाई : मैसूर राज्य में जिला बोर्ड नहीं है किन्तु प्राथमिक पाठशालाओं के प्रशासन के लिये जिला स्कूल बोर्ड हैं और सरकार उसके सदस्यों को नामजद करती हैं । यह प्रक्रिया लोकतंत्र के प्रतिकूल है । क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले के बारे में मैसूर सरकार से बातचीत करके उसे निदेश देगी ताकि जिला बोर्ड निर्वाचित संस्था हो न कि नामजद संस्था ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इसका मूल प्रश्न से सम्बन्ध है। मूल प्रश्न बिहार के बारे में है।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whe her Government have cons.dered the question of abolition of the posts of District Magistrates or Collectors and replace them by elected persons and if so what is its outcome and if not what are the reasons ?

Shri Jagjivan Ram : We are stressing to hold elections in areas where these have not yet been held and the District Board have been abolished and all the function of District Boards have been given to Collectors.

Dr. Ram Manohar Lohia : My question relates to the abolition of the posts of District Magistrates or the Collectors.

Shri Jagjivan Ram : This question does not arise out of the main question. Your question relates to local bodies and it is clear that District Magistrates should not be the head of these bodies. Elected persons should be the head of these bodies.

Dr. Ram Manohar Lohia : My question remains unanswered.

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों ने जिला बोर्डों को निर्णय करने का अधिकार दिया है।

Dr. Ram Manohar Lohia : My question is whether the Government considered the question of abolition of the posts of Collectors and if so what is its outcome ?

श्री जगजीवन राम : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विभाग का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री पे० वेंकटा सुब्बया : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि बिहार को छोड़ कर अन्य राज्यों में बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों को कार्य रूप दिया गया है। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले इन सिफारिशों को कार्य रूप दिया गया था। क्या सरकार ने बलवन्तराय मेहता की सिफारिशों को सब राज्यों में समान रूप से लागू करने के लिए कोई कार्यवाही की है क्योंकि यह भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न रूपों में क्रियान्वित की गई है ? क्या सरकार का विचार राज्य सरकारकारों को हिदायतें देने का है कि वे एक समान पद्धति अपनाएं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमारा प्रयत्न यह है कि आधारभूत बातों के लिए एक मोटी व्यवस्था की जाये। राज्यों को उसी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने राज्यों में पद्धति अपनाने की कुछ छूट है। वे इस व्यवस्था के अनुसार अपनी पद्धति अपनाते हैं।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि यह मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है और केन्द्रीय सरकार को हिदायतें देने का कोई अधिकार नहीं है ? क्या यह भी सच नहीं है कि कई राज्यों में जिला बोर्डों ने स्वयं अपनी-अपनी सरकारों को सलाह दी है कि

अधिक अन्न उपजाने, खाद्यान्नों के वितरण आदि से सम्बन्धित अधिक से अधिक कार्य तथा कथित पंचायती समितियों के बजाय कलेक्टरों को सौंपे जायें ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मेहता समिति योजना आयोग ने नियुक्त की थी तथा उसकी सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाने के लिए हैं । इन सिफारिशों को मानना न मानना राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है । वास्तव में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने अपनी 1958 की बैठक में बलवन्तराय मेहता की मुख्य सिफारिशों को मान लिया था । इसलिये विभिन्न राज्यों ने पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने के लिये कार्यवाही की है । अतः राज्यों पर जबरदस्ती लादने का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Prem Chand Verma : There are two systems of District Boards and Zila Parishads in existence in the country but in some places the Chairmen of Zila Parishads are elected persons, where as in many state Deputy Commissioners are ex officio Chairman of Zila Parishads. Why these two systems are being enforced.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । हम मोटी पद्धति निर्धारित कर देते हैं । कुछ राज्यों में निर्वाचित चेयरमैन और जिला परिषद है तथा कुछ अन्य राज्यों में जिला सलाहकार परिषद है । पंचायती समितियां वास्तव में एक महत्वपूर्ण सम्पर्क संस्था है । हम यह राज्य सरकारों पर छोड़ रखा है कि वे जो चाहें पद्धति अपनाएं ।

Shri Prem Chand Verma : The hon. Minister has not answered my question. What is his opinion about it ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : अधिकतर राज्यों ने तीन स्तरीय व्यवस्था अपनाई है । किन्तु निर्धारित ढांचे के अन्तर्गत अपनी-अपनी पद्धति अपनाने की प्रत्येक राज्य को छूट दी गई है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तीन स्तरीय व्यवस्था है, सब को समान वयस्क मताधिकार दिया गया है तथा लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह तीन स्तरीय व्यवस्था विकास कार्य आरम्भ करने में कहां तक सफल रही है ? क्या सरकार ने तीन स्तरीय व्यवस्था के कार्य का मूल्यांकन किया है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : पंचायती राज व्यवस्था ने लोगों को न केवल स्थानीय प्रशासन में, अपितु विकास कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है । प्राप्त होने वाली जानकारी पर्याप्त आशाजनक है । जहां कहीं भी ये संस्थायें हैं वहां के लोग विभिन्न कार्यों में पर्याप्त रुचि लेते हैं । अतः जिन क्षेत्रों में अब तक पंचायती राज लागू नहीं किया गया है, वहां लागू किया जाना चाहिए । हम चाहते हैं कि सम्पूर्ण भारत में पंचायती राज हो ।

नलकूप खोदने के उपकरण

+

***1502. श्री मधु लिमये :**	**डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी :	**श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि विभिन्न राज्यों में नलकूपों की संख्या में बड़ा भारी अन्तर है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में बरमों, छिद्रण करने के उपकरणों तथा पम्पिग सेटों की अत्याधिक कमी है;

(ग) क्या राज्यों की इन उपकरणों तथा पम्पिग सैटों की मांग पूरी करने के लिए गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के संसाधनों को जुटाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में नलकूपों की संख्या में विद्यमान भारी अन्तर के सम्बन्ध में सरकार को जानकारी है ।

(ख) सरकार को राज्यों में बरमों, छिद्रण करने के उपकरणों तथा पम्पिग सेटों की वर्तमान संख्या और चौथी योजना के अन्तर्गत उसकी अतिरिक्त आवश्यकताओं के लक्ष्य को पूरा करने के सम्बन्ध में जानकारी है ।

जहां तक पम्पिग सेटों का सम्बन्ध है, समस्त मांग को पूरा करने के लिये देश में पर्याप्त क्षमता विद्यमान है ।

(ग) और (घ) राज्यों में विभिन्न किस्मों के छिद्रण करने के उपकरणों की मांग को पूरा करने और उनको प्रोत्साहन देने तथा उनके निर्माण के लिये गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों के लिये ससाधन जुटाये जा रहे हैं ।

यह आशा की जाती है कि 2 या 3 वर्षों में देशी साधनों में ही हस्त-छिद्रण सेटों समाघात मशीनों और उल्टे घूमने वाले पम्पों की मांग पूरी की जा सकेगी ।

राज्यों की गुल्ली बरमा क्षमता की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता देश में ही है । (कैल्कस और हीरक तरह की) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में लाइट डायरेक्ट रोटेरी, मीडियम डायरेक्ट रोटेरी और मध्यम समाघात बरमों का निर्माण आरम्भ हो चुका है और इनकी सप्लाई 1967–68 से आरंभ हो जायेगी ।

आशा की जाती है कि दो या तीन वर्षों के बाद छिद्रण करने के उपकरणों की समस्त आवश्यकता देश में होने वाले निर्माण से पूरी हो जायेगी ।

Shri Madhu Limaye : Will the hon. Minister give statewise figures of tubewells as also the per capita number of tubewells and the results of the different schemes formulated in different states ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे पास नलकूपों के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े हैं । जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है वह सर्व विदित है । राज्यवार नलकूपों की संख्या इस प्रकार है :

आंध्र	9
आसाम	17
बिहार	1025
गुजरात	634
मध्य प्रदेश	68
मद्रास	23
महाराष्ट्र	2
उड़ीसा	83
पंजाब	1245
उत्तर प्रदेश	8269
राजस्थान	11
पश्चिमी बंगाल	480

हरियाना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन सबका कुल जोड़ 11,875 है। गैर-सरकारी नलकूपों की संख्या इस प्रकार है :

आंध्र	27,990
बिहार	5269
मद्रास	4588
उड़ीसा	3
पंजाब	17,500
राजस्थान	337
उत्तर प्रदेश	23,990
अन्य राज्यों में कोई नहीं।	
कुल जोड़	79,677

नलकूपों की खुदाई उसकी भूमि पर निर्भर करती है। गंगा के मैदान की जलोढ़ भूमि इसके लिये उपयुक्त है। कुछ तटीय क्षेत्र और कुछ नदियों के डेल्टे भी नलकूपों के लिये उपयुक्त हैं।

Shri Madhu Limaye : In every state, particularlyi n Bihar, every body feels that there is a great shortage of tubewells. There is black marketing in this respect. There is a shortage of electricity also. I want to know whether the new Government of Bihar have submitted some scheme to the Central Government, in which it has been described that one thousand tubewells would be installed within a month. In this connection, they are of the view that there is great shortage of rigs. Hon, Minister has answered that it will be met within two or three years. It has been asked several times that the foodgrains should be sent to them immediately. Similarly, there is a shortage of foodgrains and rice in Kerala, I want to ask whether he is prepared to help the State Governments in this regard I am not asking about increasing the quota. If a scheme to increase production is prepared with help of pumping sets, rigs etc. by the Uttar Pradesh, Madhya Pradesh or Bengal Governments, whether the Central Government provide assistance to them ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक पम्पिग सेटों का सम्बन्ध है, लगातार सूखे, अचानक पम्प सेटों की भारी मांग बढ़ जाने और सप्लाई सम्बन्धी अस्थाई कठिनाइयों के परिणामस्वरूप स्थिति गम्भीर हो गई थी। परन्तु समस्त भारत में हमारी उत्पादन क्षमता इतनी है कि हम सब राज्यों की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। वास्तव में, हाल में ही, मांग में कमी के कारण कुछ उत्पादन यूनिट बन्द हो गये हैं। जहां तक पम्पिग सैटों का सम्बन्ध है देश में ही सारी आवश्यकताओं को पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यदि कोई राज्य सरकार कोई नलकूपों सम्बन्धी योजना बनाती है तो उसकी सहायता करना और उससे सम्बद्ध आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव होगा यह मैं अपने उत्तर में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि एक या दो वर्षों के दौरान् छिद्रक और बटमों का हमारे देश में ही निर्माण होना आरम्भ हो जायेगा। यदि आयात की आवश्यकता अनुभव हुई तो भी हम यह प्रयत्न करेंगे कि राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाये। पिछले वर्ष 2.5 करोड़ मूल्य की और इस वर्ष 1.5 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा को मन्जूर किया गया था और राज्य सरकार की मांगों को वित्त मन्त्रालय की सलाह से पूरी तरह पूरा किया गया था इसके कारण कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के विचारों से पूर्णरूप से सहमत हूं क्योंकि यह कार्यक्रम छोटे सिंचाई कार्यक्रम का एक भाग है और छोटे सिंचाई कार्यक्रम का हमारे कृषि कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Hon Minister has given the figures of tube-wells. I want the figures of pumping sets. Whether it is a fact that in a States of three or four crores popu'ation there are one and a lakh pumping sets whereas in States of eight crores population there are only eleven thousand pumping sets. There is a great demand of pumping sets there, but is not being met Besides this. there is a great demand of pumping sets which can be installed on Bajaras in the rivers. Taking all these aspects into consideration wheth r th hon. Minister will tell what is being done about those demands.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य भी किसी राज्य की किसी मांग के सम्बन्ध में बतायें तो मैं यह करने के लिये तैयार हूं कि हम उस राज्य की पम्पिग सैटों की आवश्यकताओ को शीघ्र पूरा करेंगे। मेरे विचार से यह एक व्यापक समस्या है क्योंकि यदि हम विभिन्न राज्यों की औसत सिचाई की ओर ध्यान दें, उदाहरणार्थ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मैसूर में औसतन सबसे कम सिचाई होती है। इसके अलावा और दूसरे क्षेत्र हैं,

जिनमें 30 से 40 प्रतिशत तक सिंचाई होती है। अतः असमानता है अवश्य है और हमारे उद्देश्य उसको दूर करना होना चाहिये, परन्तु इसके लिये लम्बी अवधि की योजना की आवश्यकता है।

Dr, Ram Manohar Lohia : He should figures in respect of pumping sets also.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वह सूची बहुत लम्बी है।

अध्यक्ष महोदय : वह उसे सभा पटल पर रख दें।

Shri George Fernandes : In a statment given by the hon. Minister it has been said that Government have the full capacity to fulfill all the targets mentioned in the Fourth Five Year Plan. So far as I think, it has passed two years, but your plan has not been prepared. A few days back, a plan for one year was presented. I want to know whether you have got the capacity to fulfil the targets mentioned in your plan.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह ठीक है चौथी पंच वर्षीय योजना अभी भी विचाराधीन है। इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु इसके परिणामस्वरूप छोटे सिंचाई कार्यक्रमों को बिल्कुल हानि नहीं होगी। लघु सिंचाई के सम्बन्ध में हमने जो भी लक्ष्य पिछले वर्ष निर्धारित किये थे वह सब पूरे हो गये हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना में जो भी आंकड़े अस्थाई तौर पर निर्धारित किये जायेंगे, उनके पूरे होने में किसी बात की शंका नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या माननीय मन्त्री को यह विदित है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जिला परिषद की कार्यवाही सामान्यता गैर सरकारी अध्यक्ष द्वारा चलाई जाती है और क्योंकि वहां गहरे और दूसरे नलकूपों के आवश्यक पुर्जे, जो केवल विदेशों में ही प्राप्त हो सकते थे जिनको प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न न किये जाने के कारण, इनमें से बहुत से गहरे कुएं बेकार पड़े हैं और इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम हुआ है। क्या यह बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी राज्य की विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में की गई मांग अवलम्बित नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी राज्य की विशेष मांग के सम्बन्ध में कुछ बतायेंगे तो मैं उसकी जांच करने के लिये तैयार हूँ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : There is a restriction in Uttar Pradesh that no presonal electricity tubewells can be installed near the canals or State tube-wells. The difficulty is, that there is not even one fourth water in the canals. Neither individual tube wells are permitted to be installed nor there is water in the canal and even the Grovernment guarantee about the water.

In these circumstances should we hope that on estublishing contacts with the Uttar Pradesh Government the hon. Minister will try this restriction may be abolished and the farmers might have the full independence of instaling tube-wells or their own ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह मामला राज्य सरकार की जानकारी में लाया जायेगा।

डा० रानेन सेन : माननीय मन्त्री ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि पश्चिमी बंगाल में केवल 480 नलकूप हैं। क्या सरकार इस बात का कारण बतायेगी कि पिछले 20 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केवल 480 नलकूप खोदे गये ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : छोटे सिचाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने सम्बन्धी जानकारी राज्यों के पास है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूं। पश्चिमी बंगाल में पानी की सतह की उपलब्धियां इतनी अधिक हैं कि भूमि के नीचे और पानी की सतह का उपयोग किया जा सकता है और इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का पर्याप्त क्षेत्र है ।

डा० रानेन सेन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इसके कारणों के जानने का प्रयत्न किया है कि पश्चिमी बंगाल के 20 वर्षों के दौरान केवल 480 कुए खोदे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य राज्य सरकार का है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : दुर्भाग्य से मैं उस राज्य (महाराष्ट्र) से आया हूं जहां 4 करोड़ लोगों के लिये केवल दो नलकूप हैं जबकि उत्तर प्रदेश में 8000 और बिहार में 1025 नलकूप हैं। क्या भारत सरकार इस तथ्य का पता है कि गंगा का मैदानी भाग ही भारत का उपजाऊ भाग नहीं है, विदर्भ, मरांथवाड़ा और खंडेश की मिट्टी संसार में सबसे उपजाऊ है। परन्तु उस क्षेत्र के पानी के सम्बन्ध में जांच नहीं की गई है। क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से मांग करने की प्रतीक्षा कर रही है ? नलकूपों का क्षेत्रीय वितरण करने के लिये सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भूतत्वीय सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में तापती घाटी सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और हम उस क्षेत्र में नलकूप लगाये जाने की सम्भावना का सर्वेक्षण कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस मामलों पर राज्य सरकारें विचार करती हैं। यदि संसद प्रत्येक जिले के सब मामलों पर चर्चा करनी आरम्भ कर दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

बड़े पत्तनों से माल के परिवहन में बिलम्ब

+
*1503. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े पत्तनों में विलम्ब न होने देने तथा इनके द्वारा ढोये गये निर्यातित अथवा आयातित माल की लागत को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय जहाज-मालिक परिषद ने क्या सुझाव दिये हैं;

(ग) सबसे अधिक कठिनाई किस पत्तन को उठानी पड़ती है; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) यह विवरण संलग्न है ।

विवरण

कलकत्ता पत्तन पर नदी को गहरा खोदकर और नदी कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण देकर हुगली नदी की गहराई में वृद्धि होगी । हलदिया में अभी एक गोदी प्रणाली चालू की जा रही है । श्रम क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहत्मक टन भार योजना चालू की गई है । आने वाले जहाजों द्वारा पूरी तौर सर बर्थ के प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से माल की शीघ्र निकासी की जा रही है ।

बम्बई पत्तन पर नवम्बर, 1964 से जहाजों को रजिस्टर करने की एक प्रणाली चालू की गई है जिसके अनुसार बम्बई पहुंचने वाले जहाजों को बम्बई में पहुँचने की तारीख के आधार पर बर्थ के लिये पेशगी रजिस्ट्रेशन कराना होगा पत्तन बर्थ क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से गोदी विस्तार की योजना क्रियान्वित की जा रही है । बूचर द्वीप स्थिति मेरिन आयल में डोलफिन्स में तेलपोतों को 53,000 टन भार की अनुमति देकर इस वर्ष की क्षमता को बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में उठाये गये अन्य उपायों में अतिरिक्त माल को उठाने वाला संयत्र, एलेक्जेन्डर गोदी में वर्तमान पम्पों का बिजली से चलने में परिवर्तित किया जाना और पारवहन रौडों से माल को शीघ्रता से हटाया जाना शामिल है ।

मद्रास में एक अयस्क और तेल की गोदी का निर्माण किया जा रहा है ।

कोचीन में, ऐरनाकुलम चैनल में एक खुली बर्थ का निर्माण किया जा रहा है । एक नई गहरी खुदाई की मशीन को प्राप्त करने पर भी विचार किया जा रहा है ।

विशाखापटणम में दो अयस्क बर्थ, एक छोटा घाट, एक सामान्य माल बर्थ और एक उर्वक बर्थ को पूरा होने पर पत्तन की बर्थ क्षमता बढ़ गई है । दिसम्बर, 1967 तक दूसरी सामान्य माल बर्थ पूरी होने की आशा है । चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रवेश चैनल को गहरा और चौड़ा करना, तीन जेटी बर्थ को घाट बर्थ में परवर्तित करना, एक नया स्वागत और प्रेषण यार्ड का खोला जाना, मालगोदाम में सुविधाओं का दिया जाना, जलयानों और उपकरणों का प्राप्त किया जाना शामिल हैं ।

मारमुगोआ में एक यान्त्रिक अयस्क लदान प्रणाली और 60,000 टन भार क्षमता का अयस्क स्तम्भ ले जाने वाला जलयान और पी० ओ० एल० यातायात को बनाये रखने के लिये एक अलग तेल बर्थ स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

चौथी योजना के अन्तर्गत माल को एक बर्थ से दूसरी बर्थ पर आसानी से भेजने के लिये अतिरिक्त माल उठाने वाले उपकरणों को प्राप्त करने का सुझाव दिया गया है ।

कान्दला में रात्रि नौचालन के लिये भी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है। माल को उठाने के लिये पर्याप्त मात्रा में माल डिब्बों का प्रबन्ध किया गया है। पत्तन और राजपथ को अहमदाबाद और कान्दला से जोड़ने वाली बड़ी लाइन पर काम पूरा होने पर माल को गोदी से उठाने का कार्य तेजी से होने लगेगा। साधारण माल के लिये एक नई बर्थ और तेल पोतकों के लिये एक जैटी के शीघ्र उपलब्ध होने की आशा है।

(ख) अखिल भारतीय जहाज-मालिक परिषद् से इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जहाज को रोकने और माल की छटाई करने के सम्बन्ध में विभिन्न पत्तनों पर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां का अनुभव हुआ है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये की गई कार्यवाहियों का उल्लेख प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि संसद की प्राक्कलन समिति ने मुख्य बन्दरगाहों में, विशेषकर कलकत्ता में सामान के लाने ले जाने में होने वाली देरी को दूर करने के लिये कई बार कुछ सुझावों के लिये सिफारिश की है और यदि हां तो क्या उन सिफारिशों पर विचार किया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया गया है।

डा० वी० के० राव० वी० राव० : मैं यह नहीं कह सकता हूं कि क्या उन विशेष सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है या नहीं। परन्तु कलकत्ता में बन्दरगाह के सुधार के लिये बहुत काम किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही है, कलकत्ता बन्दरगाह को कुछ प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मुझे भय है कि जब तक हल्दिया की सहायक बन्दरगाह का विचार नहीं हो जाता है कलकत्ता को लगातार कुछ कठिनाइयों का सामना करते ही रहना पड़ेगा।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में बताया गया है :

"सामान्य सामान के लिये एक नया स्थान तथा तेल के जहाजों के रक्षित स्थानों के लिये एक जैसी के निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना है।"

मैं जानता चाहता हूँ कि क्या काम आरम्भ हो गया है, इसके लिये कितना समय लगेगा और इसके लिये कितने धन की आवश्यकता होगी तथा क्या इसे चौथी योजना में नियत किया गया है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इसके लिये सूचना चाहिये।

Shri Yashpal Singh : A complaint was made by the Government of U.S.A. that generally it takes eight to ten days to unload foodgrains and vacate the ships sent by them whereas this work could be done within eight hours. May I know the number of docks which were short of requirements and what is this shortage at present? Which are the sources of unloading as require and the shortage thereof and the time by which this shortage will be removed?

डा० वी० के० आर० वी० राव : वास्तव में अमरीका द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनायी हैं क्योंकि केवल दो दिन पहले समाचारपत्र में मैंने एक विवरण देखा था जिसमें अम-रीका के कृषि विभाग को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि भारत गत दो अथवा तीन वर्षों में अनाज प्राप्त करने की अपनी क्षमता को दुगुना कैसे कर सका है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं जान सकता हूँ कि हल्दिया परियोजना के पूरा होने तक पराद्वीव की मुख्य बन्दरगाह कलकत्ता बन्दरगाह के भारी काम को कहां तक कर सकी है। मैं चाहता हूँ कि उत्तर आंकड़ों सहित दिया जाये।

डा० वी० के० आर० वी० राव : आंकड़ों सहित उत्तर यह है कि तत्काल इस समय यह लगभग शून्य है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : हमारी बन्दरगाहों की दो मुख्य समस्यायें हैं बन्दरगाहों की धीमी उत्पाद तथा आने-जाने वाले जहाजों का जमाव। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन बन्दरगाहों के उत्पाद का कार्य अध्ययन पर आधारित कोई मूल्यांकन किया है तथा क्या "क्थींग थेटी" नामक मैथमैटिकल माडल पर आधारित जहाजों के आवागमन को तेज करने का प्रयत्न किया है ?

डा० वी० के० राव० वी० राव : मैं मैथमैटीकल माडल, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, का पता लगाने का प्रयत्न करूंगा। परन्तु जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हमारी बन्दरगाहों ने अच्छा काम किया है। गत तीन अथवा चार वर्षों में अनाज उर्वरक तथा अन्य सामान के आयात में वृद्धि हो गई है जिसके कारण माल के यातायात को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हमें अनाज और उर्वरक के यातायात को सर्वप्रथम सर्वाधिक प्राथमिकता देनी पड़ी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में कलकत्ता बन्दरगाह के सम्बन्ध में कई उपायों का उल्लेख किया गया है परन्तु अधिक विस्तार करने की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है ताकि अधिक स्थानों की व्यवस्था की जा सके। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि उन विस्तार योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है जो कलकत्ता में किंग जार्ज डाक के सम्बन्ध में चिरकाल से अनिर्णीत पड़ी हुई है तथा जिनसे आने वाले अधिक जहाजों के लिये पर्याप्त स्थानों की व्यवस्था हो जायेगी ? क्या उन्हें इस बात का पता है कलकत्ता में स्थानों को रक्षित करने की सुविधाओं की चिरकाल से कमी होने के कारण जहाजों को नदी में प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिससे वहां भ्रष्टाचार फैल गया है जिससे जहाजों को वर्तमान स्थानों में प्रवेश करने के लिये प्राथमिकता प्राप्त करने के हेतु घूस देनी पड़ती है। क्या उन्हें इस बात का पता है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : प्रश्न के भ्रष्टाचार भाग के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। परन्तु कलकत्ता बन्दरगाह प्राधिकारियों ने गत तीन योजनाओं की अवधि में गोदी सुविधाओं का विकास करने के लिये 46 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। सचाई तो यह है कि गत तीन योजनाओं की अवधि में सबसे अधिक खर्च

कलकत्ता बन्दरगाह पर किया गया है। परन्तु हम यह महसूस कर रहे हैं कि जब तक फरक्का बांध पूरा नहीं हो जाता है और हल्दिया गोदी प्रणाली लागू नहीं हो जाती है तब तक हम कलकत्ता की उपलब्ध सुविधाओं में कोई खास सुधार नहीं कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने जो खास प्रश्न पूछा था उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है। किंग जार्ज डाक के विस्तार के लिये कई वर्षों से अनिर्णीत पड़ी हुई योजनाओं का क्या हुआ है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे मंजूरी प्राप्त उन योजनाओं का पता नहीं है जो कई वर्षों से अनिर्णीत पड़ी है। मुझे उनका कोई ज्ञान नहीं है। मैं उस बारे में जांच करूंगा।

श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : क्या यह सच है कि हमारी वस्तुओं की आयात और निर्यात लागत अधिक होती है क्योंकि हमें तुलनात्मक अधिक भाड़ा देना पड़ता है तथा भाड़े की दर अधिक होने के बावजूद जहाजरानी कम्पनियां प्रसन्न नहीं हैं तथा वे और वृद्धि करने के लिये आग्रह कर रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय एक निश्चित सीमा निर्धारित करने के लिये विचार करेंगे जिससे बन्दरगाहों की स्थिति में सुधार हो और वे विश्व के अन्य बन्दरगाहों के समान हो जाये ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : निश्चित सीमा निर्धारित करना कठिन नहीं है परन्तु उस निश्चित सीमा को कार्य रूप देना कठिन है क्योंकि उसको कार्य रूप देना धन की उपलब्धता तथा उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : मेरे प्रश्न के पहले भाग को क्या हुआ है ? क्या यह सच है कि हमारी वस्तुओं की आयात तथा निर्यात लागत अधिक है क्योंकि हमें तुलनात्मक अधिक भाड़ा देना होता है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : निस्सन्देह मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य को भी पता है कि हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धा कम हो गई है क्योंकि हमें अधिक भाड़ा देना पड़ता है। यह बात सर्वत्र विदित है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या विशाखापटनम बन्दरगाह, जिसमें भी बहुत जमाव हो जाता है, विस्तार करने के बारे में भी कोई योजना है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य को पता है कि विशाखापटनम बन्दरगाह ने गत कुछ वर्षों में अच्छा ही काम किया है तथा उसका और बिस्तार करने की भी योजना है।

Shri O. P. Tyagi : Iron in large quantities is being exported from Vasdco de Gama Port in Goa. The accommodation arrangement of the labourer working there is not good. They have to come from a distance varying from five to seven miles. The result is that the output there is below expectation. May I, therefore, know whether it is a fact and if so the steps being taken by Government in this direction ?

डा० वी० के० श्रार० वी० राव : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

गेहूं के मूल्य में वृद्धि

*1504. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री श्र० कु० किस्कु : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श० ना० माइती :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खाद्यान्नों का आयात आरम्भ किये जाने तथा उचित मूल्य की दूकानें खोले जाने के पश्चात् गेहूं के मूल्य कितने प्रतिशत बढ़े हैं; और

(ख) क्या काननी राशन व्यवस्था के लागू किये जाने के पश्चात् अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों के परिणामस्वरूप हो रहा खर्च उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता है और यदि हां, तो कितना प्रतिशत खर्च ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों का आयात बहुत समय से हो रहा है। उचित मूल्य की दुकानें भी दूसरे विश्व युद्ध से खुली हुई हैं। तथापि एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात् गेहूं के थोक मूल्यों का अखिल-भारतीय सूचनांक दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1268/67]**

गेहूं के मूल्य में वृद्धि केवल गत 3 अथवा 4 वर्षों में महत्वपूर्ण हुई है जो लगातार फसल के खराब होने तथा अनाज के उत्पादन और मांग के बीच बहुत अन्तर होने के कारण हुई हैं।

(ख) राशन विभाग के कर्मचारियों और खाद्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों पर होने वाला व्यय आयातित अनाज की मितव्ययीय लागत गिनते समय जोड़ दिया जाता है। तथापि, चूंकि यह व्यय आयातित गेहूं के मूल्यों में राजसहायता देकर अधिकतर पूरा कर दिया जाता है अतः कर्मचारियों पर होने वाले व्यय का उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि भाण्डागारों में अनाज जमा करने में हो रहे कुप्रबन्ध तथा अनाज के जमा होने से, जिसकी समय-समय पर खबर दी जाती है, देश में गेहूं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अनाज को लाने ले जाने और उसका संग्रह करने में जो नुकसान होता है वह ऐसे अनाज की कुल मात्रा का, जिसका लेनदेन होता है। एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसलिये मैं यह नहीं समझता कि उपभोक्ताओं के लिये कुल लागत पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि जोनल पद्धति से भी मूल्य में इस प्रकार वृद्धि हुई है और यदि हां तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय मंत्री की इस बारे में अपनी विचारधारा हो सकती है। निस्सन्देह यहां भी......

अध्यक्ष महोदय : उनकी विचारधारा क्या है ? क्या जोनल पद्धति भी इसके लिये उत्तरदायी है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे विचार से नहीं।

श्री स० चं० सामन्त : कुछ राज्यों में इतना अधिक गेहूँ है कि वह वहा पड़ा सड़ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों में वह अधिक मूल्य पर बिक रहा है।

श्री अ० कु० किस्कु : गेहूँ के मूल्यों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्यों ने ऐसे क्षेत्रों में जहां कानूनी राशन व्यवस्था है, अनाज की लगातार और पर्याप्त मात्रा में मैं सप्लाई करने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ? यदि कई बार निरन्तर रूप से सप्लाई नहीं की गई है तो सरकार उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक आयातित गेहूँ का सम्बन्ध है राशन वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न और विशेषकर, गेहूँ 55 रुपये प्रति क्विंटल के निर्गम मूल्य के हिसाब से दिया जाता है। मेरे विचार से यह कहना सही नहीं है कि राशन वाले क्षेत्रों में सप्लाई में रुकावट हुई है।

श्री श० ना० माइती : आयातित गेहूं के देशीय मूल्य और निर्गम मूल्य में क्या अन्तर है तथा सरकार उचित मूल्य की दुकानें खोलने के सम्बन्ध में एक समान नीति बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सभी राज्यों के लिये राज्य सरकारों द्वारा बताये गये स्थानों पर आयातित गेहूँ की मितव्ययीय लागत 67.25 रुपये और निर्गम मूल्य 55 रुपये है।

Shri Yashpal Singh : The worse thing than the increase in prices that has taken place is the loss of self-respect of people. Today people have to stand in queue even for twelve hours to purchase one kilo of wheat. In other countries people stand in queues for military discipline and for the protection of their country but in our country a thousand persons are forced to stand in queue even upto 12 p.m. to purchase one kilo wheat. At one place a lady had to stand in a queue with a three year old child upto eight long hours and the child had to go without water and he collapsed thirsty in her mother's lap. I want to know who is responsible for this state of affair, how the self-respect of the people will be protected and who will be held responsible to supply wheat at the houses of the customers ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ऐसे क्षेत्रों में जहां कानूनी राशन व्यवस्था है और जहां पर औपचारिक रूप से राशन व्यवस्था है उचित मूल्य की दुकानें राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं।

Shri Arjun Singh Bhadoria : May I know whether Government is considering any preposal to check an increase of more than one anna per kilo of wheat next year at which Government purchased it this year ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैंने आयातित मूल्य के सम्बन्ध में पहले ही स्थिति बता दी है। हम 55 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं देते हैं। हमने राज्य सरकारों को भी ये हिदायतें दी है कि जहां तक सम्भव हो वे थोक स्तर पर से 5 रुपये प्रति क्विटल और फुटकर व्याप्त स्तर पर 3 रुपये से अधिक न लें अर्थात् सब मिलाकर वे निर्गम मूल्य से 8 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक न बेचे।

जहां तक देशी गेहूं अथवा अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है हमने उन्हें ये हिदायतें दी हैं कि वे परिवहन, ढुलाई और संग्रह आदि के रूप में 10 से 12 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक न लें।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि कलकत्ता से रेल द्वारा भेजे जाने वाले गेहूं का रास्ते में 10 प्रतिशत नुकसान हो जाता है ? यदि हां, तो नुकसान की इस प्रतिशतता को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ने जो आंकड़े बताये हैं वे सही है। यदि उन्हें किसी खास मामले का पता है तो वह मुझे बता सकते हैं मैं उसकी जांच कर लूंगा।

Shri R. Shastri : May I know whether there is any difference of price of wheat which is supplied to different rationed shopes at different States of the country ? If so the extent there of and which is that State whether the price of wheat is maximum and the what is the name of the State where the price is minimum and the reasons therefor ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि मैं प्रश्न को ठीक तरह से समझ सका हूं तो आयातित गेहूं के सम्बन्ध में स्थिति मैं पहले ही बता चुका हूं।

Shri R. Shastri : I have asked whether there is any difference of price in different States of wheat which is supplied to rationed shops, if so, the extent thereof ? I also want to know the name of the State in which the buyers have to pay the maximum price and the name of the State where they have to pay the minimum price and the reason for the same ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य रूप से दो प्रकार के अनाज का वितरण किया जाता है– आयातित गेहूं और चावल का। आयातित गेहूं की स्थिति मैं पहले बता चुका हूं। हम सभी राज्य सरकारों को 55 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं देते हैं। हमने उन्हें मुख्य रूप से ये हिदायतें दी हुई है कि वे ढुलाई, संग्रह, फुटकरों, थोक व्यापारियों आदि के मुनाफे जैसे कुछ आकस्मिक व्यय के लिये 8 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक न लें।

जहां तक चावल का सम्बन्ध है हम उसे 15 जुलाई से सभी राज्य सरकारों को 80 रुपये प्रति क्विंटल के सामान्य मूल्य पर दे रहे हैं। इसी तरह मुनाफे के सम्बन्ध में हमने उनको वही हिदायतें दी हुई है जो गेहूं के सम्बन्ध में है।

Shri Tulshidas Jadhav : The hon Minister has just now said that the economic cost of imported wheat is Rs. 67 45 and the issue price Rs. 55. Hence I would like to know when the States are issued wheat at the uniform rate then what are the reasons that the prices at fair price shops in different States are different.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : विभिन्न राज्य सरकारें व्यय के रूप में भिन्न भिन्न कर लगा देती है और इससे पता चल जाता है कि मूल्यों में अन्तर क्यों है। यहां तक इन वसूलियों को यथा सम्भव कम करने का सम्बन्ध हैं इस पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है।

Shri Tulshidas Jadhav : What are the reasons for this variation ?

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether Government have fixed the number of families to which wheat will be given from a shop. May I know whether Government have also arranged to make available the foodgrains at the time when the poor persons get their salary and they have money with them ? At some places it has been noticed that foodgrains are not available at shops when the labourers get their pay. May I therefore know whether keeping in view all these things this fact will be taken into account that Foodgrains are available at shops at all times ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : किसी राज्य के किस क्षेत्र में मैं उचित मूल्य की कितनी दुकानें होनी चाहिये इस पर निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है। इस समय समुचे देश में लगभग 1 48,774 दुकानें चल रही हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : In the second part of my question, I had asked whether this thing will be taken into account that the Foodgrains are available at shops at the time when the labourers get their pay. Some times it so happen, that when he has money with him the foodgrains are not available which unables him to purchase the same. So, I wanted to know whether this thing will taken into account that foodgrains are available at all times ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : स्थानीय वितरण करना राज्य सरकार का काम है।

Shri Shiv Charan Lal : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that the wheat which is available at the Government shop is so had that it spreads diseases ? May I know whether the hon. Minister will try to take such steps to replace good wheat for the one which is available at Malgodam in my district Agra and which it is feared may spread diseases ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक केन्द्रीय गोदामों से खाद्यान्नों के दिये जाने का सम्बन्ध है उसकी जांच करने के लिये एक निरन्तर पद्धति है। यदि कोई ऐसा उदाहरण है तो वह राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जा सकता है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उचित मूल्य की इन दुकानों से इतनी मात्रा में अनाज नहीं दिया जाता है जिससे सामान्य लोगों की आवश्यकता पूरी हो सकती है, क्या सरकार राज्य सरकारों को ऐसी हिदायतें देने के लिये विचार करेंगी कि राशन व्यवस्था प्रणाली कुछ आय वर्ग से नीचे की कुछ श्रेणियों के लोगों के लिये ही हो

तथा जो लोग खुले बाजार से अनाज खरीद सकते हैं वे राशन व्यवस्था प्रणाली के अन्तर्गत न आयें।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : किसी राज्य में कितना अनाज दिया जाये यह काम राज्य सरकार के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाता है चाहे वे गेहूँ की उपलब्ध मात्रा के आधार पर मात्रा को निश्चित करते हैं परन्तु क्या मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिये यह बात स्पष्ट कर दूं कि हमने अनौपचारिक और औपचारिक राशन व्यवस्था के अन्तर्गत 241 मिलियन से अधिक लोग ले लिये हैं जो समूचे देश की उचित मूल्य की दुकानों का, जो गरीब लोगों की आवश्यकता को पूरी करती है, एक बहुत बड़ा काम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि मूल्य आयोग ने गेहूँ के बारे में कोई सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गेहूँ के समाहार मूल्य निश्चित करते समय कृषि मूल्य आयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया था। परन्तु जैसाकि मैंने पहले बताया, सरकार ने राज्य सरकारों की सलाह से निर्णय किया और गेहूं के बारे में जो समाहार मूल्य निश्चित किये गये हैं वे कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये मूल्यों से कहीं अधिक हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने गेहूं के सौदे के बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की है। आपका उत्तर क्या है ?

श्री स्वैल : श्री सामन्त द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि खाद्य-पदार्थों के भण्डारी के कारण जो हानि हुई है वह नगण्य है। परन्तु कई विशेषज्ञों की राय यह है कि भारत में चूहों तथा दोषपूर्ण मण्डारीकरण से खाद्य की जो हानि होती है वह बहुत अधिक है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में हैं कि इस प्रकार कितनी हानि होती है और यदि वह यह जानकारी नहीं दे सकते हैं तो क्या वह इस मामले की जांच करके यह जानकारी सभा को देंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने सरकारी भण्डारों का उल्लेख किया था। यह सच है किसान के हां काफी अनाज बेकार हो जाता है क्योंकि गांवों में अनाज रखने के लिये उचित सुविधायें नहीं हैं और वहां पर चूहे भी होते हैं। मैंने सरकारी गोदामों में होने वाली हानि का उल्लेख करते हुए यह कहा था कि हानि नगण्य हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know the basis on which foodgrains are issued to villagers through fair price shops in the different States and the categories of people to whom they are issued ? Have any such complaint been received that instead of making foodgrains available to bonafide villagers, they are issued to those people who are not entitled for them ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को दी जाने वाली अनाज की मात्रा निश्चित करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker. I wanted to know the basis on which foodgrains are being issued and the categories of people to whom they are issued as it is not possible to make these supplies to all the people ? May I also know the quantum of foodgrains issued in the different States and whether any complaints have been received against this distribution system ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें किसी राज्य सरकार से कोई विशिष्ठ शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से कम अन्य वाले लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है । इसलिये उन्नत देशों में राज्य सहायता दी जाती हैं जिससे कम आय वाले वर्ग को परेशानी न हो । क्या भारत सरकार का भी ऐसा करने का इरादा है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम भी अपने देश में राज्य सहायता दे रहे हैं । इस वर्ष 119 करोड़ रुपये राज्य-सहायता के रूप में दिये गये जबकि पिछले वर्ष 129 करोड़ रुपये दिये गये थे ।

Shri Mrityunjaya Prasad : Is it a fact that due to lack of purchasing power, villagers do not purchase the full quantum of foodgrains and thus these are surplus stocks with most of the shopkeepers and if so, whether these surplus stocks are taken into account while giving them fresh quota ? May I also know whether directions are given to the flour mills and such other big firms by the centre or these are given by the State Governments only ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि लोगों के पास पैसा कम होने की वजह से वे पूरी मात्रा में अनाज नहीं खरीद सकते हैं । सस्ते दामों पर अनाज की दुकानों से अनाज के वितरण पर राज्य सरकारों का पूरा नियन्त्रण है । प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मुझे यह कहना है कि हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनाज नहीं देते हैं । हम मिलों और राज्य सरकारों को अनाज देते हैं ।

Shri Lakhan Lal Kapoor : Mr. Speaker, on one hand people are not getting foodgrains and on the other hand wheat of Central godown was lying in the open on Patna Railway Station on 23rd and 24th July last was being spoiled due to rains. May I know the quantity of wheat which was thus spoiled and the name of the person who was responsible for this and the action taken against him ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह समाचार-पत्रों में छपा है और हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि यह कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेवार था ।

श्री अमृत नाहाटा : राजस्थान के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में न ही आयातित गेहूं और न ही आयातित चावल दिया गया है । उन्हें आयातित ज्वार दिया जाता है । विदेशी ज्वार पर सरकार की क्या लागत आती है और सरकार इसे किस दाम पर बेचती है ? क्या यह भी सच है कि आयातित ज्वार मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं है ?

श्रीअन्नासाहिब शिन्दे : यह कहना ठीक नहीं है कि हम राजस्थान सरकार को गेहूं नहीं दे रहे हैं। हम उन्हें गेहूं की काफी मात्रा देते हैं। विदेशी ज्वार के मामले में 18·1 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से राज्य सहायता दी जाती है जोकि पर्याप्त है। मेरे विचार में यह सही हीं है कि विदेशी ज्वार मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त है अथवा ऐसी ज्वार दी जाती हैं। इस बारे में कड़ी निगरानी की जाती है।

Shri Ramgopal Shalwale : Are there such farmers in the country who store food-grains and later on when the prices are high they sell them ? This results in high prices throughout the year.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे जितना फालतू अनाज है उसे खरीद लें जिससे वह संघ राज्य-क्षेत्रों अथवा राज्य में लोगों को उपलब्ध हो सके।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दक्षिण रेलवे के फायरमैनों द्वारा बीमारी के बहाने सामूहिक तौर पर छुट्टी ली जाना

+

अ.सू.प्र. *39. श्री राममूर्ति :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री रवि राय :
श्री नम्बियार :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ग्रात्म दास :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री यदुं न सिंह भदोरिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के फायरमैनों के सामूहिक रूप से बीमारी के बहाने छुट्टी के लिये आवेदन पत्र भेज दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि सब मालगाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां; दक्षिण रेलवे की कुछ डिविजनों में कुछ फायरमैनों और इंजिन क्लीनरों ने ऐसा किया है।

(ख) रेलवे प्रशासन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा अनुभागीय फायरमैनों की परिषद द्वारा जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उनकी शिकायतों को दूर न किये जाने का विरोध प्रकट करने के लिये किये गये निर्णय के अन्तर्गत किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) रेल सेवा को जारी रखने के लिये यथासम्भव सभी उपाय किये गये हैं।

श्री राममूर्ति : तत्पश्चात यह सब कुछ शनिवार को हुआ। मैं और श्री नम्बियार मंत्री महोदय से मिले थे और इसके फलस्वरूप मंत्री महोदय बंगलौर जा कर दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक से मिलकर जब कल वापिस आये तो हमने उनसे बातचीत की और कुछ आश्वासन दिये जाने के फलस्वरूप हमने उन लोगों को तार द्वारा हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया और मुझे आशा है कि वे हड़ताल समाप्त कर देंगे। मंत्री महोदय ने सारी समस्या पर जिस भावना से विचार किया है मैं उसकी सराहना करता हूं। क्या मंत्री महोदय महाप्रबन्धक को ऐसी उदार भावना से काम लेने के लिये लिखेंगे जिससे फायरमैनों को तंग न करके उन्हें पूर्णतया बहाल कर दिया जाये।

श्री चे० मु० पुनाचा : दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक को पहले ही यह हिदायतें दी जा चुकी हैं कि सामान्य स्थिति स्थापित हो जाने के तुरन्त बाद इस सम्बन्ध में की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही की जाये।

श्री राममूर्ति : फायरमैनों को तंग न किया जाये, इस बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : वास्तव में माननीय सदस्य ने मुझे एक पत्र लिखा था और मैंने किये गये समझौते के अनुसार उन्हें उत्तर दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि लेखों को सरल बनाने के नाम पर इंजिन क्लीनरों तथा फायरमैनों के कुल वेतन में कमी कर दी गई है।

श्री चे०मु० पुनाचा : समय सारणी में किये गये परिवर्तनों, जो पर छः मास के बाद किये जाते हैं, तथा उस क्षेत्र में कुछ अनुभागों पर विद्युतीकरण के फलस्वरूप नई संचालन प्रक्रिया अपनाने से कुछ परिवर्तन किये गये हैं परन्तु ऐसा करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि इससे कर्मचारियों की छटनी न हो और उनको जो पहले वेतन मिल रहा है उसमें कोई कमी न हो।

Shri George Fernandes : From the report which has appeared in the Newspapers, on the agreement reached as a result of discussions that took place between Shri Ramamurti and the hon. Minister, it appears that the assurances given by the Minister are of routine nature. If these are acceptable to the strikers, I have no complaint to make but, Mr. Speaker, I have received a letter from the Trade Union of Southern Railway in which they have made an allegation against the Divisional Superintendent that he has broken all the old links. He has engaged only four persons where 12 persons-4 drivers, 4 first firement and 4 second firemen—were required to be engaged. As a result there has been

dislocation in the train services resulting in a huge loss. The employees and the people have also suffered on this account. May I know the action being taken against such a Divisional Suprintendent who is resp nsible for all these happenings ?

श्री चे० मु० पुनाचा : संचलन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये जो परिवर्तन किये गये हैं वे दक्षिण रेलवे की सारी रेलवे व्यवस्था में किए गए हैं। अन्य डिविजनों में कार्य सामान्य आधार पर चल रहा है. जबकि इस डिविजन में कुछ भ्रान्तियां और कुछ असंगतियां हैं उनकी जांच की जायेगी और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker. in regard to new links, there have been some such cases on the Eastern Railway also. A number of employees have been retrenched as a result of these new links. May I know whether this matter will be reviewed at a higher level to assess the effect of these new links on the workers and on the efficient working of the Railways ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह नई लिंक व्यवस्था संचालन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। जब कुछ रेलवे अनुभागों पर डीजल इंजिनों और कुछ अन्य अनुभागों पर बिजली के इंजिनों को प्रयोग में लाया जायेगा तो वहाँ पर समूचे संचालन के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जायेगी और इसके फलस्वरूप नई लिंक व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। अत: यह सब समूची रेलवे पद्धति में आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के फलस्वरूप किया जा रहा है। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस नई प्रक्रिया से रेलवे कर्मचारियों को कोई हानि न हो। इसके अलावा इन मामलों पर उच्च स्तर पर दोनों संघों से विचार-विमर्श किया जाता है और उन्होंने सामान्यतः इस प्रक्रिया के पक्ष में राय दी है।

श्री जे० एच० पटेल : कन्नड़ भाषा में प्रश्न पूछा (Spoke in Kannada).

श्री चे० मु० पुनाचा : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता है। रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों का मुफ्त इलाज किया जाता है।

Shri Rabi Ray : Mr, Speaker, strike by Foremen is going to be serious thing. Ten to twelve days back Foremen at Gangapur in Kotah Division of Western Railway went on strike as the Divisional Superintendent had withdrawn fans from their houses, May I know the total loss suffered by Railways on account of this strike in the Gangapur Kotah Division and the action taken against the Divisional Superintendent by whom the fans were withdrawn ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस प्रश्न के बारे में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। मैं इसे एकत्र करने का यत्न करूंगा।

Shri Rabi Ray : He has got the information out he does not want to give it.

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फायरमैनों तथा ड्राइवरों ने कोई नई मांग नहीं की है। चूंकि कुछ रियायतें वापस ले ली गई हैं, इसलिये यह झगड़ा खड़ा हो गया है। क्या हम यह समझें कि स्थिति सामान्य हो जाने के पश्चात इस मामले को सुलझा

लिया जायेगा, निलम्बित कर्मचारियों को बहाल कर दिया जायेगा और उनको किसी प्रकार से तंग नहीं किया जायेगा जैसा कि मन्त्री महोदय के साथ हुई हमारी बातचीत में निर्णय किया गया था ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, हम इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा स्थिति सामान्य हो जाने पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Arjun Singh Bhadauria : May I know whether the Ministry of Railways is thinking of penalising those high officers whose wrongful actions lead to strikes and huge losses ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि कुछ अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों के कारण यह सब हुआ है । कुछ असंगतियां थी जिनका कर्मचारियों ने विरोध किया है और इस में कुछ अप्रिय घटनायें हुई हैं । हम निश्चय ही मामले की जांच करेंगे और जो असंगतियां हैं उन्हें दूर किया जायेगा ।

Shri A. S. Saigal : Is it a fact that such things have been taking place in a number of zonal Railways and if so, whether a small committee will be constituted to look into this whole matter so that these things are not repeated in future ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रत्येक जोन तथा डिविजन में स्थायी वार्ता व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत मामलों पर विचार किया जाता है और रोजमर्रा के कार्य में पेश आने वाली कठिनाइयों तथा असंगतियों का पता लगाया जाता है । यदि कुछ कर्मचारी इस व्यवस्था का लाभ उठाने की बजाय हड़ताल करते हैं तो इससे कठिनाई होना स्वभाविक ही है । सम्बन्धित रेलवे इन मामलों के बारे में तुरन्त कार्यवाही करेगी और जो असंगतियां उनके ध्यान में लाई जाया करेंगी उनको दूर किया जाया करेगा ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : माननीय मन्त्री द्वारा प्रकट किये गये सहानुभूतिपूर्ण भावों के बावजूद यह सब जानते हैं कि रेलवे कर्मचारी शिकायत करने जा रहे हैं । माननीय मन्त्री को वास्तविक व्याधि का पता लगाना चाहिये । वह यह है कि रेलवे पर रेलवे मंत्रालय और रेलवे बोर्ड का दोहरा नियंत्रण है । रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि इस दोहरे नियंत्रण को दूर करना होगा । क्या वह इस पहलू पर विचार करने के लिये तैयार हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मुझे किसी दोहरे नियन्त्रण का पता नहीं है ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उन्हें इसका पता नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बड़े बन्दरगाहों का विकास

***1505. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बड़े पतनों के विकास को सर्वोच्च वरीयता देने का है, और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या मुख्य निर्णय किया गया है और इस विकास कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) हमारे आर्थिक विकास की सफलता के लिये, विशेष रूप से निर्यात संविधान के कार्यक्रमों के बारे में, बड़े बन्दरगाहों का विकास महत्वपूर्ण है। इसलिए यह चौथी पंच वर्षीय योजना की रूप-रेखा के प्रारूप में दिये गये परिवहन विकास के अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। रूपरेखा के प्रारूप में चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान 234 करोड़ रुपये की लागत का बड़े बन्दरगाहों के विकास का कार्यक्रम शामिल किया गया है। हल्दिया और मद्रास में नई गोदी व्यवस्था की स्थापना, बम्बई और कलकत्ता में स्थापित की जा रही गोदी व्यवस्था का विस्तार तथा आधुनिकीकरण, विभिन्न बन्दरगाहों में जहाजों के खड़े होने की क्षमता का विकास तथा बन्दरगाहों की परिचालन कुशलता को बढ़ाने के लिये वर्तमान पतन (हैंडलिंग) सुविधाओं को सुधारना इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यह आशा की जाती है कि इन उपायों से बड़ी बन्दरगाहों के लिये संभावित बढ़ा हुआ यातायात संभाल सकेंगी, जो तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में 5 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़कर चौथी पच वर्षीय योजना के अन्त में 8 करोड़ मीट्रिक टन हो जाने की आशा है।

चीनी उद्योग का लागत ढांचा

***1506. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** 6 जून, 1967 के तारांकित **प्रश्न संख्या 318 के उत्तर के** सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग के लागत ढांचे के बारे में नई जांच का आदेश देने के प्रस्ताव पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, अभी तक नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के वाइकाउन्ट विमानों के स्थान पर अन्य विमान चलाना

*1507. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री मधु लिमये :
श्री विश्वनाथ पान्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा वाइकाउन्ट विमान के स्थान पर नये किस्म के अन्य विमान चलाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसका इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की आय तथा कार्य-कुशलता आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) : इस प्रश्न पर कि क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउन्ट विमानों के स्थान पर अन्य विमान चलाये जाने चाहिये, और यदि हां, तो नये कौन से विमान चलाये जायें, इस प्रयोजन के लिये स्थापित की गई समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है।

Buses for D. T. U.

*1509. **Kanwar Lal Gupta :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri
Shri Atam Das :

Will the Minister af **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of buses required for transport purposes in Delhi and the number thereof available with the Municipal Corporation at present; and

(b) the steps being taken by Government to meet the shortage, if any ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) According to the Delhi Transport Undertaking, about 1100 buses are required to be opearted daily for transport purposes in Delhi. The D. T. U. has a f eet of 1064 buses at present, out of which about 854 buses are scheduled for daily operation.

(bj An amount of Rs. 140 lakhs has been provided in the current financial year's budget of this Ministry for loan assistance to the D. T. U. to enable it to purchase about 160 buses. Out of this amount, loan of Rs. 40 lakhs has already been given.

Use of Plane for Prime Minister's Visit Abroad

***1510. Dr. Ram Manohar Lohia :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that when the Prime Minister went on a visit to Cairo and Brioni last time, an Air India of I. A. C. plane was arranged for her and some alterations were made therein;

(b) if so, the expenditure incurred on these alterations and on restoring the plane to its original position;

(c) whether it is also a fact that on its return flight, the plane did not carry any passenger; and

(d) if so, the total number of seats in the said plane and the total loss suffered according to the fare per seat ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d) In July, 1966, the Prime Minister paid an official visit to V. A. R. and Yugoslavia. She travelled by Air-Indian's normal scheduled flights to Cairo and to Pula in Yugoslavis, and returned to Delhi via Moscow on July 16. For reaching Pula, the normal flight was resrouted. On none of these occasions was any alteration made or additional expenditure incurred by Air-India. However, in accordance with the normal practice, sleeper accommodation for the Prime Minister during over-night flights was provided. This did not involve any extra expenditure.

Food Zones

***1511. Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Ram Kishan :

Wil the Minister of **Food and Agrjculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the States are opposed to the Food Zones;

(b) whether Food Zones were also opposed in the recent Conference of State Chief Ministers and Food Ministers held in New Delhi; and

(c) if so, the action being taken to abolish Food Zones ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. The question of Food Zones was not discussed in the recent conference held on the 6th and 7th July, 1967.

(c) Does not arise.

दिल्ली में राशन का दिया जाना

***1512. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री श्रीधरन :
श्री मंगलायुमाडोम :
श्री मरन्डी :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री भोगेन्द्र झा :
डा० म० संतोषम् :
श्री रा० की० अमीन
श्री राममूर्ति :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राशन कार्ड प्राप्त व्यक्तियों को, चाहे उनके पास चार सप्ताह वाला कोटा कार्ड हो अथवा दो सप्ताह वाला कोटा कार्ड हो, दिल्ली में साप्ताहिक आधार पर राशन देने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राशन की इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) राशन कार्ड प्राप्त व्यक्तियों को अपनी अनुसूचित मांगों के अनुसार राशन कब से मिलने लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। अस्थाई रूप से 19 जुलाई, 1967 से राशन कार्ड प्राप्त व्यक्तियों को एक बार में केवल एक सप्ताह का राशन ले सकने की व्यवस्था की गई है।

(ख) जून के उत्तरार्द्ध में तथा जुलाई पूर्वार्द्ध में बन्दरगाहों में कम गेहूँ आने के कारण दिल्ली को गेहूँ भेजने की गति धीमी हो गई थी जिससे दिल्ली में स्टाक कम हो गया था।

(ग) अब बन्दरगाहों से दिल्ली में तेजी से स्टाक प्राप्त हो रहा है और आशा है कि शीघ्र ही स्थिति सुधर जायेगी। इसके बाद राशन कार्ड प्राप्त व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के अनुसार मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक आधार पर राशन देने की पुरानी व्यवस्था पुनः आरम्भ हो जायेगी।

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

***1513. श्री श्रीधरन :**
श्री मंगलायुमाडोम :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि यह हड़ताल न हो ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना कर्मचारी संघ ने दिनांक 14 जुलाई, 1967 के एक पत्र में शुक्रवार की अर्द्ध रात्रि, अर्थात 21/22 जुलाई 1967 से एक आम हड़ताल करने का नोटिस दिया था। 21 जुलाई, 1967 को हुई समझौते की बैठक में प्रबन्धकों तथा कर्मचारी संघ के बीच समझौता हो गया था और हड़ताल को रोका जा सका।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा फ्रान्सीसी उपकरण का आयात

***1514. श्री गुणानन्द ठाकुर :**
श्री मधु लिमये :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने 'फोर्कलिफ्ट' अथवा अन्य ऐसे ही उपकरणों की सप्लाई के सम्बन्ध में फ्रान्स की कम्पनियों/फर्मों से हाल ही में/गत वर्ष कोई करार किया है;

(ख) क्या इसका परिव्यय लगभग 8 लाख फ्रैंक था;

(ग) इस ठेके/करार/व्यवस्था के बारे में किसने शुरूआत की, किसने बातचीत की और किसने उसे स्वीकृति दी;

(घ) क्या ये उपकरण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हुए और बेकार पड़े हैं; और

(ङ) क्या इस मामले से सम्बन्धित किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने अप्रैल, 1967 में फ्रांस से 5 फोर्कलिफ्ट डीजल इन्जन खरीदे थे।

(ख) जी, हां।

(ग) ये इंजन कारपोरेशन के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत अध्ययन के आधार पर खरीदे गये थे।

(घ) जी, नहीं। इनमें से प्रत्येक को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और हैदराबाद में प्रयोग किया जाता हैं। बम्बई में एक यूनिट चालू हो चुका है। अन्य स्टेशनों पर इन्हें प्रयोग करने के लिये इनके चलाने, संघनन यथा ओवरहाल करने में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Bombay Port Trust Employees

*1515. **Shri Raghuvir Singh**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether a tripartite meeting was held in New Delhi on the 21st July, 1967 to consider the demands of the employees of the Bombay Port Trust; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) (a) A series of meetings have been held between the 16th and 25th July to discuss certain demands of the Bombay Port Trust Employees' Union.

(b) It was expeced that a settlement would be reached on the basis of the talks. The Union has however resorted to a lightning Strike from the afternoon of the 29th July.

Traffic on Jamuna Bridge Delhi

*1516. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Ram Avtar Sharma : Shri Prakash Vir Shastri : Shri O. P. Tyagi : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Ram Charan :**

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that traffic on Jamuna Bridge, Delhi is increasing tremendously;

(b) whether there is so much traffic on the bridge in the mornings and evenings that one finds it difficult to cross it and the number of accidents there is also increasing day by day as a result thereof; and

(c) if so, the steps being taken to remove the difficulty ?

The Deupty Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) It has come to the notice of the Government that some persons experience difficulty during the peak traffic hours in the mornings and evenings while crossing the Jamuna bridge. The number of accidents. which occurred on this bridge during the first six months of the calendar year, 1967, was also more than that in the corresponding period of the calendar year 1966.

(b) A bridge over the Wazirabad barrage across the river Jamuna and a railway bridge behind Purana Qila, with foot paths, have already been completed. bridge over the Jamuna near Humayun's Tomb and another bridge across the barrage over the Jamuna near 'C' Power House are under construction. A boat bridge is also provided by the Municipal Corporation of Delhi the dry weather.

During the peak traffic hours. four additional constables are posted at the bridge to regulate traffic, Recently, two man pack wireless sets have been provided, which are utilised for inter-communication between the police parties at the two ends of the Jamuna bridge. The movement of heavy transport vehicles has been restricted on the bridge. The traffic police also divert the traffic via the Wazirabad barrage whenever necessary.

चीनी के कारखाना मूल्यों में वृद्धि

*1517. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री शारदा नन्द :
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण : श्री टी० पी० शाह -
श्री बृज भूषण लाल : श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और केरल में चीनी के कारखाना मूल्यों में संशोधन और वृद्धि की हैं;

(ख) यदि हां, तो संशोधन से पहले और बाद के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है;

(ग) इन क्षेत्रों में गन्ने के कितने मूल्य बढ़ाये गये हैं तथा गन्ने के बढ़े हुए मूल्यों का कितना अंश उपभोक्ता पर डाल दिया गया है;

(घ) गन्ने के मूल्यों में वृद्धि का कितना अंश कारखानों द्वारा वहन किया जायेगा;

(ङ) ऐसे प्रत्येक क्षेत्र मे चीनी के संशोधित फुटकर मूल्य क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हैं, और

(च) इसके लिये अधिक से अधिक गन्ना चीनी मिलों की बजाय गुड़ और खांडसारी के उत्पादन के लिये दिया जाये, यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी, हां। स्थिति इस प्रकार हैं:—

राज्य/क्षेत्र		पुनरीक्षण से पहले कारखाना मूल्य (प्रति क्विन्टल)	पुनरीक्षण के बाद कारखाना मूल्य (प्रति क्विन्टल)	वृद्धि की प्रतिशतता
गुजरात	भाग क	143.05	144.97	1.3
	भाग ख	131.80	134.38	1.96
उड़ीसा		140.05	149.05	6.4
महाराष्ट्र		129.30	132.56	2.5
मैसूर	भाग क	130.95	133.62	2.0
	भाग ख	139.40	142.31	2.1
आन्ध्र प्रदेश		143.15	161.57	12.9
केरल		159.65	170.57	6.8

(ग) जौर (घ) 1966-67 के लिये गन्ने का मूल्य आरम्भ में 1 नवम्बर, 1966 को नियत किया गया था और 27 दिसम्बर, 1966 को बढ़ाया गया था। उपभोक्ताओं द्वारा देय चीनी का कारखाना नियंत्रित मूल्य नियत करते समय गन्ने के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखा गया है।

(ङ) चीनी का फुटकर मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है और किसी विशेष स्थान पर चीनी के पहुंचने पर लागत, स्थानीय करों, प्रासंगिक व्यय आदि के अनुसार चीनी की लागत समय समय पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(च) चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा चीनी के स्थान पर गन्ने का गुड़ और खांडसारी में प्रयोग किये जाने को रोकने के उपाय सरकार के विचाराधीन है।

Foodgrains Quota of States

*1518. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the basis for the allocation of quota of foodgrains, sugar and fertilisers to the different States?

(b) the date when the present basis was determined; and

(c) the changes made therein during the last 20 years, date-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture Community Development and Cooperation [Shri Annasaheb Shinde) : (a) Allocations of foodgrains from the Central Pool to the various States are made on the basis of overall availability with the Centre and the relative needs of each State. Allocations of sugar are made on the basis of total availability and the requirements of each State. Allocations of fertilizers are made on the basis of priorities for particular requirements.

(b) In the case of foodgrains, from the very beginning of Central allocation, in the case of sugar, from April, 1963 when complete control on distribution of sugar was reimposed and in the case of fertilisers, from the current financial year.

(c) There has been no change in the basis of allocations in the case of foodgrains and sugar. In the case of fartilizers, prior to 1966-67, allocations were made on the basis of demands/requirements and the cverall availability in the Pool.

चीनी के भावों में समानता

*1519. **श्री विश्वनाथ पान्डेय** :
श्री नि० र० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 6 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 315 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के भावों में समानता लाने के प्रस्ताव पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस बारे में निर्णय भावी चीनी नीति पर निर्भर करेगा, जो सरकार के विचाराधीन है।

कोंकण तट पर जहाजरानी सेवा

***1520. श्री मधु लिमये :** **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री रवि राय :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण तट की जहाजरानी सेवा के यात्री किराये बढ़ाने के लिये मन्जूरी देने के प्रश्न पर विचार करने के हेतु नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां. तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी०राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं से दूध की सप्लाई

1521. श्री म० ला० सोंधी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के टोकन वाले व्यक्तियों को दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं से हमेशा और विशेष रूप से आजकल, पूरी मात्रा में दूध नहीं मिलता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि टोकन वाले व्यक्तियों को दूध लेने के लिए दूध के डिपुओं पर लम्बी लाइनों में कई घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कभी कभी तो उन्हें दूध बिल्कुल भी नहीं मिलता;

(ग) क्या सरकार का विचार वितरण पद्धति को ठीक करने तथा अन्य देशों की तरह काम करने के सामान्य समय में दूध के वितरण की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दूध के टोकन प्राप्त व्यक्तियों को नियत मात्रा में दूध देने के

लिये दिल्ली दुग्ध योजना दूध के वितरण को अपरिवर्तित स्तर पर बनाए हुए है। तथापि कभी कभी टोकन प्राप्त व्यक्तियों को दूध न दिये जाने के बारे में शिकायतें मिलती हैं और उन्हें दूर करने के लिये तुरन्त उचित कार्यवाही की जाती है।

(ख) अधिक वितरण वाले दूध डिपुओं पर कभी-कभी दूध के वितरण में विलम्ब हो जाता है ऐसे डिपुओं के विभाजन के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ग) दूध केवल प्रातः और अपरान्ह में ही बांटा जाता है। सारे दिन वितरण की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि सारे दिन दूध का वितरण किया जावे, तो वितरण की लागत काफी बढ़ जायेगी।

(घ) टोकन प्राप्त व्यक्तियों को दूध न दिये जाने अथवा कम मात्रा में दिये जाने के बारे में शिकायतों को दूर करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं --

(1) डिपो कर्मचारियों को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं कि टोकन प्राप्त व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से दूध का नियत कोटा दिया जाना चाहिये।

(2) ऐसे लोगों को, जिनके पास टोकन नहीं है, दूध की बिक्री पर कड़ी पाबन्दी लगा दी गई है,

(3) टोकन प्राप्त व्यक्तियों को, नियत कोटा से अधिक दूध प्राप्त न हो, इसके लिये डिपुओं में "टिकलर फार्म' प्रयोग किये जाते हैं।

(4) वर्तमान डिपुओं पर भार कम करने के लिये नये डिपु खोले जा रहे हैं।

(5) डिपु कर्मचारियों द्वारा निदेश में भंग किये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाती है, जिसमें नौकरी से हटा देना तक शामिल है।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्री भाड़े में वृद्धि

***1522. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मरंडी :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 1 अगस्त 1967 से यात्री किरायों में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस वृद्धि से इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कितनी अतिरिक्त आय होने की आशा है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां। आसाम क्षेत्र को छोड़ कर जहां पर वृद्धि केवल 5 प्रतिशत हुई है।

(ख) मुख्य कारण ये हैं :--

(1) अवमूल्यन, जिससे 1 वर्ष में 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार हो गया है।

(2) वेतनों पर व्यय में वृद्धि।

(ग) लगभग 360 लाख रुपये प्रति वर्ष।

Sugar Mills in U. P. Haryana and Punjab

***1524. Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shrimati Sushila Rohatgi :
Shri Virendra Kumar Shah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that due to acreage of land under sugarcane cultivation having been reduced, the sugar mills in Uttar Pradesh, Haryana and Punjab are facing a crisis;

(b) whether Government have received any memorandum in this regard and, if so, the action taken thereon;

(c) whether Government's attention has been drawn to the news-item to the effect that many sugar mills are selling considerably less quantity of sugar in the hope that the prices of sugar would rise, after it is decontrolled; and

(d) if so, the action taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) Yes, Sir. there are reports of reduction in the area under sugarcane in the factory zones of Uttar Pradesh, Haryana and Punjab this year as compared to last year. A representation has been received in this connection from the West U. P. Branch of the Indian Sugar Mills Association. Measures to maximise production of sugar during 1967-68 are under consideration.

(c) No such report has come to the notice of the Government.

(d) Does not arise.

आस्थगित भुगतान के आधार पर जहाजों की खरीद

***1525. श्री म० ला० सोंधी :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री मरंडी :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :
श्री गु० च० नायक :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और जापान आस्थगित भुगतान के आधार पर भारत को जहाज सप्लाई करने के लिये सहमत नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके स्थान पर बुलगारिया, पोलैंड और युगोस्लाविया से जहाज खरीदने का है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितने टन भार के जहाज खरीदने का विचार है और आस्थगित भुगतान की क्या शर्तें तय हुई हैं;

. (घ) क्या ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और जापान से पहले जहाजों की खरीद की शर्तों से ये शर्तें अच्छी हैं; और

(ङ) क्या इन दोनों वर्गों के देशों द्वारा निर्मित जहाजों की किस्म के बारे में समुचित ध्यान दिया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ङ) प्रक्रिया यह है कि भारतीय जहाजरानी कम्पनियां सप्लाई की शर्तों, जिसमें ऋण सुविधायें भी शामिल हैं, विदेशों में स्थित जहाज-निर्माण कारखानों से, जिसमें ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और जापान स्थित कारखाने भी शामिल हैं, पत्र-व्यवहार करती हैं और सरकार को स्वीकृति के लिये भेजती हैं। यदि शर्तें सन्तोषजनक हों तो सरकार प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और इस आधार पर इन तीन देशों से कई जहाजों की गत समय में खरीद की स्वीकृति दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल में भारतीय जहाजरानी कम्पनियां इन तीन देशों से सरकार को मान्य शर्तें प्राप्त नहीं कर सकी है। सरकार ने पूंजीगत माल और जहाजों के आयात के लिये युगोस्लाविया और बल्गारिया के साथ ऋण करार किये हैं। इस समय जहाजों की खरीद के लिये पोलैंड के साथ कोई आस्थगित भुगतान करार नहीं है। तथापि यदि कोई भारतीय जहाजरानी कम्पनी पोलैंड से जहाज खरीदना चाहती है, तो यह मालूम हुआ है कि पोलेंड को आस्थगित भुगतान की शर्तें मान्य होंगी। तथापि इन साधनों से प्राप्त की जाने वाला कुल खनन जहाजों की किस्म, आकार, मूल्य, परिचालन किस्म और कार्यों पर, जिनके लिये उन्हें प्रयोग किया जायेगा, निर्भर करेगा। इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि इन साधनों से कुल कितनी टनभार क्षमता प्राप्त की जायेगी। युगोस्लाविया और बल्गारिया से जहाजों की खरीद की शर्तें इस प्रकार हैं :—

युगोस्लाविया : आर्डर के साथ 7½ प्रतिशत और 7½ प्रतिशत और सुपुर्दगी के समय । शेष 85 प्रतिशत राशि 18 समान अर्ध-वार्षिक किश्तों में देय है और पहली किश्त सुपुर्दगी के छः महीने बाद आरंभ होगी और 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

बल्गारिया : मूल्य की 7½ प्रतिशत राशि आर्डर के समय और 7½ प्रतिशत और राशि सुपुर्दगी के समय देनी होगी। शेष 85 प्रतिशत राशि 11 समान वार्षिक किश्तों में देनी होगी और पहली किश्त सुपुर्दगी के एक वर्ष बाद आरंभ होगी तथा 2½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

युगोस्लाविया और बल्गारिया से जहाजों की खरीद को आस्थगित भुगतान की शर्तें ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और जपान की शर्तों की तुलना में अच्छी हैं।

टनभार प्राप्त करते समय किस्म, कार्यचालन और मूल्य पर हमेशा उचित ध्यान दिया जाता है।

उर्वरक, विद्युत् तथा पानी के लिये सहायता

***1526. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादद को बढ़ावा देने के लिये उर्वरक, विद्युत् तथा पानी की सप्लाई के लिये सहायता देने पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1269/67**]

गुजरात में अधिक उपज वाला अनाज उगाने का कार्यक्रम

7390. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 में खेती की जाने वाली प्रस्तावित 1 करोड़ 61 लाख एकड़ भूमि में से कितने एकड़ भूमि में अधिक उपज देने वाले किस्मों का धान, मक्का तथा ज्वार की खेती पृथक्-पृथक् की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 1967-68 में 162.3 लाख एकड़ भूमि में अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती करने के कार्यक्रम के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अन्तर्गत गुजरात राज्य में 9.38 लाख एकड़ भूमि को विभिन्न प्रकार की अधिक उत्पादनशील खाद्यान्न किस्सों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। फसलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

फसल	खरीफ 1967 के लिए लक्ष्य	रबी/ग्रीष्म 1967-68 के लिए लक्ष्य	(क्षेत्र हजार एकड़ों में) कुल
धान	160	—	160
मक्का	50	8	68
ज्वार	6	—	6
बाजरा	300	100	400
गेहूं		314	314
	516	422	938

गुजरात में छोटे पत्तनों का विकास

7391. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उसे समुद्र में जाने वाला एक तलकर्षक (ड्रेजर) दिया

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह भी प्रार्थना की है कि वह सभी छोटे पत्तनों का जल सम्बन्धी सर्वेक्षण करके छोटे पत्तनों के विकास के लिये एक बृहत योजना तैयार करने में राज्य की मदद करे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कार्य के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कर ली हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने एक चूषण तलकर्षक (सक्शन ड्रेजर) के देश में निर्माण के लिये जर्मनी से मशीनों का आयात करने के लिये 75 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा देने के लिये जून, 1967 में केन्द्रीय परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय से अनुरोध किया था। राज्य सरकार से दोनों भारतीय फर्मों से प्राप्त पूर्ण मूल्य-विवरण और उस पर उसकी टिप्पणी तथा विदेशी मुद्रा की राशि का विवरण बताने के लिये कहा गया है। मांगी गई जानकारी प्राप्त होने पर इस मामले पर अग्रेतर विचार किया जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों को चावल की सप्लाई

7392. **श्री श्रद्धाकार सुपकार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने कमी वाले राज्यों को जुलाई, 1967 में कम चावल दिया था; और

(ख) क्या इन राज्यों में आन्तरिक समाहार के निर्धारित लक्ष्य में भी कमी रही थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष खाद्यान्नों के समाहार के लिये कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। तथापि प्रायः सभी राज्यों में चावल का समाहार कम हुआ है।

बायीं ओर बैठ कर चलाई जाने वाली जीपों का निर्माण

7393. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में यातायात नियमों में "बाईं ओर चलो" की व्यवस्था है, क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि अधिकांश दुर्घटनायें

बाई ओर बैठकर चलाई जाने वाली जीपों और विदेशी कारों द्वारा आगे निकलने का प्रयास किये जाने के कारण होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में बनने वाली बाई ओर बैठकर चलाई जाने वाली जीपों का निर्माण बन्द करके दाई ओर बैठकर चलाई जाने वाली जीपों का निर्माण करवाने के लिए कोई कर्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) बाईं ओर बैठकर चलाई जाने वाली जीपों और विदेशी कारों के आगे निकलने के प्रयास के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं के प्रथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इसलिये यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं ऐसी मोटर गाड़ियों के आगे निकलने के प्रयास के कारण होती हैं। बाईं ओर बैठकर चलाई जाने वाली जीपों को दाईं ओर बैठकर चलाई जाने वाली जीपों में बदलने का प्रश्न भारत जीप निर्माताओं के विचाराधीन है।

यातायात सम्बन्धी नियम

7394. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं बाई ओर बैठकर चलाई जाने वाली जीपों तथा विदेशी कारों के द्वारा आगे निकलने के प्रयास किये जाने के कारण होती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बाई ओर बैठकर चलाई जाने वाली सभी विदेशी कारों को भारत में चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने 'अपने बायें चलो' यातायात नियम को बदल कर 'अपने दायें चलो' नियम बनाने का है :

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को प्रतिरक्षा विभाग की ओर से जो अधिकतर बाई ओर बैठकर चलाई जाने वाली जीपों का प्रयोग करते हैं कोई शिकायतें मिली हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) बाईं ओर बैठकर चलाई जाने वाली जीपों और विदेशी कारों के आगे निकलने के प्रयास के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं के प्रथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इसलिये यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं ऐसी मोटर गाड़ियों के आगे निकालने के प्रयास के कारण होती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(ङ) प्रतिरक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि सेना की पुरानी मोटर गाड़ियों को, जिनमें बाई ओर के स्टीयरिंग लगे हुये थे, परन्तु संकेत देने की कोई मशीनरी अथवा बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐरो सिगनल लगाने से छूट देनी चाहिए और ऐसे आदेश जारी कर दिये गये हैं।

जहाज निर्माण कारखाने

7395. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने जहाज निर्माण कारखाने हैं तथा वे कहां कहां पर हैं ?

(ख) क्या इन कारखानों में विदेशी विशेषज्ञों की देख रेख में जहाज बनाये जाते हैं और यदि हां तो उनकी संख्या कितनी हैं, उन्हें कितना वेतन दिया जाता है तथा वे किस देश के नागरिक हैं ;

(ग) 31, मार्च 1967 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में कितने जहाज बनाये गये, वे कितने टन भार के हैं तथा वे किस किस तारीख से चालू हो गये थे ;

(घ) प्रत्येक जहाज के निर्माण पर कितनी लागत आई ;

(ड) प्रत्येक जहाज के निर्माण में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(च) विभिन्न जहाज निर्माण कारखानों में इस समय कितने जहाज बनाये जा रहे हैं; और

(छ) वे कब तक तैयार होकर चालू हो जायेंगे ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) 13 जहाज निर्माण कारखाने हैं, जो निम्न स्थान में हैं:—

विशाखापतनम	1
बम्बई	4
कलकत्ता	7
कोचीन	1

इनमें से यद्यपि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम और मजगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई महासागरों में चलने योग्य मालवाहक जहाज बना सकते हैं, गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता छोटे तटवर्ती जल में चलने योग्य जहाज बना सकते हैं। अन्य जहाज निर्माण कारखाने मुख्य रूप से 'हार्बर क्राफ्ट' बनाते हैं, जैसे 'टग' 'बार्जेज' ड्रेजर तथा अन्य अन्तर्देशीय नौवहन के योग्य जहाज बनाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (छ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम, मजगांव डाक्स लिमिटेड, बम्बई तथा गार्डन क्षेत्र वर्कशाप लिमिटेड कलकत्ता के बारे में अपेक्षित जानकारी सभापटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1270/67]**

Smuggling of Foodgrains

7396. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that despite the restrictions imposed by Centre, the smuggling of foodgrains from one State to another is on the increase :-

(b whether it is a fact that smuggling of peas from U. P. to other States is on the increase ; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The total number of cases of smuggling of foodgrains during the current year (up to the end of May 1967) has shown a slight increase over the number for the corresponding period during 1966 .

(b) No, Sir.

(c) It is reported that the increase in the number of cases detected is due to the greater vigilance exercised by the State Governments in their border areas . Among the anti-smuggling measures which already exist is a no-movement belt area inside most of the States all along the border of the States. Movement of foodgrains on private trade account cannot take place except under permits. The system of setting up of check-posts, pickets and barriers at various strategic points in many States is in existence.

Supply of Sugar to Madhya Pradesh

7397. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of sugar supplied to Madhya Pradesh during the period from the Ist January to 15th July, 1967 ;

(b) whether full quota of sugar was supplied to the State during the above period or a cut was made in the quota :-

(c) if a cut was enforced, the extent thereof and the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to restore the supply to the State according to the quota prescribed earlier ?

The Minister of State in the Ministry of Food,Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) A quantity of 69,634 tonnes of sugar was allotted to Madhya Pradesh during the period.

(b) and (c) : The monthly sugar quota of Madhya Pardesh, like that of other States ,was reduced twice, firstly from 14,625 tonnes in February, 1967 to 11,00J tonnes

from March 1967, and then to 9,192 tonnes from May, 1967. The cut became necessary due to limited availability of sugar, as a result of fall in production.

(d) The present availability does not permit restoration of the quota.

बिहार में लाख का उत्पादन

7399. श्री मरंडी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के संथाल परगना जिले में लाख बहुतायत से मिलती है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि लाख का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ग) उस जिले में इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या इसका उत्पादन बढ़ाने तथा इसका बेहतर उपयोग करने के लिये किसानों को कोई प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बिहार सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) किसानों की आवश्यकतावों को पूरा करने के लिए बँजुकुरवा, मालो बसन्तपुर और घोटारी में ब्रुड-लेक फार्मों की स्थापना ।

(2) आदिवासी किसानों को साहाय्य दरों पर ब्रुडलेक की सप्लाई

(3) पाकौर में अतिरिक्त फार्म खोलने और लाख की खेती के उन्नत तरीकों में किसानों को शिक्षा देने हेतु जिले के 5 खण्डों में विस्तार कार्य करने के सम्बन्ध में चौथी योजना में प्रस्ताव है ।

(घ) उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में उपरोक्त (ग) में उल्लेख है । जहां तक बेहतर उपयोगिता का सम्बन्ध है. राज्य सरकार ने उचित मूल्य पर उत्पादकों से सीधा लाख खरीदने के विचार से बिहार कोआपरेटिव लाख मारकिटिंग फैडरेशन बनाई है ।

भारतीय खाद्य निगम

7400. श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस तारीख को हुई थी और 31 मार्च, 1967 तक इसकी सिब्बन्दी पर कितनी राशि खर्च हुई है :-

(ख) इस निगम की स्थापना की तारीख से लेकर 31 मार्च, 1967 तक की अवधि में खाद्यान्नों की खरीद के लिये भारतीय खाद्य निगम को कितना ऋण दिया गया ;

(ग) यह ऋण किन शर्तों पर दिया गया है और उस पर यदि कोई ब्याज लिया जाता है, तो कितना; और

(घ) 31 मार्च, 1967 तक खाद्य निगम ने राजकोष में ऋण की कितनी राशि लौटा दी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम की सिब्बन्दी पर इसकी स्थापना की तारीख 1 जनवरी, 1965 से 31 मार्च, 1967 तक 1966-67 के व्यय के कच्चे आंकड़ों के अनुसार लगभग 4.32 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

(ख) सरकार ने ऋण के रूप में 33 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके अतिरिक्त निगम स्टेट बैंक से 10 करोड़ रुपए की नकदी ऋण सुविधा भी प्राप्त कर रहा है।

(ग) निगम को 33 करोड़ रुपये की राशि ब्याज वाले ऋण के रूप में दी गई थी और इसकी वापसी के लिए तीन वर्ष की अवधि नियत की गई थी। 1964-65 में दी गई 11 करोड़ रुपये की पहली किश्त पर ब्याज की दर 5½ प्रतिशत वार्षिक नियत की गई थी जबकि 22 करोड़ रुपए की शेष राशि पर ब्याज की दर 6½ प्रतिशत वार्षिक थी। स्टेट बैंक नकदी ऋण सुविधा के लिये 7½ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लेता है ।

(घ) 10 करोड़ रुपए।

कांडला पत्तन में अनाज का खराब हो जाना

7401, श्री चं० चु० देसाई : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद के 5 जुलाई, 1967 के 'गुजरात समाचार' नामक पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कांडला पत्तन में अधिकारियों की ओर से लापरवाही और विलम्ब के कारण 2,000 मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़े रहने से भीग गया और खराब हो गया; और

(ख) इस नुकसान के लिए कौन उत्तरदायी है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य में ऐसे नुकसान को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां, यह समाचार सच नहीं है। स्थिति यह है कि 1 जुलाई, 1967 को, कार्य-सुविधा की दृष्टी से गेहूं के बोरों के दो कृत्रिम अनाज की कोष्ठियां (बिन्स) बनायी गई थीं। इन कोष्ठियों तथा उनके भीतर रखे गये खुले अनाज को मिलाकर कुल 70 टन माइलो तथा 44 टन गेहूं थे। 2 जुलाई, 1967 के बहुत सबेरे अचानक वर्षा हो जाने के कारण इन

अनाज कोठियों का अनाज थोड़ा सा भीग गया। सारा अनाज तुरन्त मालगोदाम में ले जाया गया और उसे बचा लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 62 टन माइलों तथा 42 टन गेहूं बिल्कुल ठीक हालत में बचा लिया गया और जिस पर कोई असर नहीं पड़ा था, केवल 8 टन माइलो तथा 2 टन गेहूं का नुकसान हुआ था। इस अनाज को जानवरों के चारे के लिये अथवा स्टार्च बनाने के लिए बेचा जायेगा।

(ख) चूंकि काम की सुविधा के लिए अनाज की इन कोठियों को बनाना जरूरी था, कर्मचारियों की ओर से कोई भी लापरवाही नहीं बरता गई थी, वास्तव में तुरन्त कार्यवाही किये जाने के परिणाम स्वरूप अनाज का नुकसान होने से बच गया और कम से कम नुकसान हुआ और अनाज खराब होने से तुरन्त बचा लिया गया।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6

7403. श्री गु० ब० नायक : श्री बे० अमात :
श्री रा० रा० सिंह देव : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 (कलकत्ता-बम्बई ब रास्ता रायपुर) अभी तक सब मौसमों में प्रयोग में लाई जाने वाली सड़क नहीं बनी है, हालांकि इसका निर्माण-कार्य पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था ;

(ख) इस राजपथ का निर्माण कार्य पूरा होने में और कितने वर्ष लगेंगे; और

(ग) इस राजपथ के निर्माण-कार्य के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि नियत की गई है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) कलकत्ता से बम्बई मार्ग (बहरगोड़ा सांबलपुर, रायपुर तथा धुलिया से होकर) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 और धुलिया से बम्बई तक (नासिक और थाना होकर) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 3 के साथ साथ है। धुलिया से बम्बई तक के हिस्से में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 3-सभी स्थानों पर पुल हैं और यह सड़क सब मौसमों में चालू रहती है। कलकत्ता से धुलिया तक का मार्ग राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6—लगभग 1010 मील लम्बा है और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। इनमें से प्रत्येक राज्य में यह राजपथ जिस स्थिति में है तथा जिस अवधि तक इसके पूरी हो जाने की सम्भावना है, बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०1271/67**]

(ग) इस राजपथ के लिये कितनी राशि नियत की गई है, यह बताना संभव नहीं है क्योंकि चौथी पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय राजपथों के लिए अभी अन्तिमरूप से नियतन नहीं किया गया है।

भारत श्रीलंका नौवहन सेवा

7404. श्री किरुत्तिनन : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामेश्वरम द्वीप और श्री लंका के तलाईमन्नार के बीच चलने वाले जहाजों को प्रतिदिन कितने चक्कर लगाने की अनुमति है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार का विचार रामेश्वरम् मे एक स्थायी बन्दरगाह बनाने का है, जिसमें बन्दरगाह वाली सब सुविधायें प्राप्त हों ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार धनुषकोडी बन्दरगाह को नया रूप देने या टोंडी में एक नया बन्दरगाह बनाने का है, जो श्रीलंका के अति समीप है और जहां स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एक नियमित बन्दरगाह थी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 'अरविन' नामक टी० एस० एस० जहाज जिसे शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड ने दक्षिण रेलवे से अपने हाथ में लिया है रामेश्वरम् तथा तलाईमन्नार के बीच सप्ताह में दो बार चल रहा है।

(ख) मद्रास सरकार रामेश्वरम् के निकट रेत्ताथभाई में एक स्थायी जेट्टी (जहाज पर चढ़ने उतरने का चबूतरा) बना रही है जहां इस सेवा के लिये पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

उड्डयन क्लब

7405. श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री धीरेन्द्र नाथ देब :**
श्री गु० च० नायक : **श्री दे० अमात :**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन महानिदेशक ने प्रत्येक उड्डयन क्लब के उड्डयन के समय का कोटा निश्चित कर दिया है और प्रारम्भिक उड़ान, अर्थात प्राइवेट पायलट लाइसेंस जारी करने के हेतु उड्डयन के लिये प्राथमिकता देने का अनुदेश भी जारी किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या शौकिया उड़ान भरने वालों को उड्डयन का कुछ समय दिया जाता है, जिन्होंने अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस का अभ्यास पूरा कर रखा है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का किस प्रकार यह सुनिश्चित करने का विचार है कि शौकिया उड़ान भरने वाले ये लोग वर्ष में उनके लिए राजसहायता से निर्धारित उड्डयन के समय का लाभ उठा सकें; और

(घ) सरकार ने किसी एक व्यक्ति द्वारा जहाज चलाने के लिए कितने घंटों की सीमा रखी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण असैनिक उड्डयन महानिदेशक ने उड़ान राजसहायता योजना में शामिल किये गये प्रत्येक उड़ान क्लब के लिये उड़ान के प्रशिक्षण घंटे निर्धारित किये हैं जिनके लिये, सामान्य दरों पर, चालू वित्तीय वर्ष के लिये सहायता दी जायेगी । यह सुनिश्चित करने के लिये कि उड़ान प्रशिक्षण उद्देश्य पूर्ण हो, असैनिक उड्डयन महानिदेशक ने उड़ान क्लबों को यह भी अनुदेश दिये हैं कि वे प्राइवेट पाइलट्स् लाइसेंस जारी करने, प्राइवेट पाइलट्स और कॉमर्शियल पाइलट्स लाइसेंसों का नवीयन तथा पृष्ठांकन के लिए प्रशिक्षणार्थियों तथा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विशेष योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों को वरीयता दें ।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करने के बाद यदि उड्डयन क्लबों के उड़ान के लिए विमान बच जाते हैं तो शौकिया उड़ान भरने वाले वे व्यक्ति भी, जिन्होंने प्राइवेट पाइलट लाइसेंस प्राप्त किया है, रिआयती दरों पर उड़ान भर सकते हैं ।

(घ) अपना उड्डयन प्रशिक्षण आरम्भ करने के पहले बारह महीनों की अवधि में प्रशिक्षणार्थी की उड़ान के लिये रिआयती दरों पर 100 घंटे मिल सकते हैं और तत्पश्चात् प्रतिवर्ष 50 घंटे । उपबन्ध (प्राँविजो) यह है कि बारह महीनों की चौथी अवधि (चौथे वर्ष) में, प्रशिक्षणार्थी पिछले वर्षों में व्ययगत हुए घंटो को पूरा करने के लिये, रिआयती दरों पर अतिरिक्त उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा ; किन्तु किसी भी स्थति में इसकी अवधि 50 घंटे से अधिक नहीं होगी ।

सूखी गोदियां

7406. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सूखी गोदियों की संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम् में हमारे व्यापारी बेड़े के जहाजों की मरम्मत करने की सुविधा उपलब्ध है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में विदेशों में सूखी गोदियों में भारतीय जहाजों की मरम्मत कराने पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं जबकि ये सुविधायें भारत में उपलब्ध हैं?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारत के विभिन्न भागों में 26 सूखी गोदियां है जो निम्न लिखित स्थानों पर स्थित हैं :-

बम्बई	6
कलकत्ता	12
विशाखापत्तनम्	1
काकीनाड	1

कुड्डालोर	1
कोचीन	1
मंगलोर	1
भावनगर	1
वैरवाल	1
बेदी बन्दर	1
कांडला	1

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम् में हमारे व्यापारी बेड़े के जहाजों की मरम्मत करने की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड के पार्श्व में एक और बड़ी सूखी गोदी बनाने की सरकार ने हाल में मंजूरी दी है जिससे इस शिपयार्ड में जहाजी बेड़े के जहाजों की भारी तथा हल्की मरम्मत करने की सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी।

(ग) खर्च इस प्रकार आया है :-

1964-65	1,81,59,717 रुपये
1965-66	24,92,314 रुपये
1966-67	2,12,59,954 रुपये

(घ) उपरोक्त भाग (ख) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

लखनऊ का राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान

7407. श्री रा० रा० सिंह देव क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में गन्दे (नालियों के जल) से पशुओं का चारा पैदा करने के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुसन्धान परियोजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) क्या इस पर होने वाला खर्च अमरीकी सरकार देगी या भारत सरकार भी इस पर होने वाला कुछ खर्च देगी;

(घ) यदि हां, तो कितना; और

(ङ) इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस अनुसन्धान कार्य के कब पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 4,69,500 रुपये

(ग) और (घ): पब्लिक ला 480 फन्डों में से 4,52,000 रुपये युनाइटेड एस्टेट्स डिपार्टमेंन्ट आफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चुरल रिसर्च सर्विस द्वारा खर्च किए जायेंगे और शेष 17,500 रुपये परियोजना की अवधि को अपेक्षा अधिक चलने वाले कुछ उपकरणों के मूल्य के रूप में नेशनल कोटेनिकल गार्डनज द्वारा खर्च किये जायेंगे।

(ङ) अनुसन्धान परियोजना को नैशनल बौटेनिकल गार्डनज, लखनऊ में पांच वर्ष के लिए क्रियान्वित करने हेतु वह पहली जून,1967 को ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। परियोजना इस समय प्रारम्भिक अवस्था में है और फारेन एग्रीकल्चुरल रिसर्च ग्रान्ट्स को लागू साधारण व्यवस्था के अनुसार किये गये कार्य पर प्रगति रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक द्वारा जनवरी, 1968 में प्रस्तुत की जायेगी।

गोआ में धान के बीज

7408. **श्री शिकरे :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में 'चिट्टो,' 'दमगो' 'खेंचो' आदि कई किस्मों के धान के बीजों का प्रयोग किया जाता है, जिनका सुधार कर लेने पर अधिक फसल पैदा हो सकती है :

(ख) यदि हां, तो इन बीजों का सारे देश में प्रयोग कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या गोआ में पाये जाने वाले पशु-पक्षी तथा पेड़-पौधों के बारे में अनुसन्धान करने के लिये वहां एक अनुसन्धान केन्द्र तथा एक प्रक्षेत्र (फार्म) स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : सम्बन्धित राज्य से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही भापटल पर रखी जायेगी।

Land Revenue System

7409. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Randhir Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether some all-India study survey has been carried out with a view to effecting improvement in the present pattern of land revenue;

(b) if so, when and by whom; and

(c) The steps being taken to effect imrovements in this pattern in order to facilitate agriculture production ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) The Government of India have no in-

formation of any all-India study/survey having been conducted in recent years in this regard. The question of effecting improvements in the land revenue system is the responsibility of the State Governments.

Construction of Bridges in Delhi

7410. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the paucity of funds has been causing delay in the construction of bridges in Delhi;

(b) Whether the Delhi Metropolitan Council have asked the Central Government for financial aid for the construction of these bridges; and

(c) if so, the details thereof and action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Presumably, the Honourable Members are referring to the railway overbridges in Delhi. Due to the present financial stringency, it has been possible to under take during the current year, the construction of only such over-bridges as are considered 'First Priority' works.

(b) and (c) The Delhi Administration had approached the Central Government for increase in the allocation of funds during the current financial year for the construction of road over-bridges on Patel Road and at Sarai Rohilla and for the widening of the Hardinge (Tilak) bridge; and this has been agreed to. Consequently, the provision for roads under Delhi Municipal Corporation for the current financial year has been increasad from Rs. 35 lacs to Rs. 85 lacs.

Buses for D. T. U.

7411. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Kameshwar Singh :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation has approached the Centre for an allocation of rupees two and half crores for the purchase of 250 new buses for the Delhi Transport Undertaking; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Snri Bhakt Darshan) : (a) and (b) A sum of Rs. 140 lakhs has been included in the budget of the Ministry of Transport & Shipping for the current financial year for the grant of loans to the Delhi Municipal Corporation for the purchase of 160 buses by the Delhi Transport Underaking. Out of this provision, a loan of Rs. 40 lakhs was granted to the Corporation on the 27th June, 1967, for making payment towards the cost of 60 Comet chassis, construction of bodies on 30 chassis and for meeting incidental expenditure on transportation of complete vehicles. A request for on additional amount of Rs. 110 lakhs for advancing loans to the Delhi Muncipal Corporation during 1967-68, to enable the Undertaking to purchase 122 more buses has been received recently; and it is under consideration,

Wool Gradation Centres

7412. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) The number of Wool Gradation Centres in the country;

(b) The names of countries collaborating in running these centres ;

(c) The terms of foreign collaboration and the capital invested therein;

(d) Whether Government are considering the question of extension of woo distribution centres; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e) The necessary information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भाण्डागारों में रखे खाद्यानों की क्षति

7413. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री भाण्डागार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण खाद्यानों की क्षति हो जाने के बारे में 4 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 424 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाण्डागार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण खाद्यानों की क्षति हो जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) समिति ने 22 जुलाई, 1967 को अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है और उस पर विचार किया जा रहा है। इस समिति की अन्तिम सिफारिशें तभी उपलब्ध होंगी जब वह अपना अन्तिम प्रतिवेदन देगी।

Irrigation Facilities of Sugarcane Using Particular Types of Fertilizers

7414. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that ammonia and phosphate varieties of fertilizers require more irrigation facilities;

(b) Whether it is also a fact that these fertilizers were used for sugarcane cultivation in different States and the sugarcane crop has been spoiled in all such States for want of irrigation facilities; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Fertilisers give optimum results with adequate irrigation or rainfall and there is no evidence of any direct relationship between the type of fertiliser and irrigation requirements of the crop.

(b) No report regarding sugarcane crop having been damaged by the use of nitrogenous or phosphatic fertilisers has been received from any State

(c) Does not arise.

हरयाना में नये कृषि कालेज

7415. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में हरयाना में एक नया कृषि कालेज खोलने के बारे में हरयाना सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास में छोटी सिंचाई परियोजनाएं

7416. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के मुख्य मंत्री ने राज्य में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए योजना में की गई धन की व्यवस्था 10 करोड़ रुपये की अधिक राशि दी जाने का आग्रह केन्द्रीय सरकार से किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। राज्य सरकार ने 1967–68 के दौरान छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए योजना में की गई धन की व्यवस्था से 13.57 करोड़ रुपये की अधिक राशि की अलाटमन्ट के लिए भारत सरकार से प्रार्थना की है।

(ख) योजना आयोग ने पहले ही 1967-68 के दौरान राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए स्टेट प्लान में 7.30 करोड़ रूपये के खर्च को अनुमोदित कर दिया है। पूर्व अनुमोदित खर्च व्यवस्था से अधिक धन की अलाटमैन्ट के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पारादीप पत्तन पर लोह अयस्क की लदान

7417. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप पत्तन में 25 अप्रैल 1967 को और उस तिथि से जापान के पहले जहाज में लोह अयस्क लादने का जो काम हो रहा था, वह कुछ समय के लिये रोकना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) जी, हां। पत्तन सुरक्षा गण के एक सदस्य पर राज्य पुलिस द्वारा हमला किये जाने के परिणामस्वरूप कुछ क्षोभ उत्पन्न हो जाने के कारण 25 अप्रैल, 1967 को प्रथम जापानी जहाज में माल लादने का काम लगभग एक घंटे के लिये रोकना पड़ा था।

(ग) इस घटना में अन्तर्ग्रस्त पुलिसमैनों को पत्तन से हटा दिया गया था। उन्हें निलम्बित किया गया है और उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

गन्ने में चीनी की मात्रा

7418. **श्री रा० बरुआ :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाले गन्ने में चीनी की मात्रा की प्रतिशतता विश्व के गन्ना पैदा करने वाले अन्य मुख्य देशों में गन्ने में चीनी की प्रतिशतता की तुलना में कितनी कम या अधिक है; और

(ख) इस प्रतिशतता को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के विभिन्न देशों तथा भारत में गन्ने में

चीन की उपलब्ध मात्रा की प्रतिशतता तथा गन्ने से निकाल जाने वाली चीनी की मात्रा की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

उष्ण कटिबन्ध

गन्ने में उपलब्ध चीनी की मात्रा की प्रतिशतता	भारत	दक्षिण अफ्रीका	क्वीन्स लैंड	हवाई	जमेका	पोर्टोरीको
	1959–60	1959–60	1959	1959	1958	1958
	12.51	13.66	15.65	11.731	2.15	11.88
गन्ने से निकाली जाने वाली चीनी की मात्रा की प्रतिशतता	10.07	11.79	14.42	10.35	9.50	10.17

उप उष्ण कटिबन्ध

	भारत	लूसियाना
गन्ने में उपलब्ध चीनी की मात्रा की प्रतिशतता	(1959–60) 11-79	(1959–60) 10.50
गन्ने से निकाली जाने वाली चीनी की मात्रा की प्रतिशतता	9.19	8.10

(ख) गन्ने की ऐसी किस्मों को लगाना जिनकी फसलें अलग-अलग अवधि में तैयार होती हैं और जिनमें काफी मात्रा में चीनी होती है; बीज को स्वस्थ तथा अच्छी हालत में रखने की व्यवस्था; बीमारियों को नष्ट करने के उपाय; स्वस्थ बीज वाली नर्सरियों को रख-रखाव; अच्छी फसल तैयार करने तथा फसल पर बीमारियां न लगने देने के लिये पौधों का संरक्षण सम्बन्धी उपाय किये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप चीनी की मात्रा की प्रतिशतता बढ़ रही है, इक्षुशर्करा (सुक्रोज) की अधिक मात्रा प्राप्त करने तथा गन्ने की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये चीनी मिलों के आस-पास के क्षेत्रों में गन्ने का गहन विकास किया जा रहा है और गन्ना पैदा करने के लिये पैकेज प्रोग्राम भी आरम्भ किया गया है। सरकार ने यह नीति भी निर्धारित कर दी है कि जिस गन्ने से कितनी अधिक मात्रा में चीनी निकल सकती है उसी अनुपात में उस गन्ने का मूल्य अधिक दिया जायेगा ताकि किसानों को अच्छी किस्म का गन्ना पैदा करने का प्रोत्साहन मिले।

प्राथमिक विपणन समितियां

7419. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966–67 में, राज्य–वार, कितनी प्राथमिक विपणन समितियां स्थापित की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : वित्तीय वर्ष 1966–67 की सूचना उपलब्ध नहीं है। 30 जून, 1966 को समाप्त होने वाले सहकारिता वर्ष, 1966–67 में स्थापित की गई प्राथमिक विपणन समितियों की संख्या से सम्बन्धित जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में बीज फार्म

7420. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 में उत्तर प्रदेश में कोई बीज फार्म स्थापित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए उस राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Production of Sugar from Beet

7421. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the first project to manufacture sugar from beet was inaugurated in May, 1967;

(b) if so, the names of places where these factories will be set up;

(c) the time to be taken in their setting up and the amount that would be spent thereon; and

(d) the quantity of sugar to be manufactured per month ?

The Minister of State in The Ministry of Food. Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) to (b) The pilot plant trials for the manufacture of sugar from beet were inaugurated at the Janta Cooperative Sugar Mills Limited, Bhogpur in May, 1967. The process is still in the experimental stage nnd as such the question of setting up of beet sugar factories would arise only after the results of these experiments are known.

वेधशाला महानिदेशक का कार्यालय

7422. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेधशाला महानिदेशक के कार्यालय में 600 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं ।

(ख) क्या उस विभाग में इतने कर्मचारियों के लिये काम है, और

(ग) इस विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) वेधशाला महानिदेशक के कार्यालय में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या इस समय 504 है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मौसम सम्बन्धी आंकड़ों को शीघ्र एकत्रित करने तथा मौसम के बारे में अधिक सही अनुमान लगाने के लिये राडार, राकेट और सेटेलाइट मिटिरियोलाजी इलैक्ट्रोनिक कम्प्यूटर्स, रेडिओ टेलीटाइप तथा फेसीमिल आदि जैसे आधुनिक सहायताओं (उपकरणों) की व्यवस्था की गई है । मौसम के बारे में पूर्वानुमान रेडियो के माध्यम से प्रसारित किये जाते हैं और तारों के माध्यम से शीघ्र भेजे जाते हैं । उच्च मौसम विज्ञान, साधन विनियोग तथा अन्य... ....में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अधिकारियों को मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाने के आधुनिक तौर-तरीके तथा अन्य क्षेत्रों में विदेशों में भी प्रशिक्षित किया जाता है ।

यूगोस्लाविया से टैंकर

7423. श्री विश्वनाथ पान्डेय :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री य० प्र० प्रसाद :
श्री आत्म दास :
श्री न० कु० साधी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हुए एक करार के अन्तर्गत भारतीय जहाजरानी निगम के लिये यूगोस्लाविया में तेल के दो आधुनिक टैंकर बनाये जायेंगे, और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है उन टैंकरों पर कुल कितना खर्च होगा ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 77,000 डी० डब्लू० टी० के दो टैंकर बनाने के लिये शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया तथा ब्रोडोग्रे डिलिस्ट, स्प्लिट शिपयार्ड, यूगोस्लाविया के बीच जो करार हुआ है, उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

सुपुर्दगी (एक) 31 मई, 1969 को पहला जहाज ।

(दो) 31 दिसम्बर, 1969 को दूसरा जहाज ।

क्रय मूल्य : प्रत्येक टैंकर की कीमत 6 करोड़ 54 लाख रुपये ।

भुगतान की शर्तें : (एक) करार होने के 60 दिन के भीतर लागत का 7·5% राशि का भुगतान करना पड़ेगा ।

(दो) प्रत्येक जहाज के सौंपे जाने के समय 7·5% राशि देनी पड़ेगी ।

(तीन) बकाया 85% राशि 18 बराबर क्रमिक अर्धवार्षिक किस्तों में दी जायेगी, कारपोरेशन शिपयार्ड को पहली किस्त प्रत्येक जहाज की सुपर्दगी की तिथि के 6 महीने बाद देगा ।

कॉरपोरेशन शिपयार्ड को किस्तों का भुगतान उस ऋण करार के अनुसार करेगा जो 18 जून, 1967 को विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा यूगोस्लाव बैंक के बीच हुआ था ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान को 4 जून, 1967 को कलकत्ता के निकट दुर्घटना

7424. श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री विश्वनाथ पान्डेय :
श्री आत्म दास :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 जून, 1967 को कलकत्ता से लगभग 150 मील की दूरी पर जब इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक डकोटा विमान गर्ज के साथ आई आंधी-पानी में फंस गया था, तो उसमें बैठे हुए तीन व्यक्ति घायल हो गये थे ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे, और

(ग) उससे कितनी हानि हुई तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक डकोटा-विमान, जो कि 4 जून, 1967 को अपनी गोहाटी कलकत्ता निर्धारित उड़ान पर था, ईश्वराडी (कलकत्ता से लगभग 150 मील) के ऊपर शाम को लगभग 6 बजकर 45 मिनट पर अचानक गर्ज के साथ आई आंधी-पानी में फस गया था, जिसके परिणामस्वरूप दो यात्रियों तथा तीन विमान कर्मचारियों को मामूली चोटें आई थी । विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ । इस दुर्घटना की जाँच की जा रही है ।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 सम्बन्धी समिति

7425. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पान्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 6 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 321 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भुमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के बारे में समिति बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव संख्या 6–6–67-जनरल-2 दिनांक 27 जुलाई, 1967, जिसमें समिति का ब्यौरा दिया गया है, सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० डी० 1272/67**]

भटनी शुगर मिल्स, देवरिया (उत्तर प्रदेश)

7426. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पान्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में देवरिया स्थित भटनी शुगर मिल्स का प्रबन्ध जिसका नियंत्रण सरकार करती थी उस मिल के मालिक को सौंप दिया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या यह भी सच है कि उस मिल के मालिक ने मिल के कर्मचारियों को नोटिस दे दिया है कि मिल बन्द किया जायेगा, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी, हां, प्रतिरक्षा अथवा राज्य की सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों के बारे में आपात विधान के प्रयोग को सीमित करने की सरकार की नीति के अनुसरण में अन्य चीनी मिलों के साथ साथ मैसर्स कमलापति मोतीलाल भटनी (शुगर मिल्स) ब्रांच भटनी से नियंत्रण वापस ले लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि मिल मालिकों ने एक लेख याचिका दायर की है जिसमें यह दावा किया गया है कि सरकार के नियन्त्रण के दौरान मिल को जितनी क्षति हुई है, उसकी प्रतिपूर्ति की जाये, इसलिये जब तक उच्च न्यायालय इस लेख याचिका पर निर्णय नहीं देता, तब तक कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

अन्दमान वन विभाग का मालवाहक जहाज

7427. **श्री अ० सि० सहगल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान वन विभाग का एक मालवाहक जहाज, जिसे वन शिविरों से लट्ठे ढोने के काम पर लगाया गया था, फोनिक्स खाड़ी डाक पोर्ट ब्लेयर में, जहां पुल बनाने की कोठी कमजोर होने से टूट जाने के कारण मरम्मत आदि का काम हो रहा था, डूब गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2 लाख रुपये की हानि हुई है।

(ख) क्या यह भी सच है कि डाकयार्ड के अधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को बांध को मजबूत करने की चेतावनी दी थी, और

(ग) यदि हां, तो जिम्मेदारी निर्धारित करने और बांध को मजबूत न करने के उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अन्दमान वन विभाग का एक एलसीटी मरम्मत के समय कोफर डैम टूट जाने के कारण ड्राई मैरीन डाकयार्ड में समुद्र के पानी से भर गया जिसके परिणामस्वरूप डैम की हानि तथा एलसीटी की मरम्मत के कारण 1,33,500 रुपए का नुकसान हुआ, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार हैं, कोफर डैम की हानि से 30,000 रुपए, एलसीटी की मरम्मत से 84,400 रुपये तथा जैनरेटरों के बदलने पर 19,000 रुपए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एवरो विमान

7429. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली खेप में बने एवरो विमान इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में प्रयोग होने लगे हैं ?

(ख) क्या हैदराबाद में एवरो विमानों को 'ओवरहाल' करने की व्यवस्था की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को 1 जुन, 1967 को एक एवरो विमान मिला है।

(ख) और (ग) एवरो विमान को 'ओवरहाल' करने की सुविधाओं की व्यवस्था हैदराबाद में की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्नों का समाहार

7430. श्री म० सुदर्शनम : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम ने तथा राज्य के अन्य अभिकरणों ने आन्ध्र प्रदेश में कुल कितना चावल तथा अन्य खाद्यान्न खरीदा है; और

(ख) किन किन मूल्यों पर यह अनाज खरीदा गया है और अन्य राज्यों को यह खाद्यान्न किस मूल्य पर उपलब्ध किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1966-67 के फसल वर्ष में 14 जुलाई, 1967 तक भारतीय राज्य निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्रा की खरीद की गई।

चावल	537,262 मीटरी टन
जवार	74 मीटरी टन

सहकारी समितियों द्वारा भी आन्ध्र प्रदेश में चावल की खरीद की गई। उन्होंने चालू वर्ष में लगभग 51,000 मीटरी टन धान तथा 11,000 मीटरी टन चावल की खरीद की। इस मात्रा का कुछ भाग भारतीय खाद्य निगम को दिया गया, जो कि उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल है।

(ख) चावल की किस्म तथा फसल के आधार पर चावल का क्रय मूल्य 61·01 रुपये प्रति क्विटल से 84·13 रुपये प्रति क्विटल था। जवार का समाहार मूल्य 54 रुपये प्रति क्विटल था। आन्ध्र प्रदेश में वसूल किया गया चावल केन्द्रीय पूल को समाहार मूल्य पर दिया जाता है तथा इस मूल्य में वह प्रासंगिक व्यय भी जोड़ दिया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश को उर्वरक की सप्लाई

7431. श्री म० सुदर्शनम : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 और 1966-67 में आन्ध्र प्रदेश को कितनी मात्रा में उर्वरक सप्लाई किये गये, और

(ख) ये उर्वरक उस राज्य को किस मूल्य पर दिये गये तथा ये उर्वरक किसानों को किस मूल्य पर बेचे गये।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1965–66 और 1966–67 में आन्ध्र प्रदेश को दी गई उर्वरक की सप्लाई निम्न प्रकार है:—

उर्वरक की किस्म	(आंकड़े टोन्ज में) 1965–66 तथा 1966–67 में सप्लाई की गई मात्रा (जिसमें सेरेमण्डल बीज कार्यक्रम शामिल है)	
	1965–66	1966–67
1	2	3
एस. ए	126706	309153
यूरिया	75700	155645
एस॰ एस॰ एन॰	8920	10595
सी॰ एस॰ एन॰	4942	50950
अमोनियम फास्फेट	65596	95418
डाई अमोनियम फास्फेट		2080
अमोनियम क्लोराईड	232	7017
कुल नाईट्रोजन	77940	170935

(ख) 1965–66 और 1966–67 के दौरान लागू किए गए पूल मूल्य तथा अधिकतम मूल्य का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल॰ टी॰ 1273/67)

Sale of Ghee at D. M. S. Stall in Parliament House

7432. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had made rules regarding the distribution of Ghee at the D. M. S. Milk Depot located in the Parliament House;

(b) whether it is also a fact that these rules are no longer being enforced as a result of which other unauthorised persons take away Ghee to the disadvantage of Members of Parliament; and

(c) if so, the steps proposed to be taken in the matter ?

The Minister of State in The Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) There are no rules. Sale of ghee from the Delhi Milk Scheme Milk Stall in the Parliament House is made to Ministers, M. Ps. or senior officers in Parliament House or persons authorised in writing by them.

(b) The procedure is being strictly enforced. Action is taken against the staff concerned in case of complaint.

(c) Every effort is made to ensure supply of adequate quantity of ghee to meet requirements of the Hon'ble Members of Parliament etc. as well as the persons authorized by them. For convenience of members, distribution of ghee from the milk Stall is confined to M. Ps. from 11 A. M. to 5.30 P. M.

निर्वाचन उपायुक्त

7433. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय की जानकारी है जिसके द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरण, गोंडा का निर्णय रद्द कर दिया गया था, विशेषकर जिसका सम्बन्ध उस निर्वाचन में पुनर्मतगणना का पर्यवेक्षण करने में निर्वाचन उपायुक्त द्वारा बरती गई लापरवाही और अकुशलता से था।

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

(ग) क्या यह भी सच है कि उस निर्वाचन उपायुक्त के सेवा निवृत्त होने के बाद भी सेवा में बने रहने की अनुमति दे दी गई है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसका सेवाकाल कितने समय के लिये बढ़ाया गया है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : सरकार ने वह निर्णय देखा है, किन्तु उसमें उस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है जिसका कि सदस्य ने उल्लेख किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) निर्वाचन उपायुक्त को उनकी निवृत्ति के पश्चात लोकहित में पुनर्नियोजित कर लिया गया था और पुनर्नियोजन की अवधि 31-7-1967 को समाप्त हो गई।

जहाज निर्माण उद्योग

7434. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत जहाज बनाने के उद्योग में आत्म-निर्भर है, और

(ख) यदि नहीं तो, कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौहवन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि जहाजों के उत्पादन में सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे, तथापि यह बताना संभव नहीं है कि जहाजों के निर्माण में आत्म निर्भरता कब तक प्राप्त की जा सकेगी क्योंकि जहाज निर्माण उद्योग का विकास कई बातों पर निर्भर है, जैसे धन तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा देश में जहाजों की मशीनों तथा पुर्जों के निर्माण की प्रगति।

Complaints Against Scooter Rickshaw Drivers.

7435. Shri Hukam Chand Kachwai.
Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of persons in Delhi who own more than two three-wheeler scooters and have let them for plying;

(b) whether the scooter drivers misbehave with the passengers and charge ar itrary fare owing to the said arrangment being allowed to prevail; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) According to the information available, there are no such cases.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

हीराकुड क्षेत्र में बीज फार्म

7436. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हीराकुड जलाशय परिसर में केन्द्रीय बीज फार्म में खेती योग्य भूमि कितनी है;

(ख) इस वर्ष वस्तुत: कितनी भूमि में खेती की गई है; और

(ग) क्या स्थानीय काश्तकारों को पट्टे पर कुछ भूमि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) अभी तक 2,900 एकड़ का केवल एक क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया गया है जिसमें से लगभग 10,000 एकड़ भूमि को आगामी कुछ वर्षों में विस्तृत किया जा रहा है । 2,900 एकड़ में से 2,380 एकड़ भूमि कृषि योग्य है । भूमि का कब्जा हाल ही में लिया था इसलिए अभी तक 267 एकड़ भूमि में ही खेती की गई है;

(ग) फार्म अधिकारियों ने ली गई भूमि का कोई भाग स्थानीय पट्टेदारों को किराए पर दिया है ।

बिहार में फलपरिरक्षण कारखाने

7437. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में फल परिरक्षण कारखानों के नाम क्या हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उनमें से किसी कारखाने ने सरकारी सहायता के लिए आवेदन पत्र दिया है/सहायता प्राप्त की है; और

(ग) क्या निर्यात को बढ़ाने के लिये इस उद्योग का बिहार में विकास करने को सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1274/67**]

(ख) जी हां, राज्य सरकार, केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इत्यादि सहायता दे रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

राजस्थान में सिचाई परियोजनायें

7438. **श्री आत्म दास** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में लगभग 300 सिंचाई परियोजनाएं अप्रयुक्त तथा उपेक्षित पड़ी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राजस्थान में सिंचाई के लिए बहुत से तालाब हैं। लगभग 1800 ऐसे तालाबों की, जिनसे 50 एकड़ या उससे अधिक भूमि की सिंचाई हो सकती है, सिंचाई विभाग द्वारा देख-रेख होती है। इन तालाबों की अच्छी तरह से देख-भाल हो रही है और उनकी सिंचाई क्षमता में निरन्तर रूप से सुधार हो रहा है। 50 एकड़ से कम भूमि को सिंचाई करने वाले भूतपूर्व-जागीरदारों। जागीरदारों के तालाबों को देख-रेख हेतु पंचायत राज संस्थाओं को सौंप दिया गया है। इनमें से लगभग 1280 तालाब उत्यक्त अवस्था में हैं। इन समस्त तालाबों का ठीक-ठाक करना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। राज्य सरकार इनमें से ऐसे तालाबों की मरम्मत करने के विषय में विचार कर रही है जिनके क्षेत्र में अब भी काफी जलग्रह क्षेत्र आता है और जिनकी सिंचाई क्षमता का विकास हो सकता है।

कुछ अन्य भी ऐसे जागीरदारी के तालाब हैं जिनका जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण न हो सका और इस कारण वे जागीरदारों की व्यक्तिगत-सम्पत्ति करार दिये गये थे। इन तालाबों का रख-रखाव ठीक तरह से नहीं हो रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Deep Sea Fishing at Tuti Corin Project

7439. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the progress made in the Tuticorin Project regarding deep sea fishing;

(b) whether any communication has been received from the Madras Government in this regard;

(c) if so, the main points thereof;

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annashabib Shinde) : (a) and (b) The question of provision of landing and berthing facilities for small and midium sized fishing vessels at Tuticorin is under examination in consultation with the Madras Government. Trial works for estimation of costs are in progress. The question of taking up the construction work will be decided when the trials are completed. In the mean time an application from a private party for setting up a small project with foreign collaboration has been received through the Madras Government.

(c) and (d) The main features of the small project are the import of two fishing vessels and establishment of processing plants both or internal marketing and export. This scheme is under examination.

Measures Undertaken to Transform Rajasthan Desert into Fertile Land

7440. Shri O. P. Tyagi :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have studied the measures adopted by the Israeli Government of transform their desert into fertile land;

(b) if so, whether Government have adopted those measures for turning the Rajasthan desert into a fertile land;

(c) if so, the results achieved; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coopration (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Government of India in the Department of Agriculture have not studied in full measure, the steps taken by Israeli Government to transform their desert into fertile land. However, an officer from the Exploratory Tubewells organisation of the Department had been deputed to attend a Symposium on "Artificial Recharge and Aquifer Management" held at haifa City (Israel) in the month of March. 1967. During the symposium, he had the opportunity to visit some of the projects in hand in Israel for artificial recharge of groundwater by diverting and spreading surface waters. These projects, however; were then in an experimental stage. The officer did not make any detailed study of the measures adopted for comprehensive development of water resources in Israel.

(b) to (d) Do not arise.

महाराष्ट्र को खाद्यान्न का सम्भरण

7441. श्री तुलशी दास जाधव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दालों, चावल, तेल तथा चने समेत खाद्यान्नों के सम्भरण के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 में अब तक प्रत्येक वस्तु कितनी कितनी मात्रा में मांगी गई थी और उस राज्य को कितनी मात्रा में दी गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, दालों को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों की मांग की गई थी ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने गेहूं, चावल, माइलो, जवार तथा बाजरे की जो मांग की थी, वह 1966 और 1967 के पत्री वर्षों के लिए थी । महाराष्ट्र सरकार ने चने की किसी विशिष्ट मात्रा की मांग नहीं की थी । महाराष्ट्र द्वारा मांगी गई तथा वहां भेजी गई मात्रायें निम्नलिखित हैं :—

(आंकड़े—हजार मीटरी टनों में)

	1966		1967	
	मांगी गई मात्रा	भेजी गई मात्रा	मांगी गई मात्रा	भेजी गई मात्रा (जून, 1967 तक)
गेहूं	20 लाख	1426·7	17 से 18 लाख	412·9
चावल		187·5		81·1
माइलो/ बाजरा जवार		541·3		88·9
चना	(*)–	34·4	(*)	3·7
आयातित तेल	20 0 (1966-67)	1·0	7·0 (1967-68)	—

Counting of Votes at Polling Station

7442. Shri Kanwar Lal Gupta :
Will the Minister of Law be pleased to State :

(a) whether Government have considered the proposal that votes should be counted after the election at the polling booth itself;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government propose to consult the Election Commission also in this regard ?

(*) किसी विशिष्ट मात्रा की मांग नहीं की गई थी ।

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c) The Election Commission, being a body vested under the Constitution with the suprintendence, direction and control of elections, is alone in a position to consider any proposal relating to actual conduct of elections, including the manner of counting of votes. Although the Government have had no occasion to consider any proposal that votes should be counted after the poll at the polling booths itself, the Election Commission has considered this question more than once the last time being in April, 1967 at the Chief Electoral Officers' Conference held in Delhi. But the Election Commission did not consider it desirable or practicable to do the counting at the following station itself for the following reasons :—

(i) Difficulty in maintaining law and order at the polling station owing to lack of adequate police protection at every polling station, especially in rural areas;

(ii) the immediate repurcussions arising from the knowledge that the voters of a particular locality had or had not voted for a particular party;

(iii) the absence of sufficiently senior officers for appointment as Presiding Officers who can be entrusted with the responsible duty of scrutinising the ballot papers, deciding doubtful votes and counting the valid votes;

(iv) difficulty of the candidates in finding a large number of polling agents to supervise the counting at all the polling stations;

(v) absence of suitable accommodation and lighting arrangements at many polling stations, especially in rural areas,

Transport of Foodgrains to Distribution Centres

7443. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether heavy expenditure is incurred by Government on transporting foodgrains from the Ports to the distribution centres particularly to Madhya Pradesh;

(b) whether it is a fact that some traders have written to Government that they can arrange the transport of foodgrains to the distribution centres at comparatively much lower cost; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Considerable expenditure is undoubtedly incurred in movement of imported foodgrains from ports to distribution centres. The extent of such expenditure is higher in respect of movements to distribution centres in the non-maritime States, including Madhya Pradesh. Imported grain is normally despatched from ports to destinations within an economic radius, but some times movements from distant ports are also necessary to meet the situation in the drought affected States, such as Bihar, Madhya Pradesh etc.

(b) No such reference has been received in the Food Department.

(c) Does not arise.

पारादीप एक्सप्रेस राजपथ

7444. श्री शिव चन्द्र झा :
श्री मधु लिमये :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उड़ीसा में पारादीप पत्तन को खानों से मिलाने वाले पारादीप एक्सप्रेस राजपथ के निर्माण में भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस क्षति का पूरा ब्योरा क्या है;

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इसका पत्तन के विकास, खानों और निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस राजपथ के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा यदि कोई सलाह या सहायता दी गई है, तो वह क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्यों का निर्देश दतात्री खानों तथा हरिदासपुर के बीच पारादीप एक्सप्रेस राजपथ को, जिसे जून 1966 से यातायात के लिए खोला गया था, हुई हानि से है। चूंकि यह राजपथ राज्य की परियोजना है, इसलिये इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है। कुछ समय पहले उन्होंने हानि के कारणों का पता लगाने तथा मार्गोपायों का सुझाव देने के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की थी। समिति ने इस बीच एक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रतिवेदन के देखते हुए यदि अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी, तो वह राज्य सरकार द्वारा की आयेगी।

(घ) पारादीप एक्सप्रेस राजपथ का निर्माण केवल इस कारण से किया गया है कि दतात्री खान से, जिसका विकास भी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, अयस्क ले आया जा सके। जब तक खान का पूर्णतया विकास नहीं हो जाता, तब तक पारादीप एक्प्रेस राज पथ के बन्द पड़े रहने से पत्तत के विकास, खानों और निर्यात व्यापार पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा इस राजपथ के लिए न तो कोई वित्तीय सहायता दी गई है और न ही कोई सलाह दी गई है। फिर भी उड़ीसा सरकार ने स्वयं अपनी इच्छा से केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थानों को अपना तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया है तथा उससे कुछ तकनीकी सलाह मिली है। यह सलाह इस प्रकार ली गई है जिस प्रकार गैर सरकारी सलाहकारों से ली जाती है।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

7445. श्री जी० एस० रेड्डी :
श्री ऐंथनी रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बाजार में तम्बाकू मन्दा है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार की तम्बाकू समन्वय समिति ने केन्द्रीय सरकार से तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क कम करने के लिये अनुरोध किया है; और

(ग) तम्बाकू के बड़े भण्डारों की बिक्री के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, आन्ध्र प्रदेश में।

(ख) तम्बाकू समन्वय समिति ने सिफारिश की कि तम्बाकू के निपटान के लिये बिना बिके नाटू तम्बाकू पर शुल्क कम करने की सम्भावना पर जांच की जायें।

(ग) निर्यात तथा स्थानीय बिक्री के लिये स्टाक अर्जित करने हेतु केन्द्रीय एजेंन्सी के मारकीट में आने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना

7446. **श्री यशपाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना का डबल-टोन्ड दूध वेतन पाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है जबकि यह दूध गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को देने के लिये तैयार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) डबल टोन्ड दूध की सप्लाई को दिल्ली के कम आय वालों के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने 1-6-65 से विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से शुरू किया था। इस दूध से केवल वे परिवार लाभ उठाने के हकदार हैं जिनका कुल मासिक वेतन 300 रुपए या इससे कम है। इनमें नौकरी पेशा वे व्यक्ति भी आ जाते हैं जिन्हें मास में 300 रुपए या इससे कम वेतन मिलता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Flour Mills

7447. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Yeshpal Singh :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Pratap Singh :
Shri Ramanand Shastri :
Shri Molahu Prasad :
Shri N. K. P. Salve :
Shri Ram Charan :
Shri Chintamani Panigrahi :
Shri Abdul Ghani Dar :
Shri G. S. Mishra :
Shri Hem Raj :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total number of flour mills in India, State-wise;

(b) the monthly quota of wheat in tonnes issued to each flour mills by Government and the basis on which the quota is issued;

(c) the number of flour mills among them which have been set up without obtaining approval and license from the Central Government;

(d) the flour mills in which there are satisfactory arrangements in regard to sanitary and hygienic conditions; and

(e) whether Government have also received any complaints against certain mills ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement showing the number of licensed flour mills in India is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT—1275/67)

(b) The monthly issues to roller flour mills vary from State to State and month to month. It is, therefore, not possible to indicate any fixed quantity as monthly quota issued to each flour mill.

A ceiling quota for each roller flour mill has been fixed by Government and the monthly issues are based on these ceiling quotas.

(c) Under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, a flour mill employing 50 persons or more working with the aid of power will have to take a licence before it is set up. In the case of mills employing less than 50 persons it is not necessary to take out licence under the provisions of the Act, but in the case of all mills a licence is required to be taken under the Wheat Roller Flour Mills (Licensing and Control) 1957 before it goes into production, Information is not readily available as to the number of mills which have been set up without obtaining licence under the Industries (Development and Regulation) Act. The information will be collected and placed on the Table of the Sabha.

(d) Before giving a licence to a flour mill,it is inspected and only if the sanitary and hygienic conditions are satisfactory, a licence is issued. The flour mills are also periodically inspected and if anything wrong is found in any mill action against them is taken and they are asked to rectify the defects.

(e) Complaints against individual mills are received from time to time. On receipt of any such complaint usually an inquiry is made and appropriate action taken.

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में नई नियुक्तियां

7448. श्री चं० चु० देसाई :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके द्वारा परिवहन तथा नौवहन मन्त्री का पद संभाले जाने के बाद इस नये मन्त्रालय में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई ;

(ख) इन नई नियुक्तियों का औचित्य क्या है, किन किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया हैं और इन नये पदों के लिये उनके पास क्या विशेष योग्यताएं हैं और ये पद कितने समय के लिये हैं;

(ग) क्या नियुक्त व्यक्ति इससे पहले स्थायी पदों पर नियुक्त थे अथवा वे अस्थायी कर्मचारी हैं और पिछले दो वर्षों में वे किसके साथ काम करते रहे हैं; और

(घ) क्या उन का विचार मितव्ययता की दृष्टि से अपने निजी कर्मचारियों की संख्या घटा कर उस संख्या के बराबर लाने का है जो उन से पहले मन्त्री के समय में थीं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1276/67**]

(घ) जी हां, जब काम को देखते हुए ऐसा करना संभव होगा ।

सीमा सड़कों का विकास

7449. श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० की० अमीन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में कच्छ सीमा तथा बनस्कंठा सीमा पर सड़कों का विकास सरकार द्वारा किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां, गुजरात राज्य में कच्छ सीमा तथा बनस्कंठा सीमा पर कुछ सड़कों का विकास सामरिक सड़कों के रुप में किया जा रहा है ।

(ख) जिन सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी गई है, उनकी लम्बाई 700 मील है, जिस में से 296 मील पर काम पूरा हो चुका है तथा शेष भागों में काम प्रगति की अग्रिम अवस्था में है । जिन 19 बड़े तथा 16 छोटे पुलों की मंजूरी दी गई थी, उन में से 3 बड़े तथा 25 छोटे पुल बन चुके हैं तथा 15 बड़े और 20 छोटे पुलों पर काम की प्रगति विभिन्न अवस्थाओं में है । शेष एक बड़े तथा 17 छोटे पुलों पर अभी काम आरम्भ किया जाना है ।

पत्तनों पर माल की निकासी

7450. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पत्तनों पर माल की निकासी को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने के किसा प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि हड़तालें करने से निकासी का कार्य बन्द न हो; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) किसी पत्तन सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि यह विचार किया गया है कि किसी मुख्य बन्दरगाह की किसी सेवा अथवा उसके कार्यसंचालन की किसी सेवा को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (ढ) के प्रयोजनार्थ लोकउपयोगी सेवा घोषित किया जाये। इस संशोधन औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक में शामिल किया गया है, जो राज्य सभा में विचारार्थ पड़ा है।

मैसूर में चीनी सहकारी समितियों के लिये लाइसेंस

7451. **श्री कृष्णन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य की अनेक चीनी सहकारी समितियों द्वारा लाइसेंसों की प्राप्ति के लिये दिये गये आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) आवश्यक मंजूरी कब दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, चार आवेदन पत्र अनीर्णित पड़े हैं।

(ख) और (ग) रुपये के सीमित संसाधनों के कारण उन नये सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना में कठिनाई पेश आ रही है, जिनके लाइसेंस पहले ही दिये जा चुके हैं। अतः वित्तीय कठिनाई के सुधरने तक और कारखानों के लिये लाइसेंस देने के प्रश्न को स्थगित कर दिया गया है।

इसराईल-संयुक्त अरब गणराज्य के बीच संघर्ष के दौरान काश्मीर में पर्यटकों के साथ व्यवहार

7452. **श्री बाबूराव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि अरब-इसराईल युद्ध वाले सप्ताह में श्रीनगर से एक गिरजा-घर जला दिया गया था तथा ब्रिटेन और भारत के पर्यटकों को पीटा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैकड़ों पर्यटकों को रोक दिया गया था और उन्हें चार दिन तक भोजन अथवा सहायता के बिना अपने आप को हाउस बोटों में बन्द रखना पड़ा था;

(ग) क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन की कुछ महिलाओं का सारा सामान, जिसमें उन के कपड़े भी थे, लूट लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे भावावेगों से पर्यटकों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (घ) अरब देशों तथा इजराईल के बीच हुए युद्ध के समय 7 जून, 1967 को श्रीनगर में अरबों के पक्ष में तथा इजराईल एक विरोध में एक प्रदर्शन हुआ था । दुर्भाग्यवश इन प्रदर्शनकारियों द्वारा कुछ ऐसे काम किये गये जिनसे दो गिरजाघरों को क्षति हुई तथा कुछ विदेशियों एवं पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया । केवल एक विदेशी ने क्षतिपूर्ति का दावा किया हैं और राज्य सरकार द्वारा उसे उचित वित्तीय सहायता दी गई है । उस दिन के उपद्रव से पर्यटकों को कुछ असुविधा अवश्य हुई थी तथा उनमें कुछ बेचैनी भी फैल गई थी, परन्तु शीघ्र ही उनमें विश्वास की भावना पैदा की गई । राज्य सरकार इस बात की बहुत इच्छुक है कि पर्यटकों का परीक्षण किया जाये, उन्हें सहायता दी जाये तथा प्रोत्साहन दिया जाये और भारत सरकार इस बारे में राज्य सरकार को हर सम्भव सहयोग देगी ।

पशुओं की संख्या

7453. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं की संख्या में वृद्धि रोकने के उद्देश्य से परिवार नियोजन के उपायों को लागू करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) भारत में इस समय गायों, भैंसों, घोड़ों, भेड़ों और बकरियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) उनकी जन्म दर में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि और मरण दर में वार्षिक प्रतिशत कमी कितनी होती है;

(घ) हमारे देश के इस समय के कुल पशु किस किस्म का, कितना और कितने मूल्य का खाद्य और चारा खाते हैं; और

(ङ) चारे की मांग को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1277/67]

हल्दिया पत्तन में 'सिजो' का निर्माण

7454. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री भ्रात्न दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनाज रखने के लिए हल्दिया पत्तन में एक "सिलो" (विशेष किस्म का गोदाम) बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता कितनी होगी और उसका निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने का है; और

(घ) क्या देश के अन्य महत्वपूर्ण पत्तनों में भी ऐसे सिलो (गोदाम) बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा नियुक्त भारत-स्वीडन अध्ययन दल ने हल्दिया में द्रुत गति से अनाज भरने-निकालने वाले उपकरण सहित 50,000 मीटरी टन की क्षमता का एक सिलो (गोदाम) बनाने की सिफारिश की थी। सिलो की सम्भावित स्थापना के स्थान की भूमि की जांच की गई है। गोदाम बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय परियोजना पूर्व प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, जिसे तैयार किया जा रहा है, किया जायेगा।

(ग) इस प्रश्न पर परियोजना के बारे में निर्णय करने के बाद विचार किया जायेगा।

(घ) सरकार ने कांडला में द्रुत गति से अनाज उतारने वाले उपकरण सहित 50,000 मीटरी टन की क्षमता वाला एक सिलो बनाने की मंजूरी दे दी है। उक्त स्थानों के अतिरिक्त भारत-स्वीडन अध्ययन दल ने बम्बई (शेवा) तथा मद्रास बन्दरगाहों पर भी एक एक सिलो बनाने की सिफारिश की है, जिनके प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्था कोचीन

7455. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अनिरुद्धन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन स्थित केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्था के तीन कर्मचारियों को गैर कानूनी तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया है;

(ख) क्या इस मामले में कैमिकल एण्ड इन्जीनियरिंग वर्कर्स यूनियन, कोचीन की ओर से सरकार को कोई ज्ञापन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। कोचीन स्थित केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्था से किसी कर्मचारी को गैर कानूनी तौर पर नौकरी से नहीं निकाला गया है। सम्भवतः आदरणीय सदस्य

का अभिप्राय दिसम्बर, 1966 में निकाले गए 3 बढ़ैयों से हैं । ये बढ़ई दैनिक वेतन के आधार पर कार्य कर रहे थे और संस्था के नियमित कर्मचारी नहीं थे । उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया था कि उनकी नौकरी दैनिक वेतन के आधार पर होगी । इस आधार पर उन्हें दिसम्बर, 1966 में सेवा मुक्त किया गया था ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय मत्स्यपालन संस्था के निदेशक को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था । निदेशक ने उपरोक्त स्थिति में 3 दैनिक वेतन वाले बढ़ैयों की सेवा की समाप्ति के बारे में अपने निर्णय में परिवर्तन करना उचित नहीं समझा ।

केरल का चीनी का कोटा

7456. **श्री विश्वम्भरन :**
श्री प्रबिचन :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1967 तक की अवधि में केरल को चीनी का कितना मासिक कोटा दिया गया था;

(ख) अप्रैल, 1967 से केरल के चीनी के कोटे में कटौती की जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केरल का चीनी का कोटा फिर से मार्च से पहले की मात्रा के बराबर किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क)

जनवरी,	1967	10,000 मीटरी टन
फरवरी,	1967	10,000 ,,
मार्च,	1967	7,000 ,,
अप्रैल,	1967	7,000 ,,
मई,	1967	5,849 ,,
जून,	1967	5,849 ,,

(ख) उत्पादन में हुई कमी के कारण कम चीनी उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप चीनी के कोटे में कटौती की गई । सब राज्यों के कोटे में कमी की गई है ।

(ग) चीनी की वर्तमान उपलब्धता को देखते हुए चीनी के कोटे की मात्रा फिर से पहले की मात्रा के बराबर करना संभव नहीं है ।

केरल को गेहूं का नियतन

7457. **श्री मरंडी :**　　　　　　**श्री अविचन :**
श्री विश्वम्भरन :　　　　　　**श्री मंगलाथुमाडोम :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से जून, 1967 तक **केरल को** गेहूँ की कितनी मात्रा का नियतन किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जनवरी से जून, 1967 तक केरल को 140.2 हजार मीटरी टन गेहूँ का नियतन किया गया था ।

पटसन का मूल्य

7458. **श्री किन्दर लाल :**
डा० महादेव प्रसाद :
श्री कृ० के० त्रिपाठी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि 1966-67 की फसल पर कच्चे पटसन का मूल्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी और गोंडा जिलों में उसी किस्म के पटसन के लिये बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रचलित मूल्यों की तुलना में बहुत कम थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को इससे होने वाले नुकसान से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) किस्म के अन्तर, परिवहन खर्च तथा अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए जून, 1967 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी और गोंडा जिलों में कच्चे पटसन का मूल्य बिहार तथा पश्चिम बंगाल में प्रचलित मूल्यों की तुलना में अनुपातहीनता से कम नहीं थे ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पार्श्व सड़क परियोजना

7459. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**　　　　　　**श्री किन्दर लाल :**
डा० महादेव प्रसाद :　　　　　　**श्री गुणानन्द ठाकुर :**
श्री कृ० दे० त्रिपाठी :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्श्व सड़क परियोजना का काम बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) जी नहीं, परन्तु वित्तीय कठिनाई के कारण परियोजना का काम धीमा कर दिया गया है और अब इसका पूरा होना मुख्यतया धन की उपलब्धि पर निर्भर है ।

किसानों को किराये पर कृषि उपकरणों की सप्लाई

7460. **श्री प्र० न० सोलंकी** :
श्री बृजराज सिंह कोटा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब और जरूरतमन्द किसानों को सहकारी समितियों तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से कृषि के उपकरण किराये पर देने की कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर आदि को किराये पर देने के बारे में कई राज्य सरकारों ने योजनायें बनाई हुई हैं । इस योजना से वे निर्धन कृषक लाभ उठाते हैं जो ट्रैक्टर आदि उपकरणों का क्रम नहीं कर सकते । परन्तु ये मौजूदा सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं और भारत सरकार एक ऐसी योजना तैयार कर रही है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारें निर्धन कृषकों को किराये पर देने के लिए और उपकरण प्राप्त कर सकेंगी । इस योजना के अनुसार अनेक ऐसी एककों की स्थापना की जायेगी जो ये सुविधायें प्रदान करेंगी । ये एककें क्रालर ट्रैक्टरों, व्हील ट्रैक्टरों तथा ट्रैक्टर की सहायता से कार्य करने वाले ऐसे उपकरणों से सुसज्जित होंगी जिनसे बड़े पैमाने पर कृषि कार्य हो सकेंगे ।

दिल्ली में सुपर बाजार

7461. **श्री आत्म दास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में दूसरे सुपर बाजारों में भी माल चुनिये और खरीदिये व्यवस्था (सैल्फ सर्विस शोपिंग) लागू करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) इस मामले पर पूरी तरह से भण्डारों को ही विचार करना है । सरकार केवल इतना ही कह सकती हैं कि यदि ठीक प्रकार से कार्य किया जाए तो यह प्रणाली सुविधाजनक सिद्ध होगी ।

नये सुपर बाजार खोलना

7462. श्री प्रात्म दास : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 4 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के अन्य शहरों में नये सुपर बाजार खोलने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन शहरों में ऐसे बाजार खोले जायेंगे; और

(ग) इस योजना के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डारों को बड़े शहरों में अपनी शाखाओं के रूप में सुपर बाजार अथवा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलने के लिए सहायता देने की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) पहले से अनुमोदित 12 डिपार्टमेन्ट स्टोरों की सूची-जिनकी बहुत ही शीघ्र खोले जाने की आशा है, संलग्न है । इस मंत्रालय का चालू वर्ष में अन्य 20 डिपार्टमेन्ट स्टोरों की स्थापना में सहायता करने का कार्यक्रम है जिसके लिए उनकी राज्य सरकारों के माध्यम से थोक भण्डारों से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं ।

(ग) इस कार्यक्रम के चालू योजनावधि के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

डिपार्टमेन्ट स्टोर जिनके लिए धनराशि मंजूर की गई है, लेकिन अभी उन्होंने कार्य आरम्भ करना है ।

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	शहर का नाम
बिहार	1. जमशेदपुर
	2. रांची
आन्ध्र प्रदेश	3. विशाखापटनम
मध्य प्रदेश	4. ग्वालियर
मैसूर	5. मैसूर
उत्तर प्रदेश	6. मेरठ
	7. कानपुर
	8. गोरखपुर
पश्चिमी बंगाल	9. हावड़ा
	10. उत्तरी कलकत्ता
	11. दक्षिणी कलकत्ता
चंडीगढ़	12. चंडीगढ़

Compulsory Procurement Scheme in M. P.

7463. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains procured under the Compulsory Procurement Scheme in Madhya Predesh during this year and last year;

(b) whether any difficulty has been experienced in regard to compulsory procurement of foodgrains; and

(c) if so, the action taken to remove them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The total quantity of foodgrains procured in Madhya Pradesh during the last crop year was 3.89 lakhs tonnes. The quantity procured during the current crop year up to the end of June 1967 is 2.88 lakhs tonnes. These quantities have been procured mainly under the Compulsory Procurement Scheme.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Minor Irrigation Schemes

7464. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Ram Charan :** **Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the amount demanded by the Governments of U. P., West Bengal and Madras for minor irrigation schemes, separately, during the year 1967-68; and the amount allocated to them, respectively.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : During the current financial year 1967-68, the Planning Commission has approved the following outlays for minor irrigation schemes within the State Plans :—

State	Plan outlay approved for 1967-68 (Rupees in crores)
Madras	7.30
Uttar Pradesh	28.00
West Bengal	6.16

These State Governments have also requested the Government of India for allotment of additional funds as indicated below for minor irrigation schemes during 1967-68 :—

State	Additional oultay required (Rupees in crores)
Madras	13.57
Uttar Pradesh	4.00
West Bengal	1.30

The matter is under the consideration of the Government.

Storage Godowns in U. P.

7465. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Ram Charan :** **Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for the construction of storage godowns for foodgrains, the U. P. Government have made a demand of Rs. 3.5 crores during the Fourth Five Year Plan, out of which they have asked for Rs. one crore immediately for 1967-68; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Expansion of Sugar Mills in U. P.

7466. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Ram Charan :** **Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state)

(a) whether it is a fact that the fresh licences are not being issued for the expansion of sugar mills in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. Expansion licences have been issued to 32 factories in U. P. against the Fourth Plan target.

(b) Does not arise,

दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारी

7467. **श्री राम चरण :** **श्री लखन लाल कपूर :** **श्री मोलहू प्रसाद :** **श्री रामजी राम :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में बम्बई दुग्ध योजना की अपेक्षा उसी श्रेणी के अधिक अधिकारी काम कर रहे हैं जबकि इसकी क्षमता बम्बई दुग्ध योजना की तुलना में लगभग आधी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) बम्बई दुग्ध योजना के बारे में महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मांगी जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खट्टे दूध की बरबादी

7468. श्री राम चरण :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री लखनलाल कपूर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रति दिन हजारों लिटर दूध खट्टा होने के कारण फेंक दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस खट्टे दूध का उपयोग करने तथा इस बरबादी को रोकने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) प्राप्त किया गया खट्टा दूध फेंका नहीं जाता है बल्कि उससे क्रीम और स्प्रेटा दूध निकाला जाता है जिनसे मक्खन, घी तथा दुग्ध चूर्ण तैयार किये जाते हैं। ऐसे अवसर थोड़े ही होते हैं जबकि दिल्ली दुग्ध योजना के पास इतना अधिक खट्टा दूध आ जाता है जो सम्भाला न जा सके। ऐसे अवसर ताजे दूध के लिए स्थान बनाने हेतु उस खट्टे दूध को फेंकना पड़ता है।

(ख) दूध सम्भालते समय ऐसी हानि से बचने के लिए सभी प्रकार की सावधानी बर्तने के बावजूद भी खट्टापन से कुछ दूध खराब हो ही जाता है। दूध में खट्टापन सामान्य रूप से खराब जलवायु के कारण ही आता है। ऐसी हानि के लिए पावर का खराब होना भी एक कारण है जिसके फलस्वरूप दूध शीतयुक्त नहीं हो पाता हैं, गाड़ियों का खराब होना दूसरा कारण है, भण्डारन क्षमता की कमी आदि। वास्तव में ये हानियां सम्भाले जाने वाले दूध की अपेक्षा बहुत कम है और ऐसी हानियों को सामान्य हानि समझा जाता है।

(ग) सामान्य रूप से प्राप्त खट्टे दूध के निपटान के लिए दिल्ली दुग्ध योजना को उपकरण दिया गया है। खट्टे स्प्रेटा दूध से पनीर बनाने वाले उपकरण की खरीद के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। कुछ अवसरों पर प्राप्त होने वाले खट्टे दूध के उपयोग हेतु उपकरण देने में बड़ी राशि लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

सिक्किम को चावल की सप्लाई

7469. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अपने वचन के अनुसार सिक्किम को चावल नहीं दे सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हाल के कुछ महीनों में सिक्किम को वहां के लिये निर्धारित मासिक कोटे से कम चावल भेजा गया है।

(ख) सिलीगुड़ी में पर्याप्त मात्रा चावल उपलब्ध न होने के कारण यह कटौती करनी पड़ी।

(ग) सिलीगुड़ी को पर्याप्त मात्रा में चावल भेजने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

Development of Agriculture

7470. Shri D. S. Patil : Shri Tukaram Gavit :
Shri B. R. Kavade : Shri Sonavane :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the names of the States where Special Development Programme of Agriculture is being implemented;

(b) whether under the Agriculture Development Scheme, the agriculturist is more benefited by special Area Development Programme as compared to the special Development Programme;

(c) if so, whether the Central Government have directed the State Government to implement this programme; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d) Hon'ble Members are apparently referring to the mention of "Special Development Programme" and of "Special Area Programme" on page 30-31 of the Annual Report of the Department for 1966-67. The position is that while Special Development Programme was a short-term undertaking for a limited period of 3 years i. e. 1964-65 to 1966-67 relating to subsidiary foods (vegatables, milk, meat, eggs and fish) and certain special items such as organic manure and storage, Special Area Development is a continuing programme for agricultural production on an intensive scale in specific geographical areas, Special Development Programme are no longer assisted by the Centre specifically, except as items of normal State Plan Schemes.

The objectives of Special Area Development Programmes are quite different as they are designed to ensure integrated and multipurpose agricultural development of special areas desert areas, chronically drought-affected areas and other areas with special problems deserving attention. A Desert Development Board has been constituted under this programme to take up schemes of desert development in Gujarat, Rajasthan, Punjab and Haryana. A pilot project to deal with the problem of water-logging and salinity in the command of Chambal in Rajasthan has also been finalised. Other schemes for taking up integrated programmes for development of chronically drought-affected areas and special areas are also being formulated.

कलकत्ता बन्दरगाह में जहाजों पर से माल उतारना

7471. श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्री बेणीशंकर शर्मा :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह में जहाजों पर से माल उतारने का काम केन्द्र ने अपने अधिकार में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कलकत्ता बन्दरगाह में जहाजों का माल उतारने का काम जो अब तक गैर-सरकारी ठेकेदार द्वारा किया जाता था, अब विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(ख) कुछ समय पूर्व यह निर्णय किया गया था कि जहाजों से माल उतारने का काम विभाग द्वारा किया जाये, परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण इसे पहले क्रियान्वित नहीं किया जा सका। परन्तु इस बात को देखते हुए अभी कुछ समय तक खाद्यान्न का आयात काफी मात्रा में जारी रहेगा और कहीं गैर-सरकारी ठेकेदार द्वारा माल उतरवाने से माल उतारने का बन्द न हो जाये, 11 जुलाई, 1967 से माल उतारने का काम विभाग द्वारा करने का निर्णय किया गया है।

आटा मिलें

7472. **श्री हेमराज :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं पीसने के आटा मिल नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत आटा मिल स्थापित करने हेतु लाइसेंस देने की क्या कसौटी है; और

(ख) वर्ष 1960 से अब तक उन राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों से जिनमें कोई आटा मिल नहीं है कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मिल स्थापित करने के लिये गेहूं पीसने के आटा मिल नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत किसी को लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। उक्त आदेश के अन्तर्गत मिल को चलाने के लिये लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। वे शर्तें जिनके अनुसार लाइसेंस दिये जाते है गेहूं पीसने के आटा मिल (एल एण्ड सी) आदेश के खण्ड 4 और 5 में दी गई है।

(ख) मिल स्थापित करने के लिये प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों का संख्यावार हिसाब नहीं रखा जाता। ऐसे आवेदन-पत्रों पर जब वे प्राप्त होते है, कार्यवाही की जाती है और उन पर अन्तिम आदेश जारी करने के बाद उन्हें बन्द कर दिया जाता हे। अपेक्षित जानकारी को इकट्ठा करने के लिये पर्याप्त लिपिक श्रम की आवश्यकता होगी तथा उसका कोई फल नहीं होगा।

हिमाचल प्रदेश में आटा मिल

7473. **श्री हेमराज :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में एक भी आटा मिल नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि छोटे पैमाने के क्षेत्र में वहां पर आटा मिल लगाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। शिमले में आटा पीसने की एक मिल है।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और मिल स्थापित करने की सिफारिश की हैं।

(ग) मामला विचाराधीन हैं।

Child Marriages

7474. **Shri O. P. Tyagi :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atam Das :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Mahant Digvijay Nath :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether child marriages are taking place in India at present inspite of the Child Marriage Restraint Act, 1929; and

(b) if so, whether Government propose to enforce strict compliance of this Act in view of the increasing population of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) The Child Marriage Restraint Act, 1929, being a matter in the concurrent field of legislation, is administared by the State Governments and as such the information is not available with the Central Government. It is, however, understood that a few child marriages did take place in some districts of Uttar Pradesh last year and prosecutions were launched under the Act in respect thereof.

(b) The difficulty with regard to the enforcement of strict compliance with the Act is that the offences under the Act are all non-cognizable as the punishment provided for exceeds in no case three months. Criminal proceedings can therefore be initiated only on complaint and not on the report of a police officer. There are other loopholes and lacunae in the Act which stand in the way of enforcement of strict compliance therewith. Under section 9 of the Act, no court can take cognizance of an offence after the expiry of one year from the date on which the offence is alleged to have been committed. Under section 12 of the Act, before the court can issue an injunction prohibiting a marriage in contravention of the Act, notice to show cause must be issued to the person against whom the injunction is sought, before the injunction can be actually issued and in such a case if the marriage is solemnized between the date of issue of the show cause notice and the date of issue of the injunction, then, the application for injunction becomes absolutely infructuous. The Act is no doubt a half-hearted measure and that accounts for the absence of strict compliance therewith.

मरमागोआ-पोंडा-अनमोड तथा पंजिम-पोंडा-अनमोड सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना

7475. **श्री सेक्वीरा :**
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरमागोआ-पोंडा-अनमोड तथा पंजिम-पोंडा-अनमोड सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) पंजिम-पोंडा-अनमोड को अन्य सड़कों के साथ राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार काफी समय से विचार कर रही है। हाल ही में गोआ प्रशासन से प्राप्त परमा-गोआ-पोंडा-अनमोड सड़क को राजपथ घोषित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) उनके द्वारा प्रस्तावित इस सड़क को राष्ट्रीय पथ घोषित करने के सम्बन्ध में गोआ प्रशासन से आवश्यक तकनीकी आंकड़े सप्लाई करने के लिये कहा गया है। इस जानकारी और देश की अन्य सड़कों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद, जिन्हें राजपथ में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, प्रस्ताव पर तकनीकी तौर पर विस्तार से विचार किया जायेगा। इन सब प्रस्तावों पर निर्णय चौथी योजना के लिये निर्धारित राशि को अन्तिम रूप देने और राष्ट्रीय पथ प्रणाली में शामिल होने के लिये मुकाबला करने वाली सड़कों के लिये वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विशाखापट्टणम् पत्तन

7476. **श्री पार्थसारथी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टणम पत्तन का प्रसार करने तथा उसका डिजाइन बदलने की एक बृहद योजना है ताकि अधिक माल लादा तथा उतारा जा सके तथा बड़े जहाज आ और जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो किन योजनाओं को आरम्भ किया जा रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) इस पत्तन के भविष्य में विकास के लिये विशाखापट्टणम न्यास ने एक वृहद योजना बनाई है उसके अन्तर्गत 62 बर्थ, एक बड़ी सूखी गोदी, तीन वाईलस, तीन टॉनग बेसिन, एक मछली पकड़ने की बन्दरगाह और दूसरी शिप चैनल स्थापित करना है। इस योजना के अन्तर्गत पत्तन का डिजाइन बदलना शामिल नहीं है क्योंकि उसके विकास का कार्य पहले ही किया जा चुका है और वृहद योजना के भाग से पूरा करने का प्रस्ताव है। चौथी योजना के दौरान वृहद योजना के अन्तर्गत तीन धार, सहायक सुविधाएं नया रेलवे यार्ड, सड़क रेल पुलों मालगोदामों की सुविधाएं अतिरिक्त फलोटिंग क्राफ्ट के उपकरणों, बड़े जहाजों के आने जाने की सुविधाओं में विकास किये जाने, उत्तरीय गोदी में दूसरा बेसिन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जत नगर

7477 **श्री रा० बरुआ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जत नगर (उत्तर प्रदेश) के कुछ अनुसन्धान सहायकों को मार्च, 1964 में भूतलक्षी प्रभाव से तदर्थ आधार पर सैलेक्शन ग्रेड दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सहायकों के सैलेक्शन ग्रेड को अभी तक अन्तिम रूप से स्वीकृति नहीं दी है और उनके वेतन पुनः निर्धारित नहीं किये गये हैं और सम्बन्धित कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि भी नहीं दी गई है क्योंकि उनकी पदोन्नति को स्वीकृति देने का मामला अभी विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये स्वीकृति देने में और उसके परिणामस्वरूप बनने वाले वेतन के बकाया भुगतान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर कब अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। कृषि विभाग की विभागीय वृद्धि समिति द्वारा अनुमोदन के आधार पर 1964 में निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जत नगर द्वारा कुछ अनुसन्धान सहायकों को सैलेक्शन ग्रेड दिया गया। ग्रेड सैलेक्शन में उनका वेतन आदेशों के जारी होने की तिथि से निर्धारित किया गया था और विभागीय उन्नत समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही उनके वेतन का बकाया उन्हें अदा किया जाएगा।

(ग) सम्बन्धित स्टाफ के अधूरे चरित्र प्रमाण पत्रों और उच्चता तथा ग्रेड सम्बन्धी सूची की अनुपलब्धि के कारण मामले को विभागीय वृद्धि समिति के सामने नहीं रखा जा सका।

(घ) कृषि विभाग की विभागीय वृद्धि समिति के सामने मामला रखा जा रहा है और जब प्रस्ताव समिति द्वारा अनुमोदित कर दिए जायेंगे तभी मामलों का अन्तिम रूप से निर्णय किया जायेगा।

दिल्ली में पर्यटन निवेशालय

7478. श्री मरडी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में पर्यटन निदेशालय स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार से मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस निदेशालय को स्थापित करने के लिये क्या कारण प्रस्तुत किये गये हैं तथा यह निदेशालय राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देने में कितनी सहायता करेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली में पर्यटन निदेशालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर दिल्ली प्रशासन से विचार-विमर्श किया गया है। दिल्ली प्रशासन को यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक और न्यायोचित तरीके से विचार कर भारत सरकार के विचार के लिये भेज दिया जाये।

(ग) दिल्ली प्रशासन का विचार है कि पर्यटन निदेशालय के स्थापित किये जाने से प्रशासन को शहर में पर्यटकों को सुविधा देने में सहायता मिलेगी। प्रस्ताव को न्यायोचित घोषित किये जाने के कारणों की प्रतीक्षा है।

Parliament Assistants in Ministry of Food and Agriculture

7479. **Shri Molahu Prasad : Shri Gunanand Thakur ; Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Ram Charan : Shri Sheopujan Shastri :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of posts of parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of incumbents of the said posts and since when they have been working against them;

(c) whether there is any person who has been working against the said post for more than three years;

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in accordance with the orders of the Home Ministry; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Five.

(b) Five (Since 25-1-1967, 7-2-1966, 13-6-1966, 8-2-1967 and 18-3-1967 respectively),

(c) No.

(d) and (e) Do not arise.

Parliament Assistants in Law Ministry

7480. **Shri Molahu Prasad : Shri Gunanand Thakur : Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Sheopujan Shastri :**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of incumbents of the said posts and since when they have been working against them;

(c) whether there are any person who have been working against the said posts for more than three years;

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in accordance with the orders of the Home Ministry; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) There is no wholetime post of Parliamentary Assistant as such in this Ministry but an Assistant of the Ministry is detailed to perform the duties of Parliament Assistant whole-time during Sessions of Parliament.

(b) From February 1961 to date. 3 Assistants have been appointed to perform the duties of Parliament Assistant, the first one from February, 1961 to May 1962, the second from August 1962 to May 1965 and the third from August 1965 to date.

(c) No.

(d) Does not arise.

(e) Does not arise.

Parliament Assistants in Transport and Shipping Ministry

7481. **Shri Gunanand Thakur :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Charan :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of incumbents of the said posts and since when they have been working against them;

(c) whether there are any persons who have been working against the said posts for more than three years;

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in accordance with the orders of the Home Ministry; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) One.

(b) One. Since July, 1963.

(c) Yes,

(d) The present incumbent is on leave at present. On the expiry of the leave he will not join back as Parliament Assistant in this Ministry.

(e) Does not arise.

दिल्ली के चिड़िया घर में सफेद शेर

7483. **श्री आत्म दास :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चिड़िया घर में कुल कितने सफेद शेर हैं;

(ख) क्या इन सफेद शेरों को खरीदने के लिए विदेशों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें विदेशों को बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) अब तक कुल कितने सफेद शेर बेचे गये हैं; और

(ङ) इस व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा के कमाये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नौ (दो दिल्ली चिड़ियाघर में तथा दिल्ली चिड़ियाघर के खर्चे पर दो रीवा में)।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर में खेती की भूमि

7484. **श्री मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को मनीपुर में कितने एकड़ भूमि में खेती की जाती थी;

(ख) खेती की ऐसी कितनी एकड़ भूमि है जिसमें उपर्युक्त तारीख को उर्वरकों का प्रयोग होता था; और

(ग) खेती की ऐसी कितनी एकड़ भूमि है जिसमें अधिक उपज वाले बीज प्रयोग में लाये जाते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) पूछी गई जानकारी मनिपुर प्रशासन से मांगी गई है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

तम्बाकू के पत्ते का उत्पादन

7485. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तम्बाकू के पत्तों का कुल उत्पादन कितना है और कितने एकड़ भूमि में इसकी उपज होती है;

(ख) इसे सर्वाधिक मात्रा में कौन खरीदते हैं; और

(ग) क्या विदेशी नियंत्रित सिगरेट कम्पनियों का इस पर कोई एकाधिकार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1965-66 में 345.3 हजार हैक्टेअर भूमि में 2735 लाख किलोग्राम।

(ख) वी० एफ० सी० तम्बाकू (जो कि देश में खपत होने वाली व निर्यात होनेवाली सिगरेटों के बनाने के काम आता है) की सबसे बड़ी खरीदार इण्डियन लीफ टोबेकू डिवेल्पमेंट कम्पनी तथा नेशनल टोबैकू कम्पनी हैं। इनमें से पहली कम्पनी देश में सिगरेटों के बनाने में काम आने वाले 70-80 प्रतिशत तम्बाकू को खरीदती है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश इण्डिया ट्रेडिंग कार्पोरेशन केवल निर्यात हेतु तम्बाकू खरीदती है।

(ग) देश में सिगरेट बनाने वाली 13 एकके हैं जो वर्ष भर में 4,52,280 लाख सिगरेटें तैयार करती हैं, सिगरेटों के कुल उत्पादन में विदेशी फर्मों का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है। देश में सिगरेटों के उद्योग में लगी कुल पूंजी का 80 प्रतिशत हिस्सा विदेशियों का है।

दिल्ली में चीनी का राशन

7487. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के उपभोक्ताओं को राशन में मिलने वाली चीनी में और कटौती करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसा किन कारणों से किया जा रहा है और इस कटौती के कब तक पूरो किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) इस वर्ष चीनी के उत्पादन और इसकी उपलब्धता में भारी कमी होने के परिणाम स्वरूप सब राज्यों के मासिक कोट में पहले मार्च, 1967 और फिर मई, 1967 में कमी कर दी गई थी। दिल्ली को मिलने वाले मासिक कोटे में भी एक बार केवल मार्च, 1967 में कमी कर दी गई थी। दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलने वाली चीनी की सप्लाई में कमी करने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है। दिल्ली के चीनी के कोटे में की गई कटौती चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने पर ही पूरी की जाने की सम्भावना है।

दिल्ली में डबल रोटी की कमी

7488. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित गेहूं के आने में तथा बेकरियों को देने के हेतु मदा तैयार करने के लिये मिलों को आयातित गेहूं सप्लाई करने में काफी विलम्ब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में डबल रोटी की अत्यन्त कमी हो गई;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) डबल रोटी की सप्लाई कब पुनः आरम्भ हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास, तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली में पत्तनों से आयातित गेहूं पहुंचने में कमी हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली की मिलों में मैदे का कम उत्पादन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप डबल रोटी बनाने के लिये दिये जाने वाले मैदे में कमी की गई।

(ख) पत्तनों से शीघ्र ही गेहूं प्राप्त करने के प्रबन्ध किये गये हैं।

(ग) डबल रोटी की सप्लाई कभी भी बन्द नहीं हुई थी। इसकी सप्लाई में लगभग दो सप्ताह तक भारी कमी रही थी, इसकी सप्लाई शीघ्र ही सामान्य हो जाने की आशा है।

कंटाई सब-डिवीजन क्षेत्र में काजू का उत्पादन

7489. श्री समर गुह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 18 जुलाई 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1212 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि कंटाई सब डिवीजन क्षेत्र में काजू का उत्पादन बढ़ाने की नीति क्रियान्वित करने के लिये क्या योजना आरम्भ की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : राज्यों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Freight Rates

7490. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints from businessmen that some of the Shipping companies of U. S. A. are demanding 25 percent, excess freight for goods shipped in April-May, 1967 also, while the Federal Maritime Commission has permitted 25 per cent increase in freight with effect from the 23rd June, 1967 on goods shipped to India via Cape of Good Hope; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) A strong protest has been lodged with the Shipping company concerned and the outcome is awaited.

Parliament Assistants in Tourism and Civil Aviation Ministry

7491. **Shri Maharaj Singh Bharati** :
Shri Molahu Prasad :
Shri Ramji Ram :
Shri Rabi Ray :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state:

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of persons working against these posts and since when they have been working against them;

(c) whether Government propose to transfer such persons who have completed three years in pursuance of orders of the Ministry of Home Affairs; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) One.

(b) One, since 21st August, 1964.

(c) and (d) Do not arise.

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

7492. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विशाखापटनम के हिन्दुस्तान शिपयार्ड का निर्माण का तरीका बहुत पुराना तथा अप्रचलित ढंग का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूंजी परिव्यय बहुत कम है।

(ग) क्या इन दोनों बातों के कारण ही हिन्दुस्तान शिपयार्ड में उत्पादन लागत अधिक है और वहां जहाजों के निर्माण में समय अधिक लगता है; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण की अवधि और उत्पादन लागत को कम करने क लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पिछले दस वर्षों के दौरान निर्माण में बहुत प्रगति हो जाने के परिणाम स्वरूप यह शिपयार्ड 12,500 डी० डब्ल्यू० टी० क्षमता के आधुनिक डीजल शिप का निर्माण कर रहा है। नयी मशीनों और उपकरणों के नये तरीकों और प्रक्रिया के अपनाने के परिणाम स्वरूप, निर्माण तकनीक में आगे और प्रगति होने की आशा है।

(ख) 1955–56 में यार्ड की देय पूंजी 4.527 करोड़ रुपये थी जो 1965–66 में बढ़कर 6028 करोड़ रुपये हो गई है। चौथी योजना के दौरान प्रस्तावित वन लगाये जाने के परिणाम स्वरूप पूंजी परिव्यय में और वृद्धि हो जायेगी।

(ग) और (घ) पुरानी मशीनों के प्रयोग, आयातित माल के देरी से पहुंचने और देशी निर्माताओं की समय पर डिलीवरी न देने उत्पादन लागत अधिक और जहाजों के निर्माण में अधिक देरी के लिये जिम्मेदार हैं।

निर्माण लागत को कम करने और जहाजों की समय पर डिलीवरी के लिये विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें हल शाप और ब्लैक शाप में उत्पादन नियंत्रण उपायों का अपनाना, हल शाप में प्राप्त सुविधाओं में उन्नति, बर्थ पर क्रेन सुविधाएं यूगोसलेविया और पोलिश की फर्मों द्वारा मशीनें और उनके पुर्जे भेजे जाने का प्रबन्ध करना शामिल है। यार्ड का एक अध्ययन दल भी जहाजों की देर से डिलीवरी और उनकी उत्पादन लागत को कम करने की सम्भावना के सम्बन्ध में जांच कर रहा है।

जहाज निर्माण उद्योग

7393. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जहाज निर्माण उद्योग को अवमूल्यन के पश्चात अधिसूचित प्राथमिकता वाले उद्योगों में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह उद्योग बिजली और पानी सप्लाई की दृष्टि से अत्यावश्यक उद्योग माना नहीं गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) यह सच है कि जहाज निर्माण उद्योग को प्राथमिकता देने वाले उद्योगों की सूची में शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

गुजरात में सीमा सड़कों का विकास

7494. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1967–68 में गुजराज में विशेषतः कच्छ क्षेत्र में सीमा सड़कों के विकास के लिए सरकार ने कोई अनुदान अथवा ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि; और

(ग) गुजरात राज्य में चालू वर्ष के लिये तथा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये सीमा सड़क विकास योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन):(क) से (ग) सम्मत्त : माननीय सदस्य का अभिप्राय गुजरात में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण का है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस मंत्रालय ने गुजरात में आठ सामरिक महत्व की सड़कों के विकास जिनमें पुलों का निर्माण कार्य भी शामिल है, का कार्य अपने हाथ में लिया है । सड़कों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पुनरीक्षण किया है और उसी के अनुसार कार्यक्रम में संशोधन किया जा रहा है ।

इन सड़कों के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये कोई ऋण नहीं दिये गये हैं, परन्तु अनुदानों के द्वारा सहायता दी गई है । मार्च 1967 के अन्त तक कुल 9.35 करोड़ की मंजूरी दी जा चुकी थी । इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है और 1967•68 का अनुदान कार्यक्रम सशोधन और धन की उपलब्धित पर निर्भर है ।

तिलहन के मूल्य

7495. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : **श्री मु० कु० तापड़िया** :
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री रा० की० अमीन** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत पखवाड़े तिलहन के मूल्यों में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि वनस्पति घी के मूल्य में भी उस अनुपात से कमी हो ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गत पखवाड़े तिलहन के मूल्यों में कमी हुई है, परन्तु दूसरे वस्तुओं के मूल्यों ने वृद्धि हुई है। उसका ब्योरा इस प्रकार है :—

भाव प्रति क्विन्टल

वस्तु	केन्द्र	7.7.67	14.7.67	21.7.67
मूंगफली (करमेल)	बम्बई	198.00	192.00	174.00
तोरिया और सरसों (पीली	कानपुर	207.85	214.35	214.35
सीशम के बीज	बम्बई	236.00	228.00	203.00
अलसी	बम्बई	198.00	196.00	190.00
अरंडी	बम्बई	140.50	134.00	129.00

(ख) वर्तमान मूल्य व्यवस्था के अधीन मूंगफली के मूल्यों में कमी के कारण जो कमी मूंगफली के तेल के मूल्यों मे हुई है उसके परिणाम स्वरूप आने वाले छः महीनों में वनस्पति घी या अनआयातित तेलों के मूल्यों में या दोनों के मूल्यों में कमी हुई है।

D. T. U. Buses

7496. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das :
Shri Rghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Prakash Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) the comparative increase in the number of buses plying in Delhi during the last six months under the Delhi Transport Undertaking;

(b) the number of passengers benefited thereby;

(c) the terms under which private buses have been allowed to ply recently; and

(d) the reaction of Government to this arrangement of the Delhi Transport undertaking ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) A statement showing the average number of buses plied in Delhi during the last six months under the Delhi Transport Undertaking is given below:-

Month	No. of buses operated	
	D. T. U.	Private operators
Feb., 1967	834	–
March, 1967	846	47
April, 1967	835	52
May, 1967	817	54
June, 1967	810	54
July, 1967	821	93 (upto the 17th)

(b) The average number of passengers carried per day during the same period is as under :–

Month	No. of passengers	
	DTU	Private Operators
Feb., 1967	6,41.894	–
March, 1967	6,36,649	13,357
April, 1967	6,46,676	35,141
May, 1967	6,55,659	35,371
June, 1967	6,50,717	37,302
July, 1967	6,40,009	30,755 (upto the 17th)

(c) Each operator/owner of a private bus is required to pay in advance Rs. 750/- per month per bus to the D. T. U. as administrative and operational control charges with facilities to operate a bus on a route or route-sector. A copy of the agreement form laid on the Table of the House. [Placed in Library, See. No. LT-1278/67]

(d) The working of this arrangment is being watched.

भाड़े पर जहाजों से लाये-ले जाये गये माल का टन भार

7497. श्री सेक्वीरा : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966-67 में राष्ट्रीय जहाजों तथा विदेशी जहाजों से भाड़े पर कुल कितने टन भार माल भेजा गया तथा लाया गया तथा कुल कितना किराया दिया गया; और

(ख) अगले प्रत्येक पांच वर्षों में सरकार को भाड़े पर कितना माल भेजने या लाने की आवश्यकता पड़ेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कुल 110.2 लाख टन भार भेजा गया (10.1 लाख टन भारतीय जहाजों द्वारा और 100.1 लाख टन विदेशी जहाजों द्वारा) और कुल 116 करोड़ रुपया किराया दिया गया ।

(ख) अगले पांच वर्षों में सरकार को भाड़े पर कितना माल भेजने की आवश्यकता होगी, यह हमारी निर्यात आवश्यकताओं, जो आन्तरिक उत्पादन और विदेशी सहायता की उपलब्धता पर निर्भर है, आधारित है। प्रत्येक पांच वर्ष में भाड़े पर कितना माल भेजने की आवश्यकता होगी इसका स्पष्ट अनुमान देना सम्भव नहीं, परन्तु आशा है कि यह कमी की तरफ होगी।

नाविक भर्ती कार्यालय

7498. श्री सेक्वीरा : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में ऐसे कितने पत्तन हैं जिनमें प्रति वर्ष 50 लाख टन से अधिक माल जहाजों में लादा जाता है और जहाजों से उतारा जाता है;

(ख) किन किन पत्तनों में नाविक भर्ती कार्यालय हैं; और

(ग) शेष पत्तनों में ऐसे कार्यालय खोलने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) निम्न लिखित मुख्य पत्तनों में 1966-67 के दौरान 50 लाख टन से अधिक माल लादा गया :—

1. बम्बई

2. कलकत्ता

3. मद्रास

4. मरमागोआ

5. विशाखापट्टनम

(ख) बम्बई और कलकत्ता

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा द्वारा पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई

7499. श्री क० नारायण राव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री उड़ीसा द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को चावल की सप्लाई के बारे में 4 जुलाई, 1967 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बीच उड़ीसा सरकार से इस सम्बन्ध के बारे कोई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है कि उड़ीसा सरकार ने पश्चिम बंगाल को घटिया किस्म का चावल दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार से कहा गया है कि वह प्रस्तावित जांच के परिणाम से केन्द्रीय सरकार को सूचित करें । राज्य सरकार से यह भी कहा गया है कि वह चावल की खास किस्म की आवश्यकता पर जोर देने के सम्बन्ध में जांच करें ताकि इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सिफारिश स्तर पर लाया जा सके

Sale of Seeds in Delhi

7500. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Arajun Singh Bhadoria :
Shri J. Sundar Lal :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Das :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently the Delhi Administration sold seeds to the farmers at the rate of Rs 1,500/- per quintal against which there is great resentment;

(b) if so, whether Government have instituted any enquiry in this connection;

(c) if so, the result thereof; and

(d) the action taken against the persons concerned in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Votes cast for Lok Sabha Seats during Fourth General Elections

7501. Shri Srichand Goel :
Shri Jaganath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri J. B. Singh :
Shri N. S. Sharma :

Will the Minister of Law be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5922 on the 18th July, 1967 and state:

(a) the time by which information in regard to the number of votes cast for Lok Sabha seats during the Fourth General Elections would be made available by the Election Commission; and

(b) if it has been made available by them already, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) The requisite information will not be available before the 15th August, 1967.

(b) Does not arise.

मुख्य भूमि तथा लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपसमूहों के बीच नौवहन सेवा

7502. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीपसमूहों और मुख्य भूमि के बीच बारहमासी नौवहन सेवा चलाने के लिये सरकार का विचार 1,000 टन के पोत लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान में कराची तथा अन्य नगरों के होटलों में, भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों के फोटो बनाने के समाचार

श्री म०ला० सोंधी (नई दिल्ली) : श्रीमान मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:–

"पाकिस्तानी के विदेश कार्यालय द्वारा कराची, इस्लामाबाद और ढाका के होटलों और जलपान-गृहों में भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों के फोटो लगाने और वहां पर भारतीय राजनयिकों पर बराबर नजर रखने का समाचार है ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 24 जुलाई, 1967 को अखबारों में यह खबर छपी थी कि पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने हाल ही में कराची, इस्लामाबाद और ढाका में भारतीय हाई कमीशन के भारतीय कर्मचारियों के चित्र पाकिस्तान के ढाबों, होटलों, सिनेमाघरों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों में वितरित किए है । इस खबर में यह भी कहा गया था कि जब कभी भारतीय हाई कमीशन का कोई सदस्य किसी ढाबे अथवा होटल में जाता है तो उसका पीछा किया जाता है ।

2. जिस दिन यह खबर छपी थी उसी दिन सरकार ने पाकिस्तान स्थित अपने मिशनों से इस खबर की सच्चाई पर रिपोर्ट मांगी थी । हमारे मिशनों ने बताया है कि पाकिस्तान विदेश कार्यालय द्वारा इस तरह चित्र बांटे जाने के विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है ।

3. जहां तक पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक कर्मचारियों का पीछा किये जाने का प्रश्न है, यह सच है कि पाकिस्तान में हमारे मिशनों के सदस्यों पर सख्त निगरानी रखी गई है और उन्हें बहुत परेशान किया गया हैं। इससे उनके काम में अड़चन आई है और बहुत हद तक उनका सामाजिक जीवन भी असुखद बन गया है। इस मामले को कई बार पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है और उन्होंने बार-बार हमें यह आश्वासन दिलाया है कि हमारे मिशनों के सदस्यों को सभी मामान्य सुविधायें दी जायेंगी और उनके साथ शिष्टाचार बरता जायेगा। लेकिन, इन आश्वासनों के बावजूद कुछ कठिनाइयां बनी हैं। हम बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भी ऐसे आवश्यक कदम उठाए जिनसे हमारे राजनयिक कर्मचारियों के प्रति सामान्य शिष्टाचार बरता जाए और उन्हें सभी सामान्य सुविधायें मिल सकें जैसा कि ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत पाकिस्तान ने स्वीकार किया था।

श्री म० ला० सोंधी : पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों से पता चलता है कि उनके हमारे प्रति विरोधी विचार बहुत बढ़ गये हैं और हमारे राजनयिकों का वहां कार्य करना कठिन तथा असम्भव बनाना चाहते हैं। सरकार की नीति पाकिस्तान से बढ़ रहे खतरे की उपेक्षा करने की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मत्री हमें यह आश्वासन देंगे कि बदले की कार्यवाही की जायेगी ताकि पाकिस्तान को हमारी दृढ़ता का पता चल सके और वह हमारे राजनयिकों को सम्मानपूर्वक वहां कार्य करने दें।

श्री मु० क० चागला : हम पाकिस्तान के बढ़ रहे विरोध के प्रति जागरूक हैं और हम बदले की कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : ताशकन्द को प्रत्येक मामले में नहीं घसीटना चाहिये। क्या माननीय मंत्री इस बारे में आश्वासन दे सकते हैं।

श्री मु० क० चागला : ताशकन्द समझौते पर हम तथा पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किये हैं। हम इस घोषणा का पालन कर रहे हैं परन्तु अभी तक पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है (अन्तर्बाधायें)।

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, Sir, Tashkent Declaration should not be imported into every situation. The treatment meted out to the diplomatic personnel of the two countries has nothing to do with Tashkent Agreement.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : I would like to know the action taken with regard to the behaviour of Pakistan with our diplomats.

श्री मु० क० चागला : सरकार ने इस सम्बन्ध में कड़ा विरोध प्रकट किया है।

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : I would like to know the steps being taken by the Government to reduce hostility with Pakistan and cultivate good will.

श्री मु० क० चागला : हम अपनी ओर से सम्बन्ध बढ़ाने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु पाकिस्तान हमारा मैत्री के लिए बढ़ाया हुआ हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

मध्य प्रदेश के आय-व्ययक के बारे में गृह-कार्य मंत्री का वक्तव्य

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, Sir, when Shri Nathpai and myself raised the question of Privilege regarding the printing of the budget of Madhya Pradesh to be presented in Lok Sabha, the Minister of Home Affairs had stated that the Government of India had no information in this regard, nor any direction was issued by her. He reiterated this statement yesterday. I am sorry to say that his statement is contrary to the facts.

The new Government of Madhya Pradesh have enquired into the matter and have tried to find out under whose orders such a budget was printed. The enquiry has revealed that a Joint Secretary of the Ministry of Finance asked an officer of Madhya Pradesh to remain prepared for all eventualities and print this budget. That officer entered a note on the file on the 24th. If the Committee on Privileges wants, the file can be provided by the Government of Madhya Pradesh.

I would like to quote a portion of this note;

"It may be stated here that Shri Shirali, Joint Secretary, Ministry of Finance, Government of India, sounded the Finance Secretary on phone on the evening of 22nd July to start preliminaries for this contingency by way abundant precaution."

अर्थात् भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने टेलीफोन पर वित्त सचिव को इस बारे में आरम्भिक कार्यवाही करने के लिए कहा।

It has become a serious matter. Should I presume that the Joint Secretary of Ministry of Finance on his own initiative asked the officer to get the budget printed ? If so, did he not inform the Home Minister or Minister of Finance about this fact. It should be enquired that under whose orders did the Joint Secretary, Ministry of Finance ask the officer of Madhya Pradesh to print this budget.

I had tabled a notice of breach of Privilege by Shri Dwarka Prasad Misra. I would like to withdraw that notice and seek your permission to move a motion of breach of Privilege against the Home Minister, Shri Y. B. Chavan.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Shri Chavan stated yesterday that no direction or instruction was issued by them in that regard. The fact now disclosed contradicts it.

I would like to know which is the source of authority of printing the budget. So far as the State budgets are concerned. I would like to draw your attention to Article 202, which says :—

"202 (1) The Governor shall in respect of every finanancial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the state a Statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this Part referred to as the "annual financial statement".

(अर्थात्, राज्यपाल राज्य विधान मण्डल के समक्ष राज्य की आय तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करायेगा ।)

The powers of the Governor under Article 202 are vested in the President when a proclamation is made by him. Only thereafter the budget can be presented before this House. Unless such a proclamation is made by the President, no one has right to take any action in this regard.

Shri Vajpayee moved his motion of privilege against the Home Minister. In this connection Joint Secretary means the Government of India and Government of India, in turn, means the Prime Minister. She has been pleading for the dissolution of the Assembly on the advice of Shri Dwarka Prasad Mishra. The breach of Privilege has thus been commited by the Prime Minister.

गृह–कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं चाहता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को सौंपा जाये परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई हिदायतें अथवा अनुदेश नहीं जारी किये गये ।

वास्तविकता यह है कि सद्भावनापूर्वक कुछ पूर्वोपाय किये गये थे । उन्होंने न केवल राष्ट्रपति के शासन की सम्भावना पर विचार किया बल्कि विनियोग विधेयक तथा लेखानुदान पारित करने की सम्भावना पर भी विचार किया है । मैंने वक्तव्य वित्त मन्त्रालय के परामर्श से दिया था और उन्होंने आज भी यही बताया है कि उन्होंने कोई हिदायतें नहीं दी हैं । आय-व्ययक अधिकारी ने मुझे सूचना दी है कि कोई लिखित अथवा मौखिक हिदायत नहीं दी गई है सामान्य प्रथा यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात् आय-व्ययक सम्बन्धी दस्तावेज़ राज्य में छापे जाते हैं । हमें ऐसे दस्तावेज़ नहीं प्राप्त हुए न ही हमने स्वीकृति दी है । वित्त सचिव से आवश्यकता पड़ने पर संसद में आय-व्ययक प्रस्तुत करने की सम्भावनाओं पर सामान्यतः विचार किया गया था परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब तक औपचारिक रूप से निर्णय न कर लिया जाये तथा घोषणा न कर दी जाये तब तक कुछ नहीं किया जाना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I may be permitted to move the motion.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (आमणी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह श्री वाजपेयी के इस प्रस्ताव पर आधारित है कि उन्हें श्री द्वारका प्रसाद मिश्र के विरुद्ध प्रस्ताव वापिस लेने और माननीय गृह–कार्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये । उन्होंने वित्त मन्त्रालय के एक अधिकारी तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक

अधिकारी के बीच टेलीफोन वार्ता का उल्लेख किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की फाइल में से उल्लेख किया है। यह सरकारी भेद अधिनियम का घोर उल्लंघन है।

मेरा निवेदन यह है कि जिन तथ्यों पर यह प्रस्ताव आधारित है वे सभा के क्षेत्र के बाहर है और इस लिये यह प्रस्ताव अनुचित है। हमारे माननीय मित्र श्री मधु लिमये ने इस सभा को प्रधान मन्त्री का एजेन्ट, पटवारी और चपरासी बताया है। इस प्रकार का वक्तव्य देकर उन्होंने विशेषाधिकार भंग किया है। आप इस सम्बन्ध में अपना विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय :यह सब असंगत बातें हैं। इसमें विनिर्णय की कोई आवश्यकता नहीं। पहले गृह-कार्य मन्त्री ने विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। फिर उन्हें स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कहा गया था। उसके बाद अब मैंने अनुमति दी है। आप विशेषाधिकार प्रस्ताव को ऐसे ही प्रस्तुत नहीं कर सकते (व्यवधान) यदि आप सब इकट्ठे खड़े हो जायेंगे तो उससे क्या लाभ होगा। विशेषाधिकार प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। इसलिये अब मेरा अनुरोध यह है कि हमें एकमत होकर इस प्रस्ताव को समिति के पास भेज देना चाहिये।

श्री नाथपाई (राजापुर) : श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो संशोधन प्रस्तुत करना चाहते थे, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में हमने जो प्रयत्न किये हैं उनका परिणाम यह निकला है कि श्री चव्हाण को क्षमा याचना करनी पड़ी। अब कुछ अन्य आश्चर्यजनक बातों का पता चल रहा है। (व्यवधान)

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने क्षमा याचना नहीं की (व्यवधान)

श्री नाथपाई : आपने नहीं की ? आपने तो क्षमा याचना की थी (व्यवधान) वैसे तो क्षमा याचना के बाद बात समाप्त हो जाती है परन्तु अब अन्य कई बातें सामने आ रही हैं। अब अन्य राज्यों में भी दल बदल जायेंगे और जो कुछ श्री चरण सिंह ने किया है वही अन्य राज्यों में भी होगा। (व्यवधान) अगले दिन हमने यह मामला उठाया था कि संसद में पेश करने के लिए लेखानुदान ग्वालियर के सरकारी छापाखाने में छापा जा रहा है। यदि इस बात में कुछ भी सच्चाई है तो इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार के सहयोग अथवा इससे प्रेरित होकर लोकतन्त्र की समस्त प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है।

श्री चव्हाण ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि लोक सभा में प्रस्तुत किये जाने वाला कोई भी बजट हमारे द्वारा यहीं पर छापा जायेगा। इसे किसी अन्य स्थान पर नही छापा जा सकता। फिर भी चव्हाण ने कहा कि यहां पर बजट प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि विधान मण्डल कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री चव्हाण ने वित्त मन्त्री से परामर्श करके सभा को यह बताया कि ऐसी कोई चीज नहीं की गई। इसके बाद पता चला कि वित्त मन्त्रालय का एक उच्च अधिकारी राज्य के वित्त मन्त्रालय से सम्पर्क बनाये हुआ था और उसने उसे बजट सम्बन्धी कागजात तैयार करने के लिए कहा था। अब इस बात का स्पष्ट

प्रमाण है कि यह चीज हुई है। इसलिए इस सभा को हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो कुछ भोपाल में हुआ है वह अन्य स्थानों पर भी हो सकता है। इसलिए मैं श्री वाजपेयी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Shri A. B. Vajpayee : Sir, I beg to leave to that This House resolves that the alleged breach of privilege committed by the Home Minister, Shri Y. B. Chavan, by keeping the House in the dark by his statement made on the 28th and 31st July about the printing of Madhya Pradesh budget for presentation to Lok Sabha be referred to the Committee of Privileges for examination with instructions to present its report by the first day of the next session.

अध्यक्ष महोदय : अब यह प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसे स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया खड़े हों। कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के पक्ष में सदस्यों की संख्या 25 से अधिक है, इसलिये अनुमति दी जाती है।

Shri A. B. Vajpayee : Sir I beg to move that "This house resolves that the alleged breach of privilege committed by the Home Minister., Shri Y. B. Chavan, by keeping the House in the dark by his statement made on the 28 th and 31 st July about the printing of Madhya Pradesh budget for presentation to Lok Sabha be referred to the committee of Privileges for examination with instructions to present its report by the first day of the next session."

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to bring an amendment to the motion. I want to add in this motion that the Privilege Committee should also express their views regarding the responsibility of the Prime Minister in so far as this matter is concered.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष महोदय : में इस संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखूंगा पहले इस पर चर्चा होगी।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether the Prime Minister is also opposing this amendment ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा विचार यह था कि माननीय सदस्य उक्त कागजात की छपाई के बारे में तथ्यों की और इस मामले में गृह कार्य मंत्री के उत्तरायित्व की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु अब मैं यह देखता हूं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है। यदि विरोधी पक्ष का यही रवैया है तो हमें दोनों प्रस्तावों का विरोध करना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी अन्य विशेषाधिकार प्रस्ताव के संशोधन के रूप में नहीं रखा जा सकता। प्रधान मंत्री के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने लिये नियमों में विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख है ।

श्री रंगा : (श्री काकुलम) विशेषाधिकार प्रस्ताव में संशोधन करने के लिये नियमावली में कोई उपबन्ध नहीं है। सर्वप्रथम विशेषाधिकार के प्रश्न पर आप से बात चीत करनी होती है और फिर यह आप पर निर्भर करता है कि उसे यहां पर उठाने की अनुमति दे या न दें। यदि वह अनुमति दी जाये तो फिर आप ही यह सुनिश्चित करेंगे की उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या 25 हैं, उसके बाद सभा उस पर विचार कर सकती है। अब यह प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है। और सभा के सामने है। मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया है और उसका विरोध किया जाना उचित नहीं (**व्यवधान**) अब केवल एक संशोधन प्रस्ताव किये जाने के कारण पीछे हटना ठीक नहीं है मैं इस सम्बन्ध में पहले आपका विनिर्णय चाहता हूँ और बाद में इस संशोधन के गुणावगुण के आधार पर इसका विरोध करूँगा।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : (हावड़ा) : प्रो० रंगा के तर्क में कोई सार नहीं है। हम प्रस्ताव का तथा उसके संशोधन थांत दोनों का विरोध कर रहे हैं। गृह कार्य मंत्री ने सारी सभा को विश्वास में लेकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। फिर यह कहा गया कि वित्त विभाग के किसी अधिकारी ने उन्हें बजट बनाने के लिये कहा था। क्या गृह कार्य मन्त्री के विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिये यह कोई आधार है ?

अध्यक्ष महोदय :इस प्रस्ताव को संशोधन नहीं माना जा सकता । यह एक पूर्णतः प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसे प्रस्तुत करने के लिये न तो मेरी अनुमति मांगी है और न मैंने अनुमति दी है। इस लिये सभा के सामने केवल श्री वाजपेयी का प्रस्ताव है जिस पर अभी मतदान होगा यह संशोधन नियम बाह्य है और मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा।

Shri A.B. Vajpayee :If this motion is being referred to the Privilege Committee straightway, then it is alright otherwise I will definitly say something.

श्री शिवाजी रा०शं० देशमुख : श्रीमान गृह कार्य मन्त्री के विरुद्ध जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है, उसका आधार मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग में दिए गए कुछ नोट हैं। तथा नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया जाता उसके साथ वह कागजात होने चाहिए जिनके आधार पर विशेषाधिकार प्रस्ताव हो। परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्या चाहते हैं। मैं इसे मतदान के लिए रखूँ अथवा आप इसका विरोध करना चाहते हैं। मेरा यह सुझाव है कि इसे सीधा मतदान के लिए रखा जाये यदि आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो मुझे दोनों ओर वे सदस्यों को भाषण करने की अनुमति देनी पड़ेगी। यदि ऐसी ही बात है तो हम इसे मध्यान्ह भोजन के पश्चात ले सकते हैं। मैं जानना चाहता हू कि क्या आप इसे सीधा मतदान के लिये रख सकता हूं कि सवाल इसके पक्ष में हैं कि प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये वे कृपया हां कहें।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां

श्री बल राज मधोक : क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : हम इसका विरोध कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वे इसका विरोध करना चाहते हैं । तब श्री वाजपेयी भी बोलेंगे । अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re—assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुई**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान नियम 226 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि "यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दे दी जाये, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी ... ..."

और दूसरा तरीका इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का है । सभा को इस मामले को एक दल का न मान कर बल्कि समस्त सभा का मान कर इस पर चर्चा करनी चाहिये ।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मध्यान्ह भोजन के लिये सभा स्थगित होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखा था । कुछ सदस्यों ने 'हां' कहा भी था परन्तु अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्यों को नहीं पूछा था । इसलिये इस पर अब सीधे मतदान कराया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने यह जानना चाहा था कि इस प्रस्ताव का विरोध किया जायेगा या नहीं और फिर उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि उसका विरोध किया जायेगा । मुझे तो प्रक्रिया का अनुसरण करना है । निमम यह है कि या तो सभा इस पर विनिश्चय करे या इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सत्य नहीं है कि अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा था । अब आप वैसा नहीं कर रहे ।

श्री मु० यू० सलीम (नलगोंडा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 226 में 'विचार' शब्द का प्रयोग किया है और नियम संख्या 188 और 189 में 'चर्चा' शब्द का प्रयोग

किया गया है। नियम 226 और नियम 188 या नियम 189 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही में अन्तर तो होना ही चाहिये। 'विचार' का अर्थ वाद-विवाद नहीं है। 'विचार' का अर्थ यह है कि प्रश्न सभा के सम्मुख विचारार्थ रखा जायेगा और तो प्रस्ताव के पक्ष में होंगे वे 'हां' कह कर अपना मत व्यक्त करेंगे और जो पक्ष में नहीं हैं वे 'न' कह कर विरोध प्रकट करेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात, कि विधेयक पर विचार किया जाये, बिना किसी चर्चा के उस पर सीधे रूप में मतदान होगा। यह क्या कह रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभा का समय बचाने के लिये एक बात स्पष्ट कर सकता हूं ? हम इस मामले की एक सीमा तक पहुंच चुके हैं। श्री मधु लिमये के प्रस्ताव के नियम-बाह्य घोषित किये जाने के पश्चात केवल यही प्रश्न रह गया था कि क्या सभा की अनुमति प्राप्त है। उसके पश्चात् नियम 226 लागू होना आरम्भ हो जाता है। अब क्या यह कहा जा सकता है कि सभा चर्चा किये बिना विचार करके निर्णय कर सकती है।

डा० राम सुभग सिंह : मुझे विश्वास है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव के सभा के मतदान के लिये रखा था तथा उन्होंने सदस्य को अपनी वरीयता बताने के लिये कहा था और जो सदस्य पक्ष में थे उन्होंने 'हां' कहा था। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप इस वाद-विवाद को पुनः किस नियम के अन्तर्गत आरम्भ कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है बह कुछ हद तक सही नही है। उनका यह ख्याल था कि कोई विरोध नहीं किया गया है।

डा० राम सुभग सिंह : जब हमने विरोध किया था तो प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को खड़े नहीं होना चाहिये। स्थिति को स्पष्ट करने के लिये मुझे कुछ समय दिया जाये।

श्री नाथ पाई : मैं आपसे कहना चाहता था कि आपका विचार ठीक था। आप उनकी आवाज से मत घबरा जाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० राम सुभग सिंह ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। किसी स्तर पर कुछ गलतफहमी हो गई थी।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : माननीय मंत्री कुछ बात छोड़ गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय ऐसा समझा जा रहा था कि हमने मतदान प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी तब श्री वाजपेयी ने कहा कि मैं भाषण देना चाहता हूँ और वह खड़े हो

यये तब श्री अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस प्रस्ताव को मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लिया जायेगा अन्यथा वह तभी मतदान करवा सकते थे ।

श्री शिव नारायण : आपको मतदान अवश्य करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से कार्यवाही नहीं चल सकती है । जो सदस्य खड़े हैं यदि वे इस बार अध्यक्ष पीठ द्वारा कहे जाने पर भी नहीं बैठते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : हम आपको उतना सहयोग दे रहे हैं जितनी कोई आशा कर सकता है । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव पर सभा का मतदान किये जाने के पश्चात् स्वयं वाद-विवाद को पुनः आरम्भ कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है । मैं सभा में उपस्थित था ।

श्री शिव नारायण : तब हम सभा से बाहर चले जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जा सकते हैं ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री सचिव को इस प्रकार अपने पास नहीं बुला सकती है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रधान मंत्री को इस तरह से सचिव के ध्यान में नहीं आना चाहिये ।

श्री रणधीर सिंह : आप कार्यवाही वृत्तान्त को देखें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को भी देख सकता था । मैंने अधिकारियों से पूछा था कि क्या कार्यवाही वृत्तान्त मिल सकता है और उन्होंने कहा है कि वह अभी तैयार नहीं हैं तब मैंने यह भी पता लगाया था कि जो मैं कह रहा हूँ वह सही भी है या नहीं । अध्यक्ष महोदय के जाने से पहले मैंने उनसे बातचीत भी की थी और उन्होंने कहा था कि इस पर थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी है ।

डा० राम सुभग सिंह : उठे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं डा० राम सुभग सिंह को बताना चाहता हूं कि इस बारे में मेरा मत बिल्कुल ठीक है । मैं नियम का पालन कर रहा हूँ । अब हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : तब सभा में मतदान होने से पहले यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूँ ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह मांग की गई है कि हमें कार्यवाही वृत्तान्त को देखना चाहिये और यह पता लगाना चाहिये कि मध्यान्ह भोजन के लिये सभा को स्थगित करने से पहले अध्यक्ष महोदय ने सही सही क्या कहा था । अतः क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि आप आधे घंटे के लिये सभा को स्थगित कर दें । मेरा निवेदन यह भी है कि इस प्रश्न पर विनिर्णय देने से पहले आप कार्यवाही वृत्तान्त को अवश्य देखें ।

श्री बलराज मधोक : सभा के सामने जो प्रश्न है वह बिल्कुल सरल है । कुछ बातें कही गई थी जिस पर कुछ लोगों ने सन्देह व्यक्त किया जिस पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । इसलिये सभा की विशेषाधिकार समिति को इस पर विचार करना है तथा माननीय गृह-मंत्री इस सारी बात को उस समिति को प्रस्तुत करने के लिये राजी भी हो गये थे । अब उस निर्णय से पीछे हटना अच्छी बात नहीं होगी ।

दूसरा प्रश्न नैतिकता का है । निस्सन्देह माननीय गृह-कार्य मंत्री इस बात से सहमत हो गये थे और अब वह कह रहे हैं कि इसे नियमबाह्य किया जाये । अतः मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि उनमें कुछ नैतिकता है तो उन्हें इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिये सहमत हो जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शुक्ल ने कार्यवाही वृत्तान्त के बारे में प्रश्न उठाया था । परन्तु मैंने यहां आने के तुरन्त बाद पूछा तो पता चला कि कार्यवाही वृत्तान्त तैयार नहीं हैं । प्रश्न नैतिकता का नहीं है । प्रश्न बहुत सरल है । प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और चूंकि विरोध किया गया इसलिये कुछ बात कहने का उनका अधिकार है और तब उस पर वाद-विवाद हो सकेगा । स्थिति इस प्रकार है । मैं प्रस्ताव को पढ़ दूंगा ।

डा० राम सुभग सिंह : कार्यवाही वृत्तान्त वहां है । आप उसे देखें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय कार्यवाही वृत्तान्त का पता लगा कर ही दिया है ।

डा० राम सुभग सिंह : अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से पूछा था कि जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हां कहें तथा माननीय सदस्यों ने 'हां' कह दिया । परन्तु उन्होंने यह नहीं पूछा था कि इस प्रस्ताव के विपक्ष में कौन सदस्य हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय अध्यक्ष महोदय के मन में यह बात स्पष्ट नहीं थी कि क्या आप उनको अपनी सम्मति दे चुके हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि संसद-कार्य मंत्री ने जो बताया है वह सही है अर्थात् कि अध्यक्ष महोदय ने मत-विभाजन के लिये पुकारा था तब तो मत-विभाजन के सिवाय और कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिये ।

Shri Shashibhushan Bajpai : Sir, you may adjourn the House for Half-an-Hour and consult the records.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : You kindly listen to us also. You kindly also consult the records.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे डा० राम सुभग सिंह के प्रश्न का उत्तर देना है। यदि आप मुझे नहीं सुनते हैं तो क्या होगा। मैंने इस ओर के सदस्यों को नहीं सुना है।

Shri Prem Chand Verma : We have also a right to say our point.

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा था कि मैं 5 बजे आऊंगा। वह तब चर्चा कर सकते हैं।

श्री बलराज मधोक : वे सभा को आदेश नहीं दे सकते। उन्हें अध्यक्षपीठ के आदेश का पालन करना चाहिये। आपने अपना विनिर्णय दे दिया है जिसका उन्हें पालन करना चाहिये।

Shri A. B. Vajpayee : What the leader of the House is doing ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रधान मंत्री को सुनिये।

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आप के विनिर्णय का पालन न करने की कोई बात नहीं है। हम आपके विनिर्णय को स्वीकार करते हैं। परन्तु इस बार एक अपूर्ववत घटना हुई है। केवल आधा मतदान हुआ है। इसीलिये हम कह रहे हैं कि आप कार्यवाही वृत्तान्त को देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त आ गया है। मैं सारा कार्यवाही वृत्तान्त आपको पढ़कर सुना दूंगा।

जब श्री शिवाजी राव शं० देशमुख ने अपनी बात पूरी तरह से कह ली तब अध्यक्ष महोदय ने कहा :

कार्यवाही वृत्तान्त इस प्रकार है।

''अब आप क्या चाहते हैं। मैं इसे मतदान के लिये रखूं अथवा आप इसका विरोध करना चाहते हैं। मेरा यह सुझाव है कि इसे सीधा मतदान के लिये रखा जाये। यदि आप इसका कार्यवाही वृतान्त इस प्रकार है। विरोध करना चाहते हैं तो मुझे दोनों ओर के सदस्यों को भाषण करने की अनुमति देनी पड़ेगी। यदि ऐसी ही बात है तो हम इसे मध्यान्ह भोजन के पश्चात् ले सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसे सीधा मतदान के लिये रखना चाहते हैं। तब मैं इसे मतदान के लिये रख सकता हूँ। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं कि प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये व कृपया 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : जी 'हां'.

श्री बलराज मधोक : क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं ?

कुछ माननीय सदस्य : हम इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे इसका विरोध करना चाहते हैं। तब श्री वाजपेयी भी बोलेंगे। अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित होती है।"

श्री प्रेमचन्द वर्मा : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि मैं कार्यवाही वृतान्त मंगवाऊंगा। अब मैंने उसे मंगवा कर यहां पढ़ दिया है। अतः मेरा वही निर्णय है। अब श्री नाथपाई बोलेंगे।

डा० राम सुभग सिह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष महोदय ने सभा को स्थगित करने से पहले कहा था कि वाद-विवाद होगा। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वाद-विवाद होगा। तब उन्होंने प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखा। तब श्री मघोक ने कोई प्रश्न उठाया परन्तु उन्होंने यह विनिर्णय नहीं दिया कि वाद-विवाद होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखा था कि इसका विरोध नहीं किया जायेगा। परन्तु जब उन्हें पता चला कि इसका विरोध हो रहा है तब उन्होंने कहा कि वाद-विवाद होगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने कार्यवाही वृतान्त पढ़ दिया है तो प्रधान मंत्री को कह देना चाहिये कि वाद विवाद होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कार्यवाही वृतान्त के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री नाथ पाई : मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें मुख्य कार्य पर आने का प्रयत्न करना चाहिये न कि एक दूसरे पर दोष लगाते जाना चाहिये। सभा के नेता तो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभा के सामने जो प्रश्न है वह बहुत सरल है। जब से यह वाद-विवाद आरम्भ हुआ है आपके विचार से सभा में जो कुछ हुआ था उसका आपने 5 बार उल्लेख किया है परन्तु उसके बारे में प्रधान मंत्री ने एक बार नहीं दो बार चुनौती दी है। इसलिये सरकारी दल के लिये एक ही उपाय रह गया है कि वह जो कुछ अध्यक्षपीठ ने कहा है उसे स्वीकार करें परन्तु यदि उन्होंने उसे चुनौती देनी है तो उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि आपकी याद सही नहीं है और आपने गलत विनिर्णय दिया है। तब उन्हें आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिये। मुझे पता नहीं कि प्रधान मंत्री इसे स्वीकार कर रही हैं अथवा नहीं। उन्हें सलाह का भी लाभ हुआ था। सचिव महोदय उनके पास गये और उन्होंने सलाह-मश्विरा किया। मैंने गत ग्यारह वर्षों में सचिव को प्रधान मंत्री के साथ सलाह-मश्विरा करते नहीं देखा है। मुझे दोनों के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह अच्छी प्रथा नहीं है। वे सभा के कर्मचारी हैं न कि व्यक्ति विशेष के।

Shri Shashibhushan Bajpai : Sir, what is he saying ? The Secretary can go to anyone and anyone can go to him

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : उपाध्यक्ष महोदय, यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री रा० ढो० भण्डारे कहेंगे सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : **

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूँ कि एक अथवा दूसरे बहाने पर व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री तुलसीदास जाधव : उठे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

अन्तर्बाधायें **

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप उन्हें भाषण पूरा करने दीजिये । तब तक व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

अन्तर्बाधाएं **

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक वे श्री नाथ पाई को नहीं सुनते हैं तब तक कोई बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी ।

अन्तर्बाधायें **

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक श्री नाथ पाई की पूरी बात नहीं सुनी जाती तब तक मैं किसी भी व्यवस्था के प्रश्न का अनुमति नहीं दे सकता ।

अन्तर्बाधायें **

उपाध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही में बाधा न डालें ।

श्री शशिभूषण वाजपेयी : **

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा ।

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

तब श्री शशि भूषण बाजपेयी सभा से उठकर चले गये ।

Shri Shashibhushan Bajpai then left the House.

अन्तर्बाधायें **

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पुन: कहना पड़ रहा है कि जब तक श्री नाथ पाई अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह लेते तब तक कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी ।

श्री गोविन्द मेनन : उठे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस ओर के सदस्यों को बोलने की अनुमति दे चुका हूँ । तब दूसरी ओर से वह खड़े हुए और मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है ।

श्री गोविन्द मेनन : उठे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाथपाई के बाद मैं आपको अनुमति दे दूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य : आप सभा को स्थगित कर दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि दोनों ओर के सदस्य सुनने को इन्कार करते हैं तो सभा को स्थगित करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह जायेगा ।

श्री नाथ पाई : मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

श्री म० ला सोंधी (नई दिल्ली) : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को एक घण्टे के लिये स्थगित करता हूँ । सभा 4 बजे पुन: समवेत होगी ।

इसके पश्चात लोक सभा 4 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

लोक सभा 4 बजे म० प० पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
**Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूँ कि हम शान्तिपूर्ण तथा गौरवपूर्ण वातावरण में इस मामले पर पुनः विचार-विमर्श आरम्भ करेंगे।

रिकार्ड के अनुसार, इसे सभा के मतदान के लिये रखने से पहले मुझे इस पर संक्षेप में वाद-विवाद की अनुमति देनी है। हम इस पर पहले ही काफी समय व्यय कर चुके हैं। श्री नाथ पाई व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ बोलना चाहते थे किन्तु मैं उन्हें अवसर नहीं दे सका था। श्री नाथ पाई को इस सम्बन्ध में बोलने की अनुमति देने से पहले, मैं एक बात कहना चाहता हूं। लोक सभा के सचिव के प्रधान मंत्री के पास जाने पर श्री नाथ पाई ने एक गम्भीर आपत्ति उठाई है। मैं इस बात को भली-भांति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सचिव को प्रधान मंत्री के पास जाने तथा उन्हें कुछ मामलों के बारे में तथ्यों से अवगत करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिये इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय बात तो यह बहुत मामुली सी है किन्तु सभा के लिये इसका बड़ा गम्भीर परिणाम निकलता है क्योंकि यह मामला सभा के अधिकार से सम्बन्धित है। मध्यान्ह भोजनोपरान्त जब सभा पुनः समवेत हुई, तो आपने कहा था कि हम इस पर विचार-विमर्श आरम्भ करेंगे। इसे चुनौती दी गई; मैं मानता हूँ कि सभा के स्थगित होते समय अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ कहा, वह साफ-साफ सुनाई नहीं दिया—परिणामस्वरुप अन्य सदस्यों की, जिसमें प्रधान मंत्री शामिल हैं, धारणाएं भिन्न हो सकती थी। लेकिन जब आपने हमें बार-बार आश्वासन दिया था और अन्त में जब कि रिकार्ड पेश किया गया—और मेरा व्यवस्था का प्रश्न ही वही था जिसे सुना ही नहीं गया—रिकार्ड के लाये जाने तथा पढ़े जाने के बाद, हम सभी लोगों का यही कर्तव्य था कि हम वाद-विवाद आगे चलाने के लिये सहमत होते। मुझे अफसोस है कि सभा की नेत्री ने ऐसा नहीं किया।

यह मामला सभा के अधिकार से सम्बन्धित है। दूसरी बात यह कि जब मैं आपकी अनुमति से व्यवस्था के एक प्रश्न पर बोलने खड़ा था, तो मुझे रोका नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं चेयर की अनुमति से बोलने खड़ा हुआ था। आपने सात बार मेरा नाम लेकर मुझे बोलने की अनुमति दी थी, बीच में जब मैंने बैठने से इन्कार किया था, तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि तीन बार पहले ही अपने स्थान पर बैठ चुका था। आखिर सदस्य का अधिकार है, प्रधान मंत्री महोदया के प्रति मेरी निरादर की कोई भावना नहीं थी।

आपने मेरी दोनों बातें मान ली हैं, पहली यह कि इस पर वाद-विवाद होना चाहिए और दूसरी यह कि जब कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा है, तो उसे व्यवस्था के प्रश्न की आड़ में हल्ला-गुल्ला करके बोलने से रोका नहीं जाना चाहिए।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : विश्वभर में संसदीय प्रक्रियाओं में मतदान का आशय यह है कि पहले उन लोगों से 'हां' कहने के लिये कहा जाता है जो प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं और फिर उनसे जो उसके विपक्ष में हों, "नहीं" कहने के लिये कहा जाता है। इस मामले में अध्यक्ष महोदय ने कहा विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने के लिये श्री अटल बिहारी वाजपाई द्वारा पढ़े गये प्रस्ताव के पक्ष में जो सदस्य हैं, वे 'हां' कहें, और हमारे मित्रों ने कहा "हां",

तत्पश्चात् सभा विसर्जित की गई जबकि प्रस्ताव के विपक्ष वालों को "नहीं" कहने का मौका नहीं दिया गया। अत: मेरा अनुरोध है कि "नहीं" वालों को भी अवसर दिया जाये और मतदान के बीच में चर्चा का कोई अवसर न दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुशीला नायर नियम 366 का उल्लेख कर रही थी। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपना प्रस्ताव पढ़े।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Sir, I beg to move :

"This House resolves that the alleged breach of privilege committed by the Home Minister, Shri Y. B, Chavan by keeping the House in the dark by his statements made on the 28th and 31st July about the printing of Madhy Pradesh Budget for presentation to Lok Sabha be referred to the Committee of Privileges for examination with instructions to present its report by the first day of the next Session."

It is a matter of regret that the motion of privilege is being opposed. The matter in question is the concern of the whole House and not that of a particular party or individual and if the fate of the motion is decided on the basis of the party strength, it would definitely lower the degnity of the House.

Sir, telegrams were received from the leaders of the oppostion Party in the Madhya Pradesh Legislative Assembly that a conspiracy to dissolve the Assembly and impose Presidents rule in the State was being hetched by the Congress leaders of the State. The matter was immediately raised in this House on 28th July, 1967 and the Home Minister in reply there to said" we have no information on this whether such a thing is being done." In regard to the printing of the State Budget, he said "unless I make enquiries from the State Govt., I cannot give the information, but the Central Government have no information on this, and the Central Government have not given any direction." And the statement the made yesterday, the 31st July, 1967 was also a misleading one and contrary to the facts.

Now certain facts have come to light and the hon. Home Minister has today admitted that the officers of the Madhya Pradesh Govenment had discussions on the telephone with the Budget officer of the Central Government who gave him this information and he further admits in his statement ; "The possibilities of the programme etc. of presenting the Budget in Parliament should it become necessary were generally discussed on the phone with the Finance Secretary but it was made clear that nothing should be done until a formal decision was taken and announcement was made."

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Speeker** ***in the Chair*** }

It has come to our knowledge that on 22nd July, 1967, the Joint Secretary of the Finance Ministry had asked the Finance Secretary of the State Government for the Printing of Madhya Pradesh Budget, whereas, according to the Home Minister he was Quite unaveare of the talks and discussions held in this connection on the telephone between the Ministry of Finance and the State Govt. officers before he made statements in the House on 28th and 31st July, 1967 when the matters were raised in the House.

The matter is very grave. The question involved is at whose instance these directions were issued by the Joint Secretary, Ministry of Finance and whether it can be

construed that he had no reasonable grounds to know what was happening and whether the ignorance that he had displayed in the House. That had happened, knowingly or unknowingly was justified. The House was kept in the dark and the facts were twisted and concealed. Some body must be held responsible for this even if we presume that the Home Minister was actually not in the know of these directions issued to the Government for the printing of the State Budget. I, therefore, request that the whole matter should be referred to the Privileges Committee with a view to ascertain the facts of the cases and determine the truth of the matter. I hope the house will adopt my motion.

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपाई ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, मुख्य बातें कही जा चुकी हैं, हो सकता है कुछ नई बातें भी कही जाये। हमें इस पर चर्चा आज ही पूरी करनी है और विशेषाधिकार समिति को भेजना है जिस पर वहां भी विचार विमर्श किया जायेगा। इस पर बोलने के इच्छुक सदस्यों को मैं केवल पांच-पांच मिनट का अवसर देता हूँ जिसके बाद मैं इसे मतदान के लिये रखूंगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : विशेषाधिकार का यह सारा मामला दो मामलों में सिद्ध करना है, एक तो यह कि क्या गृह-कार्य मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य गुमराह करने वाला था और दूसरा यह कि क्या विशेषाधिकार का यह प्रश्न तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता ह । इन दोनों हो मायनों में भी वाजपाई के प्रस्ताव को सर्थन नहीं मिल सकता।

'गुमराह करने वाला (मिसलीडिंग)" शब्द एक विशेष मायने में प्रयुक्त होता है। विधि-शास्त्र की पुस्तकों विश्व की संसदीय प्रथाओं तथा संसदीय प्रथाओं तथा संसदीय पूर्वोद्धारणों में यह गुमराह करने वाला वक्तव्य का अर्थ यह दिया है कि मन्त्री अथवा किसी सदस्य द्वारा जानकारी होते हुए जब गलत बयानी की हो और ऐसा उसने एक निश्चित प्रयोजन से किया हो। कसौटी वर्तमान मामले में लागू नहीं होती। इसके साथ-साथ दूसरी बात यह है कि सद्भाव से की गई अनुमति नियम 115 के अन्तर्गत यह सभा देती रही है।

यदि सम्बन्धित अधिकारी ने ऐसे ढंग में कार्य किया है जिसका अनुमोदन सभा नहीं करती, तो सभा उसकी निन्दा कर सकती है। विशेषाधिकार प्रस्ताव केवल तथ्यों पर ही हो सकता है ; सिद्धान्त पर नहीं।

इस संसद के विशेषाधिकार तथ्यों पर संस्थापित करने होंगे न कि संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर। इसलिये इन दोनों ही मायनों में यह मामला विशेषाधिकार समिति को नहीं सौंपा जा सकता और न ही उसे जाने देना चाहिए और सभा को इसे अस्वीकार कर देना चाहिए।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इस समय हमारा सम्बन्ध केवल इस बात से है कि इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मन्त्री का व्यवहार सभा के साथ कैसा रहा है और उन्होंने मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा था, उसके बारे में जो अज्ञानता दिखायी उसका अर्थ यह लगाया जाये कि इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये उनके पास कोई उचित कारण नहीं थे। वह कोई गैर-जिम्मेदार आदमी नहीं है, केवल गृह-कार्य मन्त्री की निन्दा करने की दृष्टि से ही नहीं अपितु यह भी

समझाने के लिये कि केन्द्र और राज्यों के बीच कैसे सम्बन्ध चल रहे हैं और उनकी सरकारें कैसे चलायी जा रही है, इस मामले की जांच करना वांछनीय है। गृह-कार्य मन्त्री को समय के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने आज प्रातः इस सभा में माना था कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये, किन्तु अब अपनी बात से मुकरना उनकी शान, पद-प्रतिष्ठा के खिलाफ है और उन्हें अपने वचन पर दृढ़ रहना चाहिए और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिये सहमत होना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : सभा में कुछ घंटे पहले जो कुछ हुआ वह हम सब के लिये बड़ी शर्म की बात है। जहां तक मेरे मित्र, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे मध्य प्रदेश की राजनैतिक उधेड़-बुन में भाग लेने की रुचि नहीं है। किन्तु संसद सदस्य होने के नाते हमें उन बातों पर गम्भीर रूप से विचार करना है जो वहां हो रही है अथवा हाल में हुई है। गृह कार्य मन्त्री ने कुछ बातें कही हैं जो बाद में उनके द्वारा बताये गये तथ्यों की प्राथमिकता जांच के बाद गलत सिद्ध हो जाती है। इसलिये इस मामले की सचाई का पता लगाया जाना चाहिये। श्री वाजपेयी ने कुछ साक्ष्य तथा प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, केवल राजनैतिक ढांचे में ही बड़ी गड़बड़ी तथा दोष नहीं है अपितु नौकरशाही के सदस्य भी कपटी हैं। जहां तक संभव हो, इस मामले की सचाई पता विशेषाधिकार समिति के माध्यम से लगाया जाना जरूरी है। यदि हम राजनैतिक जीवन में शीलीनता अपनाएं तो हमें सिद्धान्त स्वीकार करना चाहिए। गृह कार्य मन्त्री ने आज प्रातःकाल यह सुझाव स्वीकार किया है। इस दौरान श्री मधु लिमये द्वारा एक संशोधन का सुझाव देने के अतिरिक्त और कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि गृह-कार्य मन्त्री सभा को दिये गये अपने वचन को वापस लें ले।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री वाजपेयी का भाषण मैंने अच्छी तरह सुना है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह ठीक हो सकता कि गृह कार्य मन्त्री महोदय को इस मामले के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी जो अब उनके पास बतायी जाती है। यदि वास्तव में यही बात है तो यह स्पष्ट है कि इसमें विशेषाधिकार भंग का कोई प्रश्न ही नहीं है।

मैं यह मानता हूं कि जब कभी जानबूझ कर गलत वक्तव्य देकर सभा को गुमराह किया जाता है तो विशेषाधिकार भंग करके सभा प्रतिष्ठा भंग करके सभा को आघात पहुंचाया जाता है। किन्तु अब जिन तथ्यों का पता चला है उससे स्पष्ट रूप में यह कहा जा सकता हैं कि गृह कार्य मंत्री महोदय ने सभा को जानबूझ कर गलत जानकारी दी है। अतः इस मामले में विशेषाधिकार भंग का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। इन सब बातों को देखते हुए में दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूं कि सभा को यह यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर देना चाहिए।

इस विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस प्रश्न को प्रतिदिन किसी न किसी रूप में इस सभा में उठाया जाता है। मैं समझता हूं कि बार बार ऐसे प्रश्नों को उठाने से उनका महत्व कम हो जाता है। अतः मैं समझता हूं कि ऐसे प्रश्न कम से कम तथा अत्यन्त आवश्यक होने पर ही उठाये जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस प्रस्ताव को समर्थन करते समय इस मामले में अपनी सफाई देने के लिये गृह-कार्य मन्त्री विशेषाधिकार समिति के सामने जाने के लिए तैयार थे। किन्तु ऐसा लगता है कि बाद में उन्होंने इस मामले पर दुबारा विचार किया है और अब तक वह कुछ विशेष कारणों से इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का विरोध कर रहे हैं। सारा देश इस बात को जानता है।गृह कार्य मन्त्री के इस व्यवहार से देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हम सभी जानते हैं गृह कार्य महोदय विशेषाधिकार समिति के सामने उन पर लगाये आरोपों का खंडन कर सकते हैं और विशेषाधिकार समिति ही इस बात का निर्णय कर सकती है कि गृह कार्य मन्त्री महोदय ने वक्तव्य जानबूझ कर दिया था अथवा नहीं।

यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश मे राष्ट्रपति शासन लागू करने का षडयंत्र केन्द्रीय नेताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री सलाह से तैयार किया गया था। यदि ऐसा न हुआ तो राज्य सरकार के सचिव अथवा भारत सरकार के संयुक्त सचिव इस तरीके से सलाह देने का साहस नहीं करते जिस ढग से उन्होंने दी थी। गृह कार्य मन्त्री ने 28 जुलाई को उप मन्त्री से सलाह लेकर ही वक्तव्य दिया था। उनके संयुक्त सचिव ने उन्हें सलाह दी थी बजट सम्बन्धी कागजात छाप कर तैयार रखे जाये। वह अच्छी तरह जानते थे कि वे कागजात उनके पास आ रहे हैं। फिर भी उसने गृह कार्य मन्त्री को बताया कि ये कागजात कभी भी राज्य के प्रेस में नहीं छापे जाते। मैंने इस बात पर तुरन्त आपत्ति प्रकट की थी। क्या कोई व्यक्ति इस बात पर कभी विश्वास कर सकता है कि जब संयुक्त सचिव ने राज्य सरकार को ऐसी महत्वपूर्ण सलाह दी है तो गृह कार्य मन्त्री को इस मामले की जानकारी नहीं थी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री को भी यह बात अच्छी तरह मालूम था क्योंकि वह सारी सरकार के लिये उत्तरदायी है। चाहे अब कुछ भी कहा भी जाये सरकार मध्य प्रदेश की घटनाओं से पूरी तरह अवगत थी।

यदि इस सभा में कांग्रेस का बहुमत होने के कारण इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने से मना कर दिया जाता है तो जनता के मस्तिष्क में यह भ्रम सदा बना रहेगा कि सरकार ने एक बहुत अनुचित कार्य किया है। अतः मैं गृह कार्य मन्त्री तथा इस सभा से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और गृह कार्य मन्त्री समिति के सामने ही निर्दोषिता साबित करें।

Shri D. N Tiwary (Gopalganj) : Mr. Speaker, this motion is baseless and has been brought before the House to achieve certain political ends. It is true that an official of the Government of India had a talk with an official of the State Government. How is the Home Minister to be blamed for it. The opposition always tries to blame the Government on one pretext or the another.

I think this motion does not deserve to be referred to the Privileges Committee either on a point of fact or on a point of law. Therefore the motion should be rejected.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannuj) : Mr. Speaker first I thought that the Minister showed a courge to agree to refer this matter to the Privileges Committee. But now he is withdrawing from his words.

Actually according to the note recorded by the Deputy Secretary of Madhya Pradesh, the Joint Secretary of the Union Ministry of Finance had sounded the Finance Secretary of Madhya Pradesh on 22nd July to start preliminary action for a certain contingency. It is, therefore, clear that intitiative in the matter has been by the Centre The Minister of Home Affairs had been hiding certain facts till he was forced to divulge them.

I would like that the Minister of Home Affairs should stand to his promise that he is agreeable to the matter being transferred to the Privileges Committee for investigation. It should be kept in mind by all of us that it is not proper to decide a privilege issue through vote of the House.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : यद्यपि इस विशेषाधिकार के मामले से मेरा अधिक सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैं सभा को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि यह एक बहुत गंभीर मामला है इसलिये इस पर अच्छी तरह विचार करके इस बात का पता लगाना चहिये कि यह सब हुआ कैसे। इसके पीछे कौनसी शक्ति कार्य कर रही है।

इस सम्बन्ध मे मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की शरारतें उस समय आरम्भ हुई जब पहली बार प्रधान मंत्री का चुनाव हो रहा था। मिश्र ने उस समय सब राज्यों के मुख्य मत्रियों को बुलाया था और उनसे इस लात की घोषणा करवाई थी कि वे अपने राज्य में अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे और इस बात का आश्वासन दगे कि उनके राज्य के ससद् सदस्य हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री के पक्ष में अपना मत देगे। यह समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ऊंचे स्वर में इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है क्यों उन्हीं के कारण प्रधान मंत्री को अपने चुनाव में सफलता मिली है। इसी बात के बलबूते पर उनके मुख्य मन्त्री रहने की अवधि में बस्तर में वह लज्जाजनक कार्य हुआ और सरकार ने उस काण्ड पर पर्दा डाला। इन्हीं बातों के कारण श्री मिश्र का साहस बढ़ा आज यह स्थिति उन्हीं के कारण पैदा हुई। यदि कांग्रेस लोग इस प्रकार की शरारतों पर इसी प्रकार पर्दा डालते रहे तो उन्हें संकट का सामना करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि वह प्रधान मन्त्री को बनाने वाला है। यह जनतन्त्र के लिए लज्जा की बात है। श्री मिश्र ने मेरे चुनाव के समय भी मध्य प्रदेश में बड़ी गड़बड़ कराने की प्रयत्न की थी। उनके इस प्रकार के कार्य न केवल इस सभा के लिए अपितु कांग्रेस दल के लिये अपमान और लज्जा की बात है। ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन से बहिष्कृत कर देना चाहिये।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं इधर उधर की बात कह कर इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपने के इस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया जा रहा है। अपने पूर्व वक्ताओं के भाषणों से मैं यही निष्कर्ष निकाल पाया हूँ कि कुछ न कुछ मामला अवश्य है। अत: हम केवल इतना ही चाहते हैं कि इस मामले की जांच कराई जाये जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सभा तथा जनता दोनों के मन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। समझ में नहीं आता कि सरकार इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपने से क्यों डर रही है।

अब तक हमारे सामने तथ्यों से यह संदेह हो सकता है कि गृह कार्य मंत्री ने गलत वक्तव्य देकर सभा को गुमराह किया है। इसलिये मैं इसे एक गंभीर मामला समझता हूं। एक उत्तरदायी मंत्री पर किसी प्रकार की संदेह की गुंजायश नहीं होनी चाहिये। मन्त्री महोदय को विशेषाधिकार समिति के सामने अपने को निर्दोश साबित करना चाहिये।

आज प्रातः गृह कार्य मन्त्री यह स्वीकार कर चुके हैं कि यह मामला जांच के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये। किन्तु अब तक उन्होंने अचानक ही अपना यह विचार बदल दिया है वह इसका कारण यह बताते हैं कि इस सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य द्वारा एक सशोधन प्रस्तुत किया गया है जो उनके मतानुसार किसी राजनैतिक उद्देश्य से लाया गया है। किन्तु यदि ऐसा है भी तो उससे क्या होता हैं। क्या आज कोई राजनैतिक दल बिना किसी राजनैतिक उद्देश्य के कार्य कर रहा है। क्या हम सबका कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है, किसी बात की वास्तविकता का पता लगाने के लिए राजनैतिक उद्देश्य बाधक नहीं हो सकता। अतः समझ में नहीं आता कि गृहकार्य मंत्री अपने द्वारा दिये गये वचन से क्यों विमुख हो रहे हैं।

इस सभा में बहुमत होने के कारण किसी सच्चाई का पता लगाने में बाधा उत्पन्न करना उचित नहीं है। इससे सरकार की प्रतिष्ठा घटती हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले को जांच के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा): समझ में नहीं आता कि विरोधी दलों के सदस्य इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने पर क्यों जोर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना उचित नहीं है। चाहे भले ही गृहकार्य महोदय ने सद्भावना के कारण यह सुझाव दिया हो कि यह मामला जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए तो भी इसे भेजा जाना आवश्यक नहीं है। विशेषाधिकार प्रश्न का सभा के सभी सदस्यों पर अप्रभाव पड़ता है। चाहे वह किसी भी सदस्य से सम्बन्धित हो, वह सभा में प्रस्तुत किये जाने के बाद सारी सभा का कार्य बन जाता है और उस पर सब का बराबर अधिकार बन जाता हो जाता है। अतः कोई भी विशेषाधिकार भंग के प्रश्न को समिति को सौंपने के लिये सभा के सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिये।

यदि भारत सरकार के सचिव ने राज्य सरकार के वित्त सचिव की जानकारी के लिए टेलीफोन किया तो कोई अनुचित बात नहीं की। यह भी हो सकता है कि गृह कार्य मंत्री को इन घटनाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने तथ्यों को किसी प्रकार छिपाया नहीं है। मंत्री महोदय ने सभा के सामने स्वयं कहा है कि उस दिन उन्हें वास्तविक जानकारी नहीं थी इसलिये वह सही जानकारी नहीं दे सके।

मैं समझता हूं कि राजनैतिक उद्देश्य के लिये विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। इससे सभा की प्रतिष्ठा गिरती है। अतः इस मामले को विशेषाधिकार समिति को न सौंपा जाये।

श्री अंबाजागन (तिरुचेगोड): अध्यक्ष महोदय, श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया विशेषाधिकार का प्रस्ताव सत्ताधारी दल द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये तथा इसे विशेषा-

धिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये, ताकि उस समिति में इस मामले से सम्बन्धित सभी तथ्यों पर शान्तिपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सके। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि इससे केन्द्र और राज्यों के परस्पर सम्बन्ध का मामला जुड़ा हुआ है।

इस मामले में एक दस्तावेज पेश किया गया है, जिसके अनुसार राज्य के आय-व्ययक विवरण को, जिसे यहां प्रस्तुत किया जाना था भोपाल में मुद्रित किया गया। सभा को इस तथ्य की जानकारी विरोधी पक्ष द्वारा दी गई थी, न कि कांग्रेसी सदस्यों द्वारा। माननीय गृहकार्य मंत्री ने पहले तो इस बात का खण्डन किया था, परन्तु उन्हें बाद में इस बारे में कुछ शर्तें लगाते हुये क्षमा याचना करनी पड़ी।

अब इस बात का रहस्योद्घाटन भी विपक्षी सदस्यों द्वारा किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के एक संयुक्त सचिव ने राज्य सरकार के एक सचिव को यह दस्तावेज तैयार करने को कहा था। माननीय गृह मंत्री ने इस बारे में जो वक्तव्य दिया है, वह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उससे तथ्यों की सही जानकारी नहीं मिलती। यह सभा भोपाल में जो कार्यवाही की जा रही है, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकी है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री ने सही तथ्यों की जानकारी नहीं की। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू होने की उद्घोषणा किये जाने से पूर्व ऐसे दस्तावेज का तैयार करना राज्य के स्तर पर जनता को धोखा देना है तथा कांग्रेस दल के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिये विधेयकों को आतन्कित करना है। अतः इस कार्य का उत्तरदायित्व किस पर है, उसका पता लगाना पड़ेगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। अपराधी व्यक्ति का पता लगाना और देश में लोकतन्त्रीय हितों की रक्षा करना गृह-कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के हितों तथा प्रजातन्त्र के हितों को दृष्टि में रखते हुए गृह-कार्य मंत्री इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। मैं अपने दल–डी० एम० के० की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

Shri Y. S. Kushwah (Bhind): Mr. Speaker, there are certain facts which I would like to place before the House with your permission, which prove that there was a pre-planned under hand agreement between Shri D.P. Mishras' Government and the Central Government for getting these budget papers printed. It was on the 19th instant that 35 Congress legislators crossed the floor and joined the opposition. The Chief Minister than come here on 22nd instance and tried to find out a way for getting the President's rule promulgated there.

But the House was recalled as it was essential under the rules of prorogation. At that time it was impressed upon every M. L. A., if they voted against Congress Government, President's rule would be promulgated. So if they do not want to face the elections again, then they must vote for Congress. Not only this there was a definite plan that the meeting of the Assembly should be disturbed. That is why there is a line in this document that Budget could not be passed on the 28th instance as the sitting of the Assembly was disturbed. The printing of these budget papers was started on 23rd, so is not understandable as to how it was known that there would be disturbance in the sitting of the Assembly. So it is evident that Shri D. P. Mishra and his party were out to disturb the business of the House. But the opposition had already taken a vow not to allow any disturbance, whatever provocations may be from the side of the ruling party. Not only

that when Shri Mishras' Government was defeated by the voting of the House, at that time also Shri Mishra stated that he would not allow ahy body also to succeed him and President's rule would be promulgated there. All this shows that whatever had happened there, was pre-planned.

With these words I support the motion.

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, Sir, will you not allow us to speak.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। श्री तन्नेटि विश्वानाथम को बोलने के लिये दो मिनट का समय दिया जाता है।

श्री शिव नारायण : हमें भी बोलने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। उनके दल से किसी अन्य सदस्य को बोलने का अवसर दिया जा सकता है, परन्तु माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : क्या केवल इस ओर के सदस्यों को ही बोलने का अवसर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। श्री तेन्नेटि विश्वानाथन के बाद मंत्री महोदय को बुलाया जायेगा। सम्भवत: मैं माननीय सदस्य को बोलने का अवसर देता, परन्तु अब उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : यह मामला बहुत सीधा है और इसका निर्णय सरलतापूर्वक किया जा सकता है। माननीय गृह-कार्य मन्त्री ने तीन अवसरों पर तीन वक्तव्य दिये हैं तथा पहले और दूसरे के बीच और दूसरे और तीसरे के बीच असंगति है। इसलिये यह निर्णय करना है कि सचाई क्या है। जैसे के पहले कहा जा चुका है, इस बात का निर्णय कि सचाई क्या है, मतदान द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके निर्णय केवल विशेषाधिकार समिति द्वारा किया जा सकता है।। संसद ने अनुभव के आधार पर ऐसे मामलों का निर्णय करने के लिये विशेषाधिकार समिति बनाई है, क्योंकि अनुभव से हमें इस बात का पता चला है कि ऐसे मामले प्राय: उठाये जायेंगे और उनका निर्णय यहां नहीं किया जा सकेगा। जब यह प्रथम दृष्टया का मामला बनता है, तो इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये, ताकि सारे तथ्यों का पता लगाया जा सके।

श्री अटलबिहारी बाजपेयी ने मध्य प्रदेश सरकार से सचिवालय की एक टिप्पणी को पढ़कर सुनाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तथ्य गृह कार्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों से भिन्न है। यद्यपि गृह कार्य मन्त्री ने तीनों बार वक्तव्य देते हुए यह कहा कि तथ्य वही हैं, जो उन्होंने पहले बताये थे, तथापि इनके तीनों वक्तयों में असंगति है और इसकी पूर्ति वह स्वयं भी नहीं कर सके हैं। इसलिये हम मामले का निर्णय मतदान द्वारा नहीं किया जा सकता और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये।

वास्तव में नियम 227 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय स्वयं इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते थे, तथापि उन्होंने इस मामले को सभा के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने के बाद मैं सुझाव देता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष महोदय : सब दलों अथवा ग्रुपों को बोलने का अवसर दिया जा चुका है। कांग्रेस दल के तीन अथवा चार सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं तथा और पांच अथवा छः सदस्य बोलना चाहते हैं। इस स्थिति में हमें इस चर्चा को कल भी जारी रखना पड़ेगा। यदि सभा एवं सरकार यह चाहती है कि चर्चा को जारी रखा जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम कल बारह बजे के बाद पुनः इस चर्चा को आरम्भ करेंगे।

श्री अ० सिं० सहगल : हम इसे आज ही पूरा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रजातन्त्र में विपक्षी सदस्यों को चाहे उनकी संख्या कितनी ही कम हो, बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये। यदि उन्हें यहां बोलने का अवसर नहीं दिया जाता तो वे अपने विचार कहां व्यक्त करेंगे। कांग्रेस दल की ओर से चार अथवा पांच माननीय सदस्यों का अवसर दिया जा चुका है और यदि और कांग्रेसी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायेगा, तो विरोधी पक्ष के सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जायेगा।

इस हालत में हमें चर्चा को कल भी जारी रखना पड़ेगा।

विरोधी पक्ष के सदस्यों सहित सभी सदस्य इस पक्ष में हैं, कि शिवनारायण को बोलने का मौका दिया जाये, इसलिये उन्हें दो मिनट का समय दिया जाता है।

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Speaker, Sir, I have highest regards for Dr. Ram Manohar Lohia, because he is one of the greatest scholars, but he had said one sentence to the Home Minister that he should not care for the elected Members. It shows that he has no faith in democracy.

So far as Shri A. B. Vajpayee is concerned, I have high regard for him. He is a leader of the Jan Sangh party. I request him that he should establish those examples in the States where his party is in power, which he want us to set up.

The Home Minister has acted very honestly and that is why I praise him. He has himself proposed that the matter be referred to the Privileges Committee, but the opposition has not accepted his motion. This shows that this motion is only a political game and hence it can not be accepted to our party.

With these words I oppose the motion.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस मामले पर जिस पर आज सुबह से चर्चा हो रही है। यह दावा किया गया है कि मेरे विभिन्न वक्तव्यों में महत्वपूर्ण भिन्नता रही है। हो सकता है शब्दों में कुछ भिन्नता रही हो, परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है। मैंने सभा को दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में बजट की छपाई के बारे में मैंने कहा

था कि मुझे कोई जानकारी नहीं है और इसकी जानकारी मुझे मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त करनी पड़ेगी । अध्यक्ष महोदय ने मुझे मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा था । मैंने इस वक्तव्य में कोई परिवर्तन नहीं किया है । इस सम्बन्ध में अब भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश के बजट की छपाई के बारे में उस दिन तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी ।

दूसरी बात जिस पर मैंने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था वह यह है कि बजट की छपाई के बारे में हमने मध्य प्रदेश सरकार को कोई आदेश नहीं दिया था । मैं अब भी इस बात पर दृढ़ हूं । मैं इस समय भी इस कथन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं ।

मध्य प्रदेश में किसी अधिकारी के साथ संयुक्त सचिव की बातचीत का प्रश्न उठाया गया है । प्रशासन में सारा काम राजनीति ही नहीं होती । उसमें बहुत से उत्तरदायित्व भी होते हैं । जब मध्य प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान किया गया तो स्वाभाविक ही यहां पर प्रशासन की चिन्ता हुई, क्योंकि बजट पास करने का यह अन्तिम सप्ताह था । वहां तीन विकल्प थे कि वह सरकार रहती है, नई सरकार बनती है, अथवा राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है । अतः उस समय प्रश्न यह नहीं था कि वही सरकार रहनी है, नई सरकार बनती है अथवा राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है, अपितु प्रश्न यह था कि प्रशासन कैसे चलाया जाये, क्योंकि सेवाओं के भुगतान के अतिरिक्त एक राज्य में कई मदों पर तुरन्त सीधा खर्च करना पड़ता है, जैसे अस्पताल में दाखिल रोगियों की दवा दारू के लिये तथा जेलों में बन्द कैदियों के भोजन आदि के लिये । स्वाभाविक ही गृह कार्य मन्त्रालय में इस पर विचार किया गया, परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया और राष्ट्रपति के शासन अथवा बजट की छपाई का कोई आदेश देने का कभी कोई प्रश्न नहीं उठा । मैं इस बात पर बिल्कुल दृढ़ हूं ।

28 तारीख को जब मैंने वक्तव्य दिया था, तब मुझे संयुक्त सचिव तथा मध्य प्रदेश सरकार के वित्त सचिव से हुई बातचीत का पता नहीं था । प्रश्न यह उठाया गया है कि मध्य प्रदेश के वित्त सचिव के साथ हुई बातचीत को संयुक्त सचिव द्वारा मुझे या उप प्रधान मन्त्री को सूचना क्यों नहीं दी गई । इसका कारण यह था कि वह इस बात को भली भांति जानता था कि उसने कोई आदेश नहीं दिया है । वास्तव में वह कोई निदेश दे भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे ऐसा करने का अब तक कोई अधिकार नहीं था, जब तक कि उसे उप प्रधान मंत्री द्वारा यह अधिकार न दिया जाये ।

यह कहा गया है कि मैंने सभा को गुमराह किया है । सभा को गुमराह करना तब तो कहा जा सकता था, जब मुझे जानकारी होती और मैं उसे जानबूझ कर छिपाता । अतः सभा को गुमराह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । मैंने वही जानकारी बताई है, जो मुझे मालूम थी । मैं इस बात को पुनः दौहराता हूं कि मैंने जब 28 तारीख को वक्तव्य दिया तो तब मुझे यह जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि बजट छापा जा रहा है । दूसरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों को कोई निदेश नहीं दिया गया । इन दो बातों के बारे में मैं अपने पहले वक्तव्य पर दृढ़ हूं और मैंने इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

आज सवेरे जब विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया तो मैं समझा था कि यह सभा के विशेषाधिकार की भावना से उठाया गया है जो एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिये मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन जब मेंने यह पेशकश की तो अचानक श्री मधु लिमये ने खड़ा हो कर अपना संशोधन प्रस्तुत कर दिया तथा उन्होंने प्रधान मंत्री को इस मामले में घसीटने का प्रयत्न किया, हालांकि पहले यह अपना संशोधन पेश करने को तैयार नहीं थे। तब मुझे यह संदेह हुआ कि यह सभा की प्रतिष्ठा का मामला नहीं है, बल्कि यह उनके अपने दल के हित का मामला है। मेंने सहयोग की भावना से उत्तर दिया था, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि वे इतने सच्चे नहीं हैं और वे इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में मुझे इसे वापिस लेने पड़ा। मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में मुझे इसे वापिस लेने का अधिकार है। अतः श्रीमान मेरा दावा है कि इसमें विशेषाधिकार की कोई बात नहीं है और इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना चाहिये।

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, the speeches made by the Congress Members and the Home Minister himself made it clear that not only the Home Minister, but some other persons also were involved in this matter. I was surprised to note that at that time when the Home Minister showed his willingless to refer this matter to the Privileges Committee in order to bring all the facts to light, the hon. Members from the Congress side objected to this view. In his statement the Home Minister has admitted to-day that there is some material difference in the facts given to him by the Joint Secretary and those recorded in the file of the Madhya Pradesh Government. That is why we have certain doubts that true facts are not being discussed by Government in this House. If there had been Congress Government in M. P. instead of the new non-Congress Government, the Home Minister might not have disclosed the conversation of the Joint Secretary with the Finance Secretary of Madhya Pradesh Government, because in that case we mignt have been ignored about the facts. New because we are aware of the fact, he had admitted it. Now the Home Minister asks us to believe that he had no knowledge about the discussion between the Joint Secretary and the Finance Secretary at the other end, because the Joint Secretary did not give any information about his discussion either to him or to the Deputy Prime Minister or the Prime Minister. I want to know whether it is believeable or whether the Joint Secretary had so much authority that he had a talk on a very important matter with the officer of another Government he did not disclose it either to him or to the Deputy Prime Minister or the Prime Minister. Even if we believe that the Joint Secretary did not give any information about his discussion then the question arises whether he had any power to have such discussion or whether he had kept the Minister in dark knowing. We have to investigate kept in dark or this House had been kept in and this could only be done by the Previleges Committee. Therefore I suggest that his matter be referred to the Previleges Committee. Moreover there is a material difference between the facts given by the Joint Secretary and those given by the Madhya Pradesh Government, so it can only be decided by the Privileges Committee alone as to what is true and what is untrue. So this matter should be referred to the Privileges Committee. There is no other alternative.

I do not want to make a political game of this matter. The Home Minister is taking an excuse of Shri Madhu Limaye's amendment for withdrawing his offer. By doing so he is establishing such a precedence which is entirely undemocratic. I only want that the facts should be made knows and the Home Minister as well as the Congress party should have courage to face the facts. They should not have any fear about them. I appeal to the House to accept by motion and refer this matter to the Privileges Committee.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रश्न यह है कि :–

"यह सभा निश्चय करती है कि लोक-सभा में प्रस्तुत किए जाने के लिए मध्य प्रदेश के बजट की छपाई के बारे में गृह-मन्त्री श्री यशवन्त राव चव्हाण ने 28 जुलाई तथा 31 जुलाई के अपने वक्तव्यों द्वारा संसद् को अंधेरे में रख कर सभा के विशेषाधिकारों का जो कथित उल्लंघन किया है उसे जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय और यह आदेश दिया जाय कि समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के पहले दिन तक प्रस्तुत करे।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 116, विपक्ष में 161

Ayes 116, Noes 161

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विमान (चौथा संशोधन) नियम

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : मैं विमान अधिनियम 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत विमान (चौथा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 22 जुलाई, 1967 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1101 में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1266/67]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना: साहिब शिंदे) : मै अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1077 की एक प्रति जो दिनांक, 14 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1267/67]**

मोटर गाड़ी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनायें

संसद-कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : मैं इस भक्त दर्शन की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (क) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) दिल्ली मोटरगाड़ी (छठा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक, 6 अप्रैल, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (28)-65 पी आर (टी) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) दिल्ली मोटरगाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (19)/65 पी आर (टी) में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) दिल्ली मोटरगाड़ी (चौथा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 2 मार्च, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 12 (76)/66-67 ट्रांसपोर्ट में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1264/67]**

(2) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण।

नियम समिति

RULES COMMITTEE

तीसरा प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 के उप नियम (1) के अन्तर्गत नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 2 अगस्त 1967/11 श्रावण 1889 (शाक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 2nd August 1967/11 Sravana 1889 (Saka)